



वार्षिक प्रतिवेदन 2010-11

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एनएससी काम्लैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110 012
www.plantauthority.gov.in

Printed at Chandu Press, D-97, Shakarpur, Delhi-110092 Ph.: 22526936

200 Copies



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एनएससी काम्लैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110 012
www.plantauthority.gov.in



ok'kZl i frosnu

2010–11



i ksk fdLe vks d"kd vf/kdkj 1 j{k k i kf/kdj . k
%df'k , oal gdkfj rk foHkx½
df'k e@ky;] Hkj r 1 j dkj
, u, , l l h dkEly\$] Mi h 1 ekx ubZfnYyh&110012
www.plantauthority.gov.in



fo"k & l ph

प्राक्कथन	i
विशिष्ट सारांश	iii
1 सामान्य पृष्ठभूमि	1
2 पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति	7
3 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर	22
4 राष्ट्रीय जीन बैंक	23
5 नई फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	28
6 डेटाबेसों, इंडस तथा वैबसाइट का विकास	40
7 विधायी कोष्ठ	41
8 कृषकों के अधिकारों से संबंधित क्रियाकलाप	43
9 प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन	48
10 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से संबंधित गतिविधियां	54
11 वित्तीय प्रतिवेदन	57
12 अतिथि	57
13 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भागीदारी	58
14 स्टाफ तथा समाचार	59
15 पत्र तथा प्रस्तुतीकरण	60
16 सीटीजंस चार्टर	61
आभार ज्ञापन	89

vuçak

अनुबंध 1	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सदस्य	63
अनुबंध 2क	प्राधिकरण के स्वीकृत पद	65
अनुबंध 2ख	मानव संसाधनों का विवरण	66
अनुबंध 3	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता	67
अनुबंध 4	परियोजनाओं को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता	70
अनुबंध 5	कृषकों के अधिकार के लिए स्थायी समिति	73
अनुबंध 6	कार्यक्रम, नियोजन तथा नीति समिति	73
अनुबंध 7	विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति	75
अनुबंध 8	परियोजना मूल्यांकन समिति	75
अनुबंध 9	प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की सूची	76
अनुबंध 10	संगठनों की सूची तथा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण	80
अनुबंध 11	डीयूएस परीक्षण की फसलवार निगरानी	82
अनुबंध 12	वित्तीय रिपोर्ट	83
अनुबंध 13	संक्षिप्तियां	88-89



MWih, y- xkile

v/; {k

i kikk fdLe vks d"kd vf/kdkj
l j{k k i kikk .k ubZfnYyh



i kikk

मुझे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन 2010–11 को प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भारत विश्व का ऐसा अनूठा देश है जिसने 2001 में पौधा किस्म संरक्षण तथा कृषकों के अधिकार की प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया। भारत में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में पौधा प्रजनकों ने अनेक ऐसी नई पौधा किस्में विकसित की हैं जिनसे उत्पादकता तथा किसानों की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस अधिनियम से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधा किस्मों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है।

नवम्बर 2005 में अधिसूचित होने के पश्चात प्राधिकरण ने पौधा किस्मों की सुरक्षा, पौधा किस्मों की रजिस्ट्री, राष्ट्रीय जीन बैंक, पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर, फील्ड जीन बैंकों, डेटा बेसों, डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को स्थापित किया है और भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित करना आरंभ किया है।


प्राधिकरण ने कृषि-जैवविविधता के संरक्षण में कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपये नकद का पुरस्कार आरंभ किया है। प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न पणधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता सृजित करने हेतु सजग प्रयास किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के पंजीकरण, जागरूकता सृजन तथा पणधारकों के बीच सूचना के प्रचार व प्रसार के लिए क्षेत्रीय नोडल केन्द्रों के रूप में रांची व गुवाहटी में दो शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है। प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण के अधिदेश को पूरा करने में श्री शरद पवार, मा. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारतसरकार द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन व प्रोत्साहन का उल्लेख करते हुए मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है।

हम कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में सहायता पहुंचाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

मैं अपने पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. नागराजन का प्राधिकरण की स्थापना व इसके विकास में निभाई गई भूमिका तथा सेवाओं के लिए भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं प्राधिकरण के सदस्यों तथा विभिन्न समितियों के सदस्यों का उनके मार्गदर्शन व उनकी सहायता के लिए आभार ज्ञापित करता हूं। मैं स्टाफ के सदस्यों की उनके समर्पण व कठोर परिश्रम के लिए सराहना करता हूं।


1/2 h, y-xkile 1/2



fof' k'V 1 kj lk

भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा पौधा किस्मों व कृषकों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए 2001 (2001 का 53) में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम सु जेनेरिस प्रणाली अपना रहा है और इस दृष्टि से विशिष्ट है कि इसके अंतर्गत प्रजनकों, किसानों तथा अनुसंधानकर्ताओं के संबंधित अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना नवम्बर 2005 में हुई जिसका एक अध्यक्ष तथा 15 अन्य सदस्य हैं।

वित वर्ष 2010–11 के दौरान सब्जियों, मसालों, तिलहनों तथा पुष्पों सहित 22 फसल प्रजातियों के लिए विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व (डीयूएस) दिशानिर्देश तैयार किए गए तथा पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु उन्हें पात्र बनाने के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया गया। कठिया गेहूं (ट्रिटिकम ड्यूरम डैस्ट), डाइकोकम गेहूं (ट्रिटिकम डाइकोकम एल.) तथा अन्य ट्रिटिकम प्रजातियों, ईसबगोल (प्लैटेगो ओवाटा फोस्कर्क), दमस्क गुलाब (रोजा दमस्केना मिल), परिविंकल (कैथेरेंथस रोज़ियस एल; जी डॉन), ब्रह्मी (बैकोपा मोनियेरी एल; पैनल) तथा नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.) के लिए विशिष्ट डीयूएस प्रशिक्षण दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए। प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्मों की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 28 फसलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 642 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 395 आवेदन नवीन श्रेणी के अंतर्गत, 216 विद्यमान किस्मों के अंतर्गत, 30 कृषक किस्मों के रूप में और एक अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म की श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए थे। नई पौधा किस्मों की श्रेणी में सर्वाधिक आवेदन बैंगन (66) के मामले में प्राप्त हुए। इसके पश्चात् कपास (54), मक्का (43), सूरजमुखी (39), टमाटर (38), चावल (30), बाजरा (28), ज्वार (24), भिण्डी (22), फूलगोभी (20) आदि का स्थान था। 60 विद्यमान पौधा किस्मों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। सर्वाधिक प्रमाण—पत्र मक्का के लिए दिए गए (31), जिसके बाद क्रमशः चावल (5), चपाती गेहूं (5), खेत मटर (5), मूंग (3), मसूर (3), कपास (2) तथा उड़द, सेम, ज्वार, राजमा, चना और सब्जी मटर में से प्रत्येक के लिए एक—एक प्रमाण—पत्र जारी किए गए। पौधा किस्मों के पंजीकरण से किसानों/प्रजनक (प्रजनकों) को पंजीकृत किस्म को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात अथवा निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो जाता है।

121 नई व विद्यमान किस्मों (जिनके बारे में सामान्य ज्ञान मौजूद है) के पासपोर्ट आंकड़े डीयूएस परीक्षण के लिए स्वीकार किए गए तथा बीज अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत 131 विद्यमान किस्मों को पंजीकरण के लिए अधिसूचित किया गया तथा सामान्य जनों की जानकारी तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, तो उन्हें आमंत्रित करने के लिए यह सूचना भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित की गई। जिन 95 किस्मों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे उनका विवरण भी जरनल में प्रकाशित किया गया, ताकि लाभ में भागीदारी के लिए दावे आमंत्रित किए जा सकें।

चावल, गेहूं, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, पटसन, चना, राजमा तथा अन्य फसलों की 267 किस्में पंजीकरण प्रदान किए जाने हेतु परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रही हैं। चावल, चपाती गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, पटसन, खेत मटर और चना की कुल 189 किस्मों का खरीफ और रबी 2000 के दौरान विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व संबंधी प्राचलों के लिए विभिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में परीक्षण किया गया।

पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर नई दिल्ली स्थित रजिस्ट्री के मुख्यालय में रखा जा रहा है। गेहूं की दो नई, चावल की तीन कृषक किस्मों तथा 223 विद्यमान किस्मों के विवरण 31 मार्च 2011 तक पंजीकृत करके प्रलेखित किए जा चुके हैं।

प्राधिकरण ने संरक्षित किस्मों के बीजों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। प्राधिकरण पूरे देश में 48 डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को भी सहायता प्रदान करता है (भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान संगठनों में)। इस अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण करने, प्रजनन जारी रखने तथा डीयूएस मानदंड तैयार करने के लिए 1.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। डॉ. बाला साहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, धपोली; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; तथा वाई.एस.परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन में आम, नींबूवर्गीय फलों, केला, अदरक, हल्दी, सेब आदि जैसी अलैंगिक/वानस्पतिक विधि से प्रजनित की जाने वाली फसलों के लिए तीन फील्ड जीन बैंक स्थापित किए गए हैं। डीयूएस केन्द्रों की भौतिक व वित्तीय प्रगति की निगरानी करने, प्रजनन जारी रखने में हुई प्रगति पर चर्चा करने और डीयूएस परीक्षण पर विचारविमर्श करने के लिए दो राष्ट्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

प्राधिकरण ने वानिकी (उदाहरण के लिए यूकेलिप्टस, कैसुआरिनास, नीम, जैट्रोफा), फलों (सेब, नासपाती, बादाम, अखरोट, खुबानी, चेरी, आम, नींबूवर्गीय फलों, तरबूज, खरबूजा, केला, लीची, अमरुद, पपीता), सब्जियों (कद्दू लौकी, करेला, खीरा ककड़ी और चिंचिंडा), औषधीय और सगंधीय पौधों (अश्वगंधा, कालमेघ, गुगल), बीज मसालों (धनिया), कंद फसलों (शकरकंदी, कसावा), चाय तथा आर्किडों जैसी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों की भी पहचान की है तथा इन फसलों के डीयूएस मानदंड विकसित करने, उनका सत्यापन करने और उन्हें तैयार करने के लिए 2.7 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

प्राधिकरण ने बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों के किस्मगत विवरणों की प्रविष्टि के लिए भारत की अधिसूचित और जारी किस्मों तथा डीयूएस दिशानिर्देशों की भारतीय सूचना प्रणाली (आईआईएनडीयूएस) विकसित की है।

विधि कोष्ठ ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त 11 आवेदनों पर समय पर कार्रवाई करते हुए जानकारी उपलब्ध कराई तथा यह कोष्ठ नियमों का मसौदा तैयार करने, अधिनियम की अधिसूचना तथा विधानों को जारी करने, मुकदमों की पैरवी करने, अंतरराष्ट्रीय विनिमायक मामलों में राय देने तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 और नियमावली 2003 की व्याख्या करने व इनका कार्यान्वयन करने के कार्य में संलग्न है। प्राधिकरण कृषकों के अधिकारों को लागू करने; कृषक किस्मों के पंजीकरण, वर्ष 2009–10 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए नियमावली तथा क्रियाविधि तैयार करने तथा कृषक समुदायों से पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में संलग्न है और इस दिशा में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने चावल की कृषक किस्मों (उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और मेघालय), अरहर और बाकला (बिहार) की किस्मों के प्रलेखन; भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों तथा अनुसंधान संगठनों में प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं, ताकि पादप प्रजनकों, बीज उद्योग, वैज्ञानिकों, अनुसंधान अध्येताओं, किसानों, परंपरागत समुदायों, स्वयंसेवी संगठनों आदि के बीच जागरूकता लाई जा सके। प्राधिकरण ने हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसार साहित्य भी प्रकाशित किया है।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की तीन बैठकें आयोजित की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें वृक्षों तथा लताओं के डीयूएस परीक्षण के लिए स्थल उपलब्ध कराने हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 में संशोधन करना; 2009–10 से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

आरंभ करना; और सब्जियों, मसालों, फलों तथा पुष्प फलों के डीयूएस परीक्षण शुल्क का निर्धारण करना व वार्षिक शुल्क रिटर्न फार्म को अंतिम रूप देना है।

प्राधिकरण को पूसा परिसर में अपने परिसर निर्माण के लिए भा.कृ.अ.सं./भा.कृ.अ.प. द्वारा भूमि आबंटित की गई है। पौधा किस्मों के पंजीकरणों, अधिनियम के बारे में जागरूकता सृजित करने, स्थानीय बीज उद्योग के साथ सम्पर्क स्थापित करने, अनुसंधान संगठनों, कृषक समुदाय के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए आवेदनों को दाखिल करने की दृष्टि से आवेदकों को सुविधा प्रदान करने के लिए रांची तथा गुवाहाटी में शाखा कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

भारत के राजपत्र में निम्नलिखित अधिसूचनाएं प्रकाशित हुई :

- पंजीकरण के लिए 11 फसल प्रजातियों की अधिसूचना (एस.ओ.993 (ई) दिनांक 30.04.2010 द्वारा)
- पंजीकरण के लिए 11 फसल प्रजातियों की अधिसूचना (एस.ओ.2883 (ई) दिनांक 02.12.2010 द्वारा)
- स्थल डीयूएस परीक्षण से संबंधित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 के नियम 29 (पीपीवी और एफआर (संशोधन) नियमावली, 2010 में संशोधन – जी.एस.आर. 949(ई) दिनांक 03.12.2010 के द्वारा)
- पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय न्यायाधीकरण (आवेदन तथा अपीलें) नियमावली, 2010 (जी.एस.आर. 772(ई) दिनांक 21.09.2010)
- प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति – एस.ओ. 195 (ई) दिनांक 31.01.2011 के द्वारा

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ने 11–18 मार्च 2011 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में जैवविविधता, खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन पर आयोजित मंत्रियों के सम्मेलन तथा इंटरनेशनल ट्रिटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर (आईटीपीजीआरएफए) के शासी निकाय के चौथे सत्र में भाग लिया। उन्हें आईटीपीजीआरएफए के पांचवें शासी निकाय के ब्यूरो का सदस्य (एशियाई क्षेत्र) चुना गया है।

प्राधिकरण में मौजूद विभिन्न पदों के भर्ती नियम संशोधित किए गए हैं जिनमें एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के प्रावधान किए गए हैं। प्राधिकरण के स्टाफ को केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) की दरों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली और इसके आस-पास के चिकित्सालयों/ प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

प्राधिकरण को वर्ष 2010–11 के दौरान 9.28 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस अनुदान में से 0.15 करोड़ रुपये पिछले वर्ष व्यय न हुई राशि के हैं। प्राधिकरण ने नकद आधार पर 9.50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया है। अतिरिक्त व्यय को आय के अन्य स्रोतों से पूरा किया गया है।



i ksk fdLe vks d"kd vf/kdkj l j{k k i kf/kdj.k वार्षिक प्रतिवेदन 2010-11

1-1 l kek; i "BHfe

पादप आनुवंशिक संसाधनों के अनुसंधान, व्यापार प्रबंधन तथा उपयोग को नियमित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने; खाद्य, चारा, रेशा, ईंधन तथा अन्य जिंसों की उपयुक्त किस्में उत्पन्न करने में पौधा प्रजनकों तथा परंपरागत कृषक समुदायों द्वारा पादप प्रजनन में नवीनताओं के लिए कानूनी सुरक्षा को लागू करना। पादप प्रजनकों के अधिकारों को लागू करके पौधा किस्मों की सुरक्षा का मुददा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान में लाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। भारत ने डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) संबंधी समझौते की पुष्टि की है। अतः इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह पौधा किस्मों की सुरक्षा से संबंधित कथित समझौते के भाग ॥ में अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ(ख) को प्रभावी बनाते हुए उसमें दिए गए प्रावधानों को लागू करे।

भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नई पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा पौधा किस्मों, कृषकों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सु जेनेरिस प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 में लागू किया। पीपीवी और एफआर नियमावली 12 सितम्बर 2003 में अधिसूचित की गई। अंततः अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 नवम्बर 2005 को राजपत्र अधिसूचना सं0 1588(ई) के द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1-2 i ksk fdLe vks N"kd vfekdkj vfekfu; e ds mis;

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1-3 vf/fu; e dh eq; fo' kskrk a

यह अधिनियम एक स्थू जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, यदि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें समुदायों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1-4 i hi hoh vʃ , Qvkj iʃ/kdʒ.k

प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने, बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए संविदा करने का भी अधिकार है तथा इस संबंध में यह कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकता है अथवा इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं। प्राधिकरण के सदस्य जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, निम्नानुसार हैं :

d- v/; {k

[k i nɔɪ l nL;

- (i) कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
- (ii) उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
- (iii) संयुक्त सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
- (iv) बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
- (v) निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली

- (vi) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे एक सदस्य, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- (vii) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे एक सदस्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- (viii) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे एक सदस्य, विधि, न्याय एवं कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए

x- **ukfer I nL;**

- (i) राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के कृषक संगठन से एक प्रतिनिधि
- (ii) जनजातीय संगठन से एक प्रतिनिधि
- (iii) बीज उद्योग से एक प्रतिनिधि
- (iv) कृषि विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि
- (v) कृषि क्रियाकलापों से संबंधित राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के महिला संगठनों से एक प्रतिनिधि
- (vi) बारी-बारी से राज्य सरकारों के दो प्रतिनिधि

महापंजीकार, प्राधिकरण का पदेन सदस्य—सचिव होता है। प्राधिकरण का वर्तमान गठन अनुबंध-1 में दर्शाया गया है।

1-5 i kni it udk ds vf/kdkj rFk d"dk ds vf/kdkj

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैशिक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी छूट दी गई है। तथापि, पैतृक वंशक्रमों के रूप में किसी पंजीकृत किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में पौधा किस्मों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इसमें किसी नई किस्म के मामले में विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उस किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकता है जो:

- क) धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टीकृत ऐसे गण या प्रजाति की है
- ख) एक विद्यमान किस्म है, अर्थात्
 - (i) बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित है, या
 - (ii) सामान्य ज्ञान की किस्म है, या
 - (iii) सार्वजनिक क्षेत्र की किस्म है, अथवा,

ग) कृषक किस्म, जो

- (i) किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई है, अथवा
- (ii) ऐसी वन्य संबंधी या भू—प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।

कोई भी अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म ही उपरोक्त प्रकार से सुरक्षित की जा सकती है। सुरक्षा की कुल अवधि फसलों के मामले में नई किस्म के पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तथा वृक्षों और लताओं के मामले में 18 वर्ष है।, विद्यमान किस्मों के मामले में यह अवधि बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उस किस्म की अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष है।

1-6 d"dk@d"kd l eplk k adks l gk rk rFkk i jLdkj

पीपीवी और एफआर अधिनियम में विशेष रूप से कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों, किसान समुदायों को सहायता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को परिचालित करने के लिए 2009–10 से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये नकद, एक उद्घरण तथा एक स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन विषेशज्ञ वैज्ञानिक के नेतृत्व में अत्यधिक व्यापक विषेशज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

1-7 i hi hoh vls , Qvkj i kf/kdj.k dh l f/k, ka

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने कृषकों के अधिकार के लिए स्थायी समिति; परियोजना मूल्यांकन समिति; कार्यक्रम, नियोजन तथा नीति समिति गठित की है जो तकनीकी तथा नीतिगत मुद्दों पर प्राधिकरण को सहायता प्रदान करती है। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) पुनर्गठित की गई है। ईवीआरसी का अधिदेश, विद्यमान किस्म की श्रेणी (बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित) के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच करना और रजिस्ट्रार को संबंधित मुद्दों पर उचित परामर्श देना है।

1-8 i lskk fdLe i t hdj.k rFkk Mr wl ijhjk k dkhz

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने प्रक्षेत्र, वाणिज्यिक, तिलहनी, मसालों, सब्जियों और रेशा फसलों की 45 फसल प्रजातियों के लिए विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण मानदंडों/दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है तथा पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 31 मार्च 2011 तक 217 किस्में (नई, विद्यमान अधिसूचित तथा कृषक श्रेणी के अंतर्गत) पंजीकृत की जा चुकी हैं और अधिक आवेदन आमंत्रित करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण विभिन्न पण्धारकों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है या उन्हें सहायता प्रदान करता है।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने संदर्भ/उदाहरण किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन/प्रगुणन या पंजीकरण के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किस्मों तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा विकसित फसल

विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मगत गुणों के डेटाबेस के सृजन के लिए पौधा किस्मों और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित विधान के अंतर्गत देशभर में विभिन्न डीयूएस केन्द्र भी स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्याशी किस्मों के लिए डीयूएस प्रशिक्षण, फसल विशिष्ट डीयूएस केन्द्रों में भी किए जाते हैं। डीयूसए परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और अधिक विश्लेषण के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को अग्रेशित किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भा.कृ.अ.प. तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों के परामर्श से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा यह डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान करता है।

1-9 M_{wkcl}


पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर, आईसीएआर) के साथ मिलकर डेटाबेस (डेटाबेसों) का विकास किया है। इंडियन इन्फोर्मेशन सिस्टम एस पर डीयूएस गाइडलाइंस (इंडस) सॉफ्टवेयर डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मगत गुणों/डीयूएस विवरणों को प्रलेखित करता है। इसमें अनेक पहलुओं पर सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। उदाहरण के लिए पैतृकता, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत जारी की गई पौधा किस्मों का अधिसूचीकरण तथा उनकी अनुकूलताएं एक अन्य डेटाबेस नोटिफाइड एंड रीलीस्ड वैरायटी ऑफ इंडिया (नॉर्व) में भारत के राजपत्र में इन किस्मों के जारी होने के अनुसार उनके नाम तथा अधिसूचना संख्या का विवरण दर्ज है। इसके अतिरिक्त पौधा किस्मों को पंजीकृत कराने के लिए किस्मों से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई करने, उनकी जांच करने, उन्हें प्रलेखित करने व डिजिटल हर्डवेयर के लिए इंडस डेटाबेस वर्जन 08.1 का विकास किया गया है। इसे प्लांट वैरायटी इन्फोर्मेशन सिस्टम (पीवीआईएस) नाम दिया गया है।

1-10 vU; fØ; kdyki

प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का एक राष्ट्रीय जीन बैंक व प्रक्षेत्र जीन बैंक स्थापित किए हैं तथा यह नियमित रूप से प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) तथा भारतीय पौधा किस्म जरनल (हिन्दी में) प्रकाशित कर रहा है तथा यहां पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर भी मौजूद है।

प्राधिकरण को अपने कार्यालय भवन निर्माण के लिए भा.कृ.अ.सं./भा.कृ.अ.प. द्वारा पूसा परिसर, नई दिल्ली में 10,480 वर्ग मी. की भूमि आबंटित की गई है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् संबंधित एजेंसियों को कार्य सौंप दिया गया है।

1.1.1 इंहीं वक्त्रों, उपर्युक्त अधिकारों और कृषकों के सम्बन्ध



i ksk fdLe jft LVh dh i xfr

2-1 Ql y it kfr; kdk vf/k phdjk.k

अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 2010–11 के दौरान पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के अंतर्गत किस्मों के पंजीकरण हेतु पात्र 22 फसलों को उनके गणों व प्रजातियों सहित अधिसूचित किया है (सारणी 1)।



Ikj.kh 1- 2010&11 ds nkku vf/k spr Ql y it kfr; ka

Q-	vast h uke	fgIhh@LFkulr uke	okuLi frd uke
1.	ब्लैक पैपर	काली मिर्च	पाइपर नाइग्रम एल.
2.	स्माल कार्डमम	छोटी इलायची	इलेटेरिया कार्डमोमम मैटन
3.	इंडियन मस्टर्ड	सरसों करन राई	ब्रैसिका जुंसिया एल. जर्न एंड कॉस ब्रैसिका कैरिनाटा ए. ब्राउन
4.	रेपसीड	तोरिया गोभी सरसों	ब्रैसिका रापा एल. ब्रैसिका नैपस एल.
5.	सनफ्लावर	सूरजमुखी	हैलिएंथस एनस एल.
6.	सैफ्लावर	कुसुम	कार्थेमस टिंकटोरियस एल.
7.	कैस्टर	अरंड	रिसिनस कम्यूनिस एल.
8.	सीस्मे	तिल	सिसेमस इंडिकम एल.
9.	लिनसीड	अलसी	लेनम यूसिटेसीमम एल.
10.	ग्राउंडनट	मूँगफली	एरेकिस हाइपोजिया एल.
11.	सोयाबीन	सोयाबीन	ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मैरिल
12.	पोटेटो	आलू	सोलेनम ट्यूबरोसम एल.
13.	गार्लिक	लहसुन	एलियम सेटाइवम एल.
14.	ओनियन	प्याज	एलियम सेपा एल.
15.	टोमेटो	टमाटर	लाइकोपर्सियॉन लाइकोपर्सिकम (एल.) कास्टेन एक्स.फार्व.
16.	बिंजल	बैंगन	सोलेनम मैलनजेना एल.
17.	कैबेज	पत्तागोभी / बंदगोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया एल. वैर कैपिटाटा
18.	कॉलीफ्लावर	फूलगोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया एल. वैर बोट्राइटिस
19.	लेडीस फिंगर	भिणडी	एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस (एल.) मोयंक
20.	रोज़	गुलाब	रोज़ा प्रजातियां (रोज़ा डेमासेना के अलावा)
21.	मैंगो	आम	मैंगीफेरा इंडिका एल.
22.	क्राइसेंथमम	गुलदाउदी	क्राइसेंथमम प्रजातियां

ये मसालों, तिलहनों, सब्जियों एवं पुष्पों की वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी अपेक्षा है कि मसालों और आम की पौधा किस्मों का पंजीकरण, जिनके मामले में भारत में समृद्ध जैव-विविधता है, इन फसलों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और अधिक बढ़ायेगा तथा भारत में उगाई जाने वाली किस्मों की सार्वभौमिक विविधता पर वैधानिक अधिकार स्थापित होगा। इसी प्रकार, अधिकांश तिलहनी फसलों तथा सब्जियों को पौधा किस्मों की वैधानिक सुरक्षा के अंतर्गत लाया जा रहा है जिससे पादप प्रजनन में नई खोजों को पुरस्कृत करने तथा अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन फसलों के अंतर्गत पौधा किस्मों की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिल किए किए अनेक आवेदनों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। यह भी एक आशा है कि विदेशी प्रजनक पुष्पीय फसलों जैसी गुलाबों, तिलहनी फसलों जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन और तोरिया तथा आलू, टमाटर, बंदगोभी तथा फूलगोभी जैसी सब्जियों की फसलों की किस्मों को पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार, भारतीय किसानों व पादप प्रजनकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नई किस्मों तथा औद्योगिकियों की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

2-2 iMr vlonu

वर्ष 2010-11 में इस अधिनियम के अंतर्गत पौधा किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रादि करण द्वारा 28 फसलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 642 आवेदन प्राप्त हुए। ये आवेदन नई (395), विद्यमान (216), कृषक किस्मों (30) तथा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (1) की श्रेणी के अंतर्गत थे। पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन 12 विभिन्न पादप कुलों नामतः पोएसी (चपाती गेहूं चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार तथा गन्ना), फैबेसी (अरहर, सेम, सोयाबीन तथा मूँगफली), मालवेसी (कपास और भिण्डी), टिलिएसी (पटसन), सोलेनेसी (बैंगन, टमाटर और आलू), ब्रैसिकेसी (भारतीय सरसों,



तोरिया, फूलगोभी तथा बंदगोभी), जिंजीबरेसी (हल्दी, अदरक और छोटी इलायची), एस्टीरेसी (सूरजमुखी), यूफोर्बिएसी (अरण्ड), पीडलिएसी (तिल), पाइपरेसी (काली मिर्च) तथा एमाराइलिडेसी (प्याज) के थे।

ये आवेदन विभिन्न स्वरूपों जैसे अनाजों, मोटे अनाजों, दालों, औद्योगिक / वाणिज्यिक फसलों, तिलहनों, सब्जियों, मसालों, तथा मिर्च-मसालों के लिए प्राप्त हुए थे। सर्वाधिक आवेदन (246) सब्जियों (नामतः बैंगन, टमाटर, भिण्डी, फूलगोभी, प्याज, बंदगोभी तथा आलू के लिए प्राप्त हुए जिसके बाद औद्योगिक / व्यावसायिक


फसलों (कपास, पटसन और गन्ना) के लिए 129 मोटे अनाजों (मक्का, बाजरा और ज्वार) के लिए 95, तिलहनों (सूरजमुखी, अरण्ड, मूँगफली आदि) के लिए 91, अनाजों (चावल व गेहूं) के लिए 59, मसालों (हल्दी, अदरक, काली मिर्च, छोटी इलायची) के लिए 14 तथा दालों के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए।

व्यक्तिगत फसलों में 2009–10 की प्रवृत्ति ही देखी गई जहां कपास के मामले में सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए (125), जिसके बाद बैंगन (108) तथा टमाटर (67) का स्थान था। कपास के मामले में विशेष रूप से पराजीनी प्रौद्योगिकी तथा लाइसेंसिंग के लागू होने के पश्चात अब किसानों को उगाने के लिए अनेक किस्में उपलब्ध हैं और इसी प्रकार पादप प्रजनक भी उन किस्मों के लिए अधिकार प्राप्त करने में रुचि रखते हैं जिनसे उन्हें उल्लेखनीय रूप से राजस्व प्राप्त होने की आशा है। इसी प्रकार, मक्का में इकहरे संकरण की संकर प्रौद्योगिकी तथा ज्वार में हैटरोसिस के उपयोग से उपलब्ध होने वाली ऐसी किस्मों की संख्या में पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी हुई है जो उच्च उपज देने वाली हैं। इसके परिणामस्वरूप इन किस्मों की खेती के क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है। तथापि, रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान चना, सब्जी मटर/खेत मटर, मसूर, उड़द और मूँग के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

2-3 ubZfdLek dk it hdj.k

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान नई किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत 395 आवेदन प्राप्त हुए। सर्वाधिक आवेदन बैंगन के मामले में प्राप्त हुए (66), जिसके बाद क्रमशः कपास (54), मक्का (43), सूरजमुखी (39), टमाटर (38), चावल (30), बाजरा (28), ज्वार (24), भिण्डी (22), फूलगोभी (20) तथा अन्य फसल किस्मों के पंजीकरण से संबंधित आवेदन थे। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सब्जी वाली फसलों के पंजीकरण को खोलने से उन सब्जी वाली फसलों के लिए आवेदनों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होगी जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें प्रजनक पंजीकृत कराने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जहां एक ओर प्रमुख खेत फसलों जैसे चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार के पंजीकरण के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या उल्लेखनीय है वहीं नई किस्मों की श्रेणी में चना, बागान मटर (खेत मटर), मसूर, उड़द और मूँग की फसल किस्मों के पंजीकरण हेतु कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ।

नई किस्म श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदनों की जांच पौधा किस्म रजिस्ट्री के स्टाफ द्वारा की गई तथा स्पष्टीकरण मामले के लिए सभी आवेदकों को पत्र भेज दिए गए हैं। यह पाया गया है कि अधिकांश स्पष्टीकरण किस्मों की बिक्री के प्रमाण, पूर्वज सामग्री प्राप्त करने की वैधानिकता के प्रमाण, तकनीकी प्रश्नावली में दिए गए विवरणों (समूहीकरण/विशिष्टता/अन्य गुण), पैतृकता, प्रजनन तकनीकों, संदर्भ किस्मों के साथ तुलना आदि के संबंध में थे। प्राधिकरण इन मुद्दों से निपटने तथा प्रजनकों को उन आवश्यक विवरणों से अवगत कराने के लिए



विभिन्न मंचों का उपयोग कर रही है जिससे अंततः पौधा किस्मों के पंजीकरण, आवेदनों के दाखिल करने में दिए जाने वाले विवरणों तथा विवादों को हल करने, यदि कोई है तो, में सहायता मिलेगी।

सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रत्याशी किस्मों के आवेदकों को पंजीकरण तथा डीयूएस परीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही उनसे प्राधिकरण के फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बीज परीक्षण रिपोर्ट से युक्त बीज सामग्री की निर्धारित मात्रा को प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया। इसके पश्चात् बीजों के नमूने दो समान फसल मौसमों में दो स्थानों पर जांचे जाने के लिए डीयूएस परीक्षण हेतु संबंधित केन्द्रों को भेजे गए।

2-4 fo | eku fdLek~~adk~~ i t hdj.k

विद्यमान किस्मों में वे किस्में सम्मिलित हैं जो बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के अंतर्गत अधिसूचित हैं, या कृषक किस्में हैं या वे किस्में हैं जिनके बारे में सामान्य ज्ञान है अथवा कोई भी अन्य ऐसी किस्म जो जन-सामान्य के क्षेत्र में आती हो।

अधिनियम में बताया गया है कि कृषक का अर्थ कोई भी वह व्यक्ति है जो, (i) अपनी स्वयं की भूमि जोतकर फसलें उगाता है, अथवा (ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि में खेती करने के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के द्वारा फसलों की खेती करता है अथवा कोई व्यक्ति अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप से वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों को संरक्षित व परिरक्षित करता है अथवा उपयोगी गुणों की पहचान करके और चयन के माध्यम से ऐसी वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों का मूल्यवर्धन करता है।


अधिनियम के अनुसार कृषक किस्म का अर्थ है (i) वह किस्म जो परंपरागत रूप से किसानों द्वारा उनके खेत में उगाई जाती है या विकसित की गई है, (ii) किस्म की वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने सामान्य ज्ञान की किस्म की परिभाषा भी उपलब्ध कराई है जो भारतीय पौधा किस्म जरनल, 3 (सितम्बर 2009) में प्रकाशित हुई है। इसमें शामिल है (i) वह किस्म जो जारी नहीं हुई है और बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, लेकिन प्रकाशनों के माध्यमों से भली प्रकार प्रलेखित है और किस्म की परिभाषा को संतुष्ट करने में सक्षम है या प्रत्याशी किस्म को या तो किस्मों के शासकीय रजिस्टर में प्रविष्ट होना चाहिए या वह प्रविष्ट होने की प्रक्रिया के अंतर्गत होनी चाहिए अथवा (iii) प्रत्याशी किस्म को संदर्भ संकलन में स्थान प्राप्त होना चाहिए या प्रकाशन में उल्लिखित विशुद्ध परिभाषा के अनुसार होना चाहिए, अथवा (iv) किसी भी अन्य तरीके से वह किस्म सामान्य ज्ञान की किस्म हो गई हो तथा किस्म उगाई जा रही हो या पंजीकरण के लिए आवेदन के दाखिल किए जाने के दौरान उसका विपणन हो रहा हो।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान विद्यमान किस्मों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 216 आवेदन प्राप्त हुए। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए पीपीवी और एफआर विनियमन, 2006 के नियम, 6 के अनुसार बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी की गई किस्मों के आवेदनों की जांच करने तथा पंजीकरण हेतु इन किस्मों की उपयुक्तता हेतु व अन्य तकनीकी मामलों में रजिस्ट्रार को अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण ने विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) गठित की है।

2-4-1 bZhvkj l h dh vuqkl k a

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने उपयुक्त किस्मों की पंजीकरण हेतु जांच करने तथा अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. आर. बी. सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति का गठन किया था। बाद में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान डॉ. डी.पी. राय, कुलपति (उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) की अध्यक्षता में ईवीआरसी का पुनर्गठन हुआ है (अनुबंध-7)।



i t hdj. k grqbZhvkj l h } kj k vuqkl r fo | eku fdLea

इस समिति ने पंजीकरण हेतु बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित 131 विद्यमान किस्मों की अनुशंसा की है। इन 131 आवेदनों में से 56 आवेदन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, 65 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तथा 10 निजी कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए हैं। प्राप्त होने वाले आवेदनों में से सर्वाधिक संख्या कपास के लिए थी (44), जिसके बाद चावल (30), ज्वार (16), पटसन (08), चपाती गेहूं (08), बाजरा (06), मक्का (07), चना (05), उड्दद (03), खेत मटर (02) और अरहर (02) से संबंधित आवेदन थे। अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े जन-सामान्य की सूचना के लिए तथा प्रकाशन के 90 दिनों के अंतर्गत आपत्तियां उठाने के लिए भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए। इसके पश्चात आवेदकों से पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क और सुरक्षा की अवधि के दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक में मध्यम अवधि के भंडारण के लिए निर्धारित मात्रा में बीज सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों का पंजीकरण उन घरेलू फसल किस्मों को सुरक्षित करने का एक सशक्त प्रावधान है जिन्हें भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य अनुसंधान संगठनों/उद्योग द्वारा मुख्य रूप से प्रजनित किया गया है; अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत जिनका कई स्थानों पर परीक्षण किया गया है तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केन्द्रीय बीज समिति द्वारा जारी करने के लिए अनुशंसित किया गया है। यह मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में पादप प्रजनकों के अनथक समर्पण को मान्यता देना है और इस प्रावधान को लागू करने से पादप प्रजनकों/संस्थानों को उन किस्मों को वैधानिक रूप से सुरक्षित करने में सफलता प्राप्त हुई है जिनका अन्यथा वाणिज्यिक उपयोग कर लिया गया होता। अपनी किस्मों को पंजीकृत कराकर पादप प्रजनक लाइसेंस लेकर रायलटी/राजस्व अर्जित कर सकते हैं जिससे अंततः अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों को और सबल बनाया जा सकता है।

2-4-2 fo | eku fdLekk it hdj.k % 2010–11 के दौरान 60 विद्यमान पौधा किस्मों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए (अनुबंध-9)। सर्वाधिक 31 प्रमाण—पत्र मक्का के लिए जारी किए गए जिसके बाद क्रमशः चावल (5), चपाती गेहूं (5), खेत मटर (5), मूंग (3), मसूर (3), कपास (2) तथा उड्ड, सेम, ज्वार, राजमा, चना तथा सब्जी मटर प्रत्येक की एक—एक, किस्म का स्थान था।

2-5 I kekl Kku dh fdLea

सामान्य ज्ञान की किस्मों के पंजीकरण हेतु मानदंड भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित हुए और अंततः 30 जून 2009 को जी.एस.आर. 452 (ई) द्वारा अधिसूचित किए गए। इस श्रेणी के अंतर्गत किस्मों/संकरों, पूर्वज किस्मों के आवेदन, आवेदनों की जांच पूरी होने के बाद स्वीकार किए जा रहे हैं तथा प्रत्याशी किस्मों का दो स्थानों पर एक वर्ष में डीयूएस परीक्षण किया जाएगा।

2-6 d"kd fdLea

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु कृषक किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न फसलों के 30 आवेदन प्राप्त किए हैं जिनमें शामिल हैं चावल के 24, राजमा/सेम की 4 और 2 आवेदन तथा मूंगफली के 2 आवेदन। इसके अतिरिक्त चने की एक कृषक किस्म 'ग्रो आउट' परीक्षण के अंतर्गत है।

2-7 Mr wl ijhk ko dh [kr fuxjkuh

प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण अनेक केन्द्रों पर किए गए तथा संबंधित दल (दलों) द्वारा इन परीक्षणों की निगरानी की गई। इन दलों का नेतृत्व प्रतिष्ठित विषय—वस्तु विशेषज्ञों ने किया (अनुबंध 11)। निगरानी दल को प्रत्याशी किस्मों की एकरूपता, स्थायित्व की जांच करने तथा गुणों की विशिष्टता की जांच करने का काम सौंपा जाता है जिनका दावा आवेदकों द्वारा किया गया हो और साथ ही इस दल को उपयुक्त संदर्भ किस्मों से संबंधित किस्मों की तुलना करने का दायित्व भी निभाना होता है। दल पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है कि परीक्षणों की डिजाइन व कार्य प्रणाली उसी प्रकार सम्पन्न की जा रही है जिस प्रकार पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में तय की गई है। फसल विशिष्ट से संबंधित विशेषज्ञ उन पादप प्रजनन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर अपने समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभवों को बांटते हैं जिनसे डीयूएस परीक्षणों को सम्पन्न करने की दिशा में और अधिक सुधार लाने में सहायता मिलती है।

2-8 Mr wl ijhk k

वर्ष 2010–11 के खरीफ और रबी मौसमों के दौरान विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व के लिए विभिन्न केन्द्रों पर कुल 189 किस्मों का परीक्षण किया गया (सारणी 2)। मार्च 2011 के अंत तक चावल की 8 किस्मों, मक्का की 23, गेहूं की 3, ज्वार की 10, बाजरा की 9 तथा कपास की 5 किस्मों के परीक्षण नई श्रेणी के अंतर्गत दो वर्ष पूरे कर चुके थे। कृषक किस्म की श्रेणी के अंतर्गत चपाती गेहूं की दो किस्मों ने भी 'ग्रो आउट' परीक्षणों को पूरा कर लिया है। इन डीयूएस परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है।

1 क्ष. क्ष 2- ओऱ्ड 2010&11 दस्तावेज़ मृ. वलि इंजिनीयर्स कॉम्पनी का फैलोवर्स लिएका

क्ष. क्ष इंजिनीयर्स का	[क्ष]Q 2010			jch 2010
	ubZfdLe	fo eku fdLe	d"kd fdLe	ubZfdLe
चावल	15	6	8	---
चपाती गेहूं	---	---	---	1
मक्का	15	21	---	---
ज्वार	14	2	---	---
बाजरा	20	---	---	---
कपास	60	19	---	---
पटसन	4	---	---	---
खेत मटर	---	---	---	2
अरहर	1	---	---	---
राजमा	---	---	---	2
दृष्टि	129	48	8	5

2-9 मृ. वलि इंजिनीयर्स का उदाहरण

प्राधिकरण ने विभिन्न फसल प्रजातियों के लिए 48 डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को सहायता प्रदान की है (अनुबंध 3) जिनका अधिदेश संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण व प्रगुणन तथा डीयूएस विवरणों के अनुसार उनका गुण-निर्धारण, डीयूएस परीक्षण और डेटाबेस का अनुरक्षण है। कुछ डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है:

2-9-1 खेती की किस्मों का अनुरक्षण %यह केन्द्र गेहूं की किस्मों के डीयूएस परीक्षण तथा अनुरक्षण प्रजनन का नोडल केन्द्र है और इसका सह-नोडल केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र इन्डौर है। यह केन्द्र फसल विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण सम्पन्न करता है तथा संदर्भ व उदाहरण किस्मों का रखरखाव भी करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल तथा भा.कृ.अ.स., क्षेत्रीय केन्द्र इन्डौर में गेहूं की एक प्रत्याशी किस्म 'एकेएडब्ल्यू 3722' (विमल) का 17 संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षण किया गया। इस केन्द्र में टी.एस्टीवम की 293 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण भी किया गया है जिसमें 80 उदाहरण किस्में, टी.ड्यूरम की 44, टी.डाइकोकम की 4, तथा ट्रिटिकेल की 3 किस्में सम्मिलित हैं। सभी विद्यमान किस्मों का डेटाबेस एक्सेल फारमेट में रखा गया। दिनांक 13 जनवरी 2011 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय संचेतना कार्यक्रम चलाया गया जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के 7 जिलों के 102 किसानों ने भाग लिया।

2-9-2 खेती की किस्मों का अनुरक्षण %मक्का अनुसंधान निदेशालय मक्का के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है, जबकि आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद इसका सह-नोडल केन्द्र है। खरीफ 2010 के दौरान 3 नई अंतर प्रजनित प्रत्याशी किस्मों नामतः 'बायो 10107', 'एम3432' और 'सीवाईएन-सीओ-एनपी-5024' का परीक्षण किया गया, जिनमें से 'एम-3432' तथा 'एसवाईएन-सीओ-एनपी 5024' ने परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। 'बायो 10107' के परीक्षण

का पहला वर्ष है और इसे अगले मौसम में बोया जाएगा। खरीफ 2010 के दौरान 33 प्रत्याशी किस्में भी परीक्षणाधीन रहीं जिनमें से 21 संकर विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत थे। दस संकरों के परीक्षण का यह पहला वर्ष था तथा इन्हें 2011 के दौरान खरीफ के मौसम में बोया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र संदर्भ/उदाहरण किस्मों के अनुरक्षण

प्रजनन में भी रह त है और इसके साथ ही यह प्राधिकरण को डीयूएस परीक्षण के अंतिम आंकड़े संकलित करके प्रस्तुत करने वाला है।

मवका अनुसंधान निदेशालय सार्वजनिक क्षेत्र में प्रजनित प्रत्याशी किस्मों के लिए आवेदन दाखिल करने की भी नोडल एजेंसी है तथा इसने 130 किस्मों के आवेदन दाखिल किए हैं। इनमें से 8 संकरों तथा 10 संकरों को विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण—पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान मवका अनुसंधान निदेशालय में 23 नवम्बर 2010 को मवका के विशेष संदर्भ में जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भा.कृ.अ.प./कृषि विज्ञान केन्द्रों के 60 व्यक्तियों तथा किसानों ने भाग लिया। दो बुलेटिन नामतः ए.कम्पोडियम ऑफ मेज हाइब्रिड्स एंड कम्पोजिट्स अंडर पीपीवी एंड एफआरए तथा रिप्रिंट ऑफ डीयूएस गाइडलाइंस भी जारी किए गए।


2-9-3 Tokj vuq alk funs' kky; | gShjkkn %यह ज्वार के डीयूएस परीक्षण का नोडल केन्द्र है



दौरान परीक्षण किया गया। इसके साथ ही 10 प्रत्याशी किस्मों (केजेएच 6363, फुले चित्रा, केएसएमएस 233, सीएसएच 24 एमएफ, डीएसवी 6, सीएसवी 24एसएस, सीएसएच 23, केएसआर 6203, बीजीएस 801, पीवीके 809) के दूसरे सैट का 25 संदर्भ किस्मों (जीएफएस 4, सीएसएच 9, पंत चरी 6, जीएफएस 5, फुले मौली,



सैलेक्शन 3, फूले यशोदा, 14ए, 27ए, आरएस 29, एकेआर 150, जेजे 741, डीएसवी 5, एसपीवी 462, पीवीआर 453, पी.दागाडी, एससीवी 84, सीएसवी 19एसएस, सीएस 3541, इंदौर 12, सी43, आरएस 673, 2219बी,



पीवीके 400 तथा एकेएमएस 14बी) के साथ दोनों केन्द्रों पर प्रथम वर्ष के परीक्षण द्वारा लक्षण—वर्णन किया गया। रबी मौसम के दौरान किसी भी प्रत्याशी किस्म का डीयूएस परीक्षण नहीं किया गया, लेकिन 114 संदर्भ किस्मों को बीज प्रगुणन के लिए उगाया गया। 6 प्रत्याशी किस्मों का दूसरे वर्ष डीयूएस परीक्षण किया गया जबकि 10 प्रत्याशी किस्मों का पहले वर्ष का परीक्षण खरीफ में पूरा हुआ। ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में एपी सीड़समैन एसोसिएशन के सहयोग से 30 मार्च 2011 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की सहायता से पौधा किस्म की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बीज उद्योग के प्रतिनिधियों, किसानों, वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान अध्येताओं सहित 110 व्यक्तियों ने भाग लिया।

2-9-4 vf[ky Hkjrh l eflbr cktjk l qkj ifj; kt u k enk] t kskij
% अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, मंदौर, जोधपुर तथा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी में 11 संदर्भ/उदाहरण किस्मों के साथ बाजरा की कुल 8 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। जिन 8 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया उनमें से 3 किस्मों के परीक्षण का दूसरा वर्ष तथा 5 किस्मों के परीक्षण का प्रथम वर्ष पूरा हुआ। निगरानी

दल ने दोनों स्थानों पर डीयूएस प्रयोगों का भ्रमण किया। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, मंदौर में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर जागरूकता से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 21 वैज्ञानिकों/तकनीकी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बाजरा के पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण दिया गया।





2-9-5 ploy vuq alku funs'ky;] gsj kchn

% चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक; तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर; तथा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट में करीब 2010 के दौरान चावल के डीयूएस परीक्षण किए गए। कुल 15 नई प्रत्याशी किस्मों, 6 विद्यमान किस्मों तथा 8 कृषक किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में 15 नई प्रत्याशी किस्मों के 86 संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षण किए गए। चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में आठ कृषक किस्मों का परीक्षण किया गया जबकि 4 कृषक किस्मों

का असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट तथा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर में 28 संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षण किया गया। छह विद्यमान किस्मों का परीक्षण चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में तथा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट और तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर, प्रत्येक में 3 विद्यमान किस्मों का 11 संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षण किया गया। सभी किस्मों का परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया तथा 29 अनिवार्य व 33 अतिरिक्त डीयूएस विवरणों के लिए उनका गुण निर्धारण किया गया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 11 संदर्भ किस्मों के एक सैट का भी लक्षण-वर्णन किया गया।

2-9-6 Hkj rh nygu vuq alku funs'ky;] dkui j % खरीफ 2010 के दौरान मूँग की 74 तथा उड़द की 46 किस्मों का अनुरक्षण किया गया। रबी मौसम (2010–11) में मटर की 52, मसूर की 63 व राजमा की 13 किस्मों का अनुरक्षण किया गया। इन किस्मों के अनुरक्षण के लिए प्रत्येक किस्म से 10 एकल पौधे चुने गए तथा खरीफ 2010 और रबी 2010–11 के दौरान उनकी अलग-अलग कटाई की गई। खरीफ 2010 के दौरान मूँग की दो प्रत्याशी किस्मों (एन 585, एन 605) को डीयूएस परीक्षण के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण भेजा गया। इन किस्मों का परीक्षण संदर्भ किस्मों के साथ किया गया तथा परीक्षण की निगरानी पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा नामित दल द्वारा किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। रबी 2010–11 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से राजमा की 2 प्रत्याशी किस्में (अर्क अनूप और अर्क बोल्ड), भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में प्राप्त की गई तथा उनका भी परीक्षण किया गया।

अरहर में 68 किस्में अनुरक्षित की गई तथा उनका 21 डीयूएस विवरणों के लिए लक्षण वर्णन किया गया तथा एक किस्म ऋचा 2000 का 7 संदर्भ किस्मों (पूसा 855, आईसीपीएल 151, जीटी 100, मानक, पारस, आजाद और अमर) के साथ डीयूएस हेतु परीक्षण किया गया। इसकी निगरानी 10 अक्टूबर 2010 को की गई।

2-9-7 dshz dkl vuq alku l fku] {ks-h vuq alku dshz dks Ec'ky % यह कपास के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है, जबकि अन्य सह-नोडल केन्द्र हैं : केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार। रिपोर्ट की अवधि के दौरान केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कोयम्बत्तूर केन्द्र में द्विगुणित तथा चतुर्गुणित प्रजातियों में 134 कपास जीनप्ररूपों का आकृतिविज्ञानी पहलुओं

पर लक्षण वर्णन किया गया तथा आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। 162 जीन प्ररूपों (गोसिपियम हिस्टर्म एल., जी.बार्बेडेंस एल., जी.आर्बॉरियम एल.) का बीज प्रगुणन भी किया गया। 87 संदर्भ किस्मों की तुलना में इन केन्द्रों पर 74 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया जिनका विवरण सारणी 3 में दिया गया है।

1 kj . kh 3- Mṛ wl i jh[k k/khu di k dh fdLek dh 1 ph

i t kr	l hv[kZ hv[kj] l hlbZ	l hv[bZ hv[kj] , ut hi h	; w, l] e[kj okM	i h ; w y f[k, k[u	, p, ; w fgl kj	dy
द्विगुणित	-	1 (2)	1 (2)	-	-	2(4)
चतुर्गुणित	19 (20)	17(17)	20 (20)	6(12)	10 (14)	72 (83)
dy	19 (20)	18(19)	21(22)	6(12)	10 (14)	74(87)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े परीक्षित संदर्भ किस्मों की संख्या दर्शाते हैं

निगरानी दल ने यह पाया कि परीक्षण वैज्ञानिक रूप से तथा चतुर्गुणित और द्विगुणित कपास के फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में निर्धारित क्रियाविधियों को अपनाकर किए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षण




fp= %di k l e a Qw y k a d s j a k a d h fofo /krk

3 प्रतिकृतियों में बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन में किए गए हैं, फसल की बढ़वार अच्छी थी तथा सभी किस्मों में पौधों की संख्या में एकरूपता रखी गई थी। निगरानी दल ने सभी प्रत्याशी संदर्भ किस्मों में गुणों की अभिव्यक्ति का अवलोकन किया तथा प्रत्येक प्रत्याशी किस्म में जिन गुणों का दावा किया गया था उन पर भी ध्यान दिया।

बीज अधिनियम, 1966 में अधिसूचित जारी किस्मों पर डेटाबेस जारी किया गया है। इस डेटाबेस में किस्म, प्रजाति, अधिसूचना संख्या, अधिसूचना के वर्ष, उस संस्था

का विवरण जिसने उपरोक्त किस्म जारी की है, अवस्था, वंशावली, अधिसूचना की वर्तमान स्थिति, उपज संबंधी प्राचलों, ओटाई प्रतिशत, रेशे की लंबाई, गांठ की शक्ति, कर्ताई क्षमता (काउंट), अनुकूलन के क्षेत्र, वह पारिस्थितिक प्रणाली जिसके लिए किस्म की अनुशंसा की गई है, आदि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई है।

2-9-8 Hkj rh l ct h vuq alku l LFku] okj k kl h % यह संस्थान टमाटर, बैंगन, भिण्डी, फूलगोभी, बंदगोभी, सब्जी मटर तथा राजमा के डीयूएस परीक्षण हेतु नोडल केन्द्र है। इसके अन्य सह-नोडल केन्द्र हैं : भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरु तथा भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र (कर्टराई)। वर्ष 2010-11 के दौरान आंकड़ों के पर्यवेक्षण तथा अनुरक्षण के लिए टमाटर की 76 संदर्भ किस्में उगाई गई। इसी प्रकार, अनुरक्षण प्रजनन तथा फसल विशिष्ट डीयूएस विवरणों के आंकड़ों के सत्यापन के लिए बैंगन की 77, भिण्डी की 79, फूलगोभी की 4, बंदगोभी की 8, सब्जी वाली मटर की 41 और राजमा की 24 किस्में उगाई गई। बेमेल (ऑफ टाइप) पौधों को हटा दिया गया जबकि



बीज निकालने के लिए सच्चे पौधों (ट्रू-टू टाइप) को बनाए रखा गया। सच्चे चुने हुए पौधों में भिण्डी तथा बैंगन के मामले में व्यक्तिगत पुष्पों का स्व-परागण कराया गया। टमाटर, राजमा तथा सब्जी वाली मटर के मामले में सच्चे व्यक्तिगत पौधों से बीजों को एकत्रित किया गया। बंदगोभी तथा फूलगोभी के बीज, भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई में अनुरक्षित किए जा रहे हैं। राजमा की 2 प्रत्याशी किस्मों अर्क अनूप, अर्क बोल्ड का डीयूएस परीक्षण किया गया तथा पीडीआर 14, एचयूआर 15, एचयूआर 137, आईपीआर-96-4, अर्क कोमल को संदर्भ किस्मों के रूप में लिया गया। 7-8 फरवरी 2011 को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में परीक्षणों की निगरानी की गई।

2-9-9 dShz iVl u , oal Ec) js lk vuq alku l LFku] cJdi j % वर्ष 2010-11 के दौरान दो नई प्रत्याशी कैप्सूलेरिस पटसन किस्मों (जेआरसी 517 और जेआरसी 532) का विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व स्थापित करने के लिए संदर्भ किस्मों के साथ पहले वर्ष के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया। ये दोनों किस्में डीयूएस परीक्षण के प्रथम उगने के चक्र में संदर्भ किस्मों की तुलना में पर्णवृत्त के रंग तथा फलियों की रंजकता के गुणों के संदर्भ में विशिष्ट पाई गई। इन दोनों किस्मों की बुवाई 2010-11 के दौरान दूसरे मौसम के लिए फरवरी-मार्च में पूरी हो चुकी है। वर्ष 2010-11 के दौरान डीयूएस परीक्षण के दूसरे वर्ष में दो नई ओलिटोरियस प्रत्याशी पटसन किस्मों (आईआरए तथा जेआरओ 234) का भी परीक्षण किया गया है।



iVl u eaMr wl vuq{k k i t uu dsIy kW

इस केन्द्र ने एक विद्यमान कैप्सूलेरिस पटसन किस्म मोनालिसा (आरआरपीएस-27-सी-3) तथा एक नई ओलिटोरियस किस्म सौरव (सीओ-58) के आवेदन भी अग्रेषित किए हैं जिन्हें प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण के लिए स्वीकार कर लिया गया है। पटसन की नौ विद्यमान किस्मों नामतः जेआरओ 128, जेआरओ 66, सुबाला, जेआरओ 8432, जेआरसी 80, जेआरसी 698, बिधान पट 1, बिधान पट 2 और बिधान पट 3 के बीच व पंजीकरण शुल्क पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में प्राप्त कर लिए गए हैं। पटसन की नई किस्मों का लक्षण वर्णन पूरा हो चुका है तथा पटसन की 33 संदर्भ किस्मों के लिए नाभिक बीज भी उत्पन्न कर लिया गया है।

2-9-10- I; kt vky ygl q vuq alku funs kky;] jkt xq uxj] iqk% यह प्याज और लहसुन के अनुरक्षण प्रजनन तथा डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। इस केन्द्र में प्याज की 46 किस्मों (रबी की 38 व खरीफ की 8 किस्मों सहित) तथा लहसुन की 12 किस्मों का अनुरक्षण किया जा रहा है। इनमें से दीर्घ दिवस वाली प्याज और लहसुन की किस्मों का अनुरक्षण केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर; प्रगुणक प्याजों (गुच्छा किस्मों के) का अनुरक्षण, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर में किया जा रहा है जबकि शेष किस्मों का अनुरक्षण नोडल केन्द्र में किया जा रहा है। पिछले रबी मौसम की प्याज की किस्मों तथा खरीफ मौसम में खुदाई करके निकाले गए हाल के वर्ष के प्याजों को भंडारित किया गया था और इनकी

रोपाई नाइलॉन की जालियों में कठोर पृथक्करण की अवस्था में दिसम्बर 2010 के दौरान की गई, ताकि इनका और बीज उत्पन्न करके अनुरक्षण किया जा सके। इन सभी किस्मों का लक्षण वर्णन डीयूएस विवरणों के अनुसार किया गया।

2-9-11 frygu vuq alku funs kky;] gñj kcln % यह अरण्ड, सूरजमुखी तथा कुसुम के डीयूएस परीक्षण हेतु नोडल केन्द्र है। अरण्ड में केन्द्र ने आकृतिविज्ञानी तथा मात्रात्मक गुणों के माध्यम से बीज लॉट की शुद्धता के लिए 8 किस्मों (2 संकरों, 1 किस्म तथा 5 पैतृक वंशक्रमों) का मूल्यांकन किया है। तीन किस्मों, नामतः जीसीएच 7, टीएमवी 6, जीसी 3 तथा अन्य उदाहरण किस्मों नामतः डीसीएस 59, सीओ 1, सौभाग्य तथा अरुणा ने पैतृक वंशक्रमों, एसकेआई 215 तथा एसकेपी 84 के साथ, का लक्षण—वर्णन 29 विवरणों के लिए किया गया है तथा आंकड़ों का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है।

सूरजमुखी में रबी 2010 के दौरान 23 प्रजनक बीज प्रविष्टियों (6 संकर, 6 किस्में तथा 11 पैतृक वंशक्रम) का मूल्यांकन किया गया तथा 32 विवरणों पर पर्यवेक्षण किए गए। नई किस्मों नामतः टीएनए यूएसयूएफ 10, पीएसएच 569, केबीएसएच 53; पैतृक वंशक्रमों 7 आईए, 7आईबी, आरएचए 271; संकर किस्मों जैसी डीएसएच 1 का लक्षण वर्णन किया गया। कुसुम में रबी 2010 के दौरान केन्द्र ने प्रजनक बीज की प्रविष्टियों से 1 संकर तथा 2 किस्मों का मूल्यांकन किया है। नई किस्मों नामतः एसएसएफ 658, एनएआरआई 38 तथा एनएआरआईएच 15 का 24 विवरणों के लिए मूल्यांकन किया गया। केन्द्र ने सूरजमुखी की 28 किस्मों के 34 डीयूएस गुणों के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं जिनमें 10 संकर, 7 किस्में व 11 पैतृक वंशक्रम सामने हैं। इन्हें 'इंडस' डेटाबेस पर अपलोड किया जा चुका है।

2-9-12 rkj; k vks 1 j1 kavuq alku funs kky;] Hjri g % यह नोडल केन्द्र तोरिया—सरसों की किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन तथा लक्षण—वर्णन के लिए उत्तरदायी है। इस केन्द्र में तोरिया—सरसों की 110 उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण किया गया है जिनमें से 67 भारतीय सरसों, 30 भूरी सरसों, 06 गोभी सरसों, 05 करन राई, 03 तारामीरा, 14 तोरिया तथा 12 पीली सरसों की हैं। इन्हें उगाया गया तथा स्वपरागण/सहोदर युग्मन के माध्यम से इनका शुद्ध बीज प्रगुणित किया गया। इसी अवधि के दौरान भारतीय सरसों की 24, तोरिया की 2, पीली सरसों तथा करन राई, प्रत्येक की 2-2 किस्मों का डीयूएस विवरणों के लिए लक्षण—वर्णन किया गया।

2-9-13 Hkj rl xlk vuq alku l AFku] y [kuÅ % केन्द्र ने उपोष्ण कटिबंधीय भारत के विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त गन्ना की विभिन्न 108 किस्मों/क्लोनों का मूल्यांकन किया। गन्ना की 6 किस्में नामतः बीओ 145, बीओ 147, बीओ 139, सीओपी 9302, बीओ 141 तथा सीओ—पंत 99214 प्रगुणन तथा लक्षण—वर्णन के लिए राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा तथा गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से एकत्रित की गई। इन किस्मों का खेत में अनुरक्षण किया जा रहा है। संदर्भ संकलन से संबंधित आंकड़े विद्यमान डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना समन्वयक के माध्यम से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए हैं।

2-10 M wl dshk dhjkV h lehkk cBda

डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की दो राष्ट्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित हुईं। पहली, 11-12 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (नार्म), हैदराबाद में और दूसरी 25 फरवरी 2011 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र (एनएएससी) परिसर, नई दिल्ली में। डीयूएस केन्द्रों ने इन बैठकों में अर्ध—वार्षिक तकनीकी व वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। नोडल अधिकारियों ने केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की; डीयूएस परीक्षण करने

में आने वाले विभिन्न तकनीकी मुद्राओं पर चर्चा की और इसके साथ ही किस्मों के अनुरक्षण व डीयूएस लक्षण-वर्णन, अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार-विमर्श किया। इन दो बैठकों की संक्षिप्त अनुशंसा(ए) निम्नानुसार हैं :

2-10-1 ukeL gñj kchn eäifk lehkk cBd %


- प्राधिकरण वर्ष 2007 में अधिसूचित उन प्रारंभिक 12 फसलों के डीयूएस दिशानिर्देशों की समीक्षा आरंभ कर सकता है जिनके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
- नोडल अधिकारी अपने फसल विशिष्ट अनुभव के आधार पर अन्य संदर्भ किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में भारतीय पौधा किस्म जरनल में विवरण देते हुए इनकी पैतृकता को शामिल कर सकता है।
- फसल विशिष्ट परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक का प्रजनकों (भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालय) की ओर से सम्पूर्ण आवेदन दाखिल करने तथा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) के माध्यम से प्रस्तुत करने का दायितव है।
- डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को नोडल अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किस्मगत शुद्धता बनाए रखने व अनुरक्षण प्रजनन के लिए कार्यवाही आरंभ करनी चाहिए। ऑफ टाइपों को डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने की आवश्यकता है।
- आवेदकों को पर्याप्त समय सूचित करने के लिए डीयूएस परीक्षण तथा निगरानी संबंधी सूचना दी जानी चाहिए। पूर्ण होने के पश्चात् परीक्षण सामग्री के नष्ट होने का प्रमाण पत्र पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र पर नोडल अधिकारी/परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट तथा डीयूएस परीक्षण क्रियाविधि की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।
- 'इंडस' डेटाबेस तक पहुंचने तथा आवेदन को ऑन लाइन फाइल करने की क्रियाविधि पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- डीयूएस केन्द्रों तथा परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय निगरानी को सबल व सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता है।

2-10-2 , u,, l l h i f j l j] ubZfnYh eävk k t r nWjh cBd

1. किसी संकर की पैतृक सामग्री को निम्नानुसार पंजीकृत कराया जाना चाहिए :


- बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित संकरों के पैतृक वंशक्रमों या अन्यथा रूप से वाणिज्यीकृत और आवेदन दाखिल करने की तिथि के एक वर्ष के अंदर अधिसूचीकरण, वाणिज्यीकरण की तिथि के दौरान नई किस्मों के पंजीकरण के आवेदन दाखिल किए जाने चाहिए।
- बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित संकर के पैतृक वंशक्रमों या अन्यथा रूप से वाणिज्यीकृत संकरों को जिनके पंजीकरण के आवेदन के दाखिल होने की अवधि एक वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें सामान्य ज्ञान की किस्म के रूप में दाखिल किया जाना चाहिए, यदि अधिसूचीकरण/वाणिज्यीकरण पैतृक वंशक्रम के दाखिल किए जाने की तिथि के 13 वर्ष की अवधि के अंतर्गत हो।

- पैतृक वंशक्रमों का उपयोग किसी भी उस संकर को विकसित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसे नई किस्मों के रूप में दाखिल किया गया हो।
2. वर्तमान फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों की पुनः समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्राधिकरण एक समिति गठित कर सकता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र अपने पर्यवेक्षणों को विचारार्थ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. संदर्भ किस्मों के डेटाबेस को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है और केन्द्रों से यह काम यथाशीघ्र आरंभ करने का अनुरोध किया जाता है।
4. डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को किसानों को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के अंतर्गत अपनी किस्म को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।



2-11 Hkj rhj i lk fdl e t juy

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 2(जी) के अनुसार प्राधिकरण मासिक द्विभाषी (हिन्दी व अंग्रेजी में) शासकीय जरनल भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित करता है तथा प्राधिकरण की वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) पर अपलोड करके प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य दिवस पर जन-सामान्य के लिए उपलब्ध कराता है। अधिनियम के अंतर्गत इस जरनल को राजपत्र का दर्जा प्राप्त है।



रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान ड्यूरम गेहूं (ट्रिटिकम ड्यूरम डैस्फ), डाइकोकम गेहूं (ट्रिटिकम डाइकोकम एल.) तथा अन्य ट्रिटिकम प्रजातियों, ईसबगोल (प्लांटेंगो ओवाटा फोर्स्क.), दमस्क गुलाब (रोज़ा दमासेना मिल), सदाबहार (कैथेरेंथस रोज़ियस एल.; जी.डॉन), ब्राह्मी (बैकोपा मोनिएरी एल.; पैनल) तथा नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.) के विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए। 121 ऐसी नई व विद्यमान किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े जिनके बारे में सामान्य ज्ञान है, डीयूएस परीक्षण के लिए स्वीकार किए गए तथा किसी भी संबंधित व्यक्ति / संगठन से आपत्ति, यदि कोई हो तो प्राप्त करने के लिए 131 विद्यमान अधिसूचित किस्मों को पंजीकरण के लिए स्वीकार किया गया। प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत व प्रमाण-पत्र जारी की गई 95 विद्यमान अधिसूचित किस्मों के विवरण इस जरनल में प्रकाशित किए गए ताकि लाभ में भागीदारी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा सकें। अनेक शासकीय / सार्वजनिक

सूचनाएं प्रकाशित की गई जिनमें ईवीआरसी समिति का गठन, प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने की संशोधित अवधि, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नई फसल प्रजातियों के लिए विद्यमान किस्मों के आवेदनों को प्राप्त करने की सूचना, कृषक किस्मों तथा सामान्य ज्ञान वाली विद्यमान किस्मों के आवेदन दाखिल करने के लिए समय को बढ़ाने, जन-सामान्य तथा निजी बीज कंपनियों से प्राप्त बीज परीक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नई फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क की अधिसूचना जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जन-सामान्य के हित में इस जरनल में प्रकाशित की गई।

2-12 izdk lu

फार्मर्स राइट्स तथा पीपीवी एंड एफआर ऑथिरिटी पर दो ब्रोशर तथा अधिनियम से संबंधित विभिन्न पहलुओं और पीपीवी व एफआर प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए एक पोस्टर प्रकाशित किए गए।



3 i lkjk fdLekadk jk'Vh jft LVj

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 का अनुपालन करते हुए मुख्यालय में पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इस रजिस्टर में संबंधित प्रजनकों के नाम व पतों, नाम, विशिष्टताओं, विशिष्ट गुणों आदि सहित सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों का पूरा विवरण होता है। इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत जारी की गई 3 नई किस्मों, 2 कृषक किस्मों तथा 212 विद्यमान किस्मों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक/प्रजनक को राष्ट्रीय जीन बैंक में फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में निर्धारित पैतृक वंशक्रमों के बीजों सहित बीजों अथवा प्रवर्धन सामग्री की निर्धारित मात्रा जमा करानी होती है। इस उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) के पुराने परिसर में एक पृथक राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया। एनबीपीजीआर के तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण में क्षमताओं का सृजन किया गया तथा मध्यम अवधि की भण्डारण स्थितियों और दीर्घावधि भंडारण और डीयूएस परीक्षण रिपोजिटरी के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के सच्चे (परांपरागत) नियंत्रित वातावरणीय स्थितियों के अंतर्गत सुरक्षित भंडार में रखे जा रहे हैं।

4.1 i t h d r fdLek ds cht k d k e/; l o f/k H M j . k

सभी पंजीकृत किस्मों के बीज नमूने विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई बीज कैबिनेटों में नियंत्रित जलवायु स्थितियों के अंतर्गत संरक्षित किए जा रहे हैं। तापमान 4° से 0 और अपेक्षित आर्द्धता $30\pm$ प्रतिशत रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीज लंबे समय तक कियाविज्ञानी दृष्टि से अंकुरणशील बने रहेंगे।

272 विद्यमान किस्मों (बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित) के बीज नमूने, गेहूं की दो नई प्रत्याशी किस्मों तथा 3 कृषक किस्मों जिनके लिए पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी किए गए हैं, रखे जा रहे हैं। ये बीज नमूने सुरक्षा की अवधि के दौरान रखे जाएंगे और निर्धारित अंतरालों पर इनकी जीवनशीलता की जांच की जाएगी। यदि आवश्यकता हुई तो इन बीज नमूनों का पुनर्संबलीकरण किया जाएगा अथवा प्रजनक को उनकी अपनी ही लागत पर ताजे बीज नमूने प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। बाशर्ते कि प्रस्तुत किए गए बीज नमूनों की जीवनशीलता में कमी आ गई हो। इन बीजों को उचित लेबलों के साथ उपयुक्त आकार के तीन पर्त वाले एल्यूमीनियम की पन्नी के थैलों में आपूतित (हर्मिटिकली) सील बंद किया जाता है। लेबल पर प्रत्याषी किस्म का नाम, पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई आवेदन संख्या, श्रेणी (नई/विद्यमान/सामान्य ज्ञान की किस्म/कृषक किस्म आदि), कटाई का वर्ष तथा बीज गुणवत्ता संबंधी प्राचल (नमी अंश, जीवनशीलता तथा आनुवंशिक शुद्धता) अंकित किए जाते हैं। बीज की सम्पूर्ण निर्धारित मात्रा को दो बराबर आकार के बीज पैकेटों/थैलों में प्रस्तुत करनी होती है।

1 k j . k h 4- e/; e vof/k dh H M j . k fLFkr ds vr xZ j k Vh th cSd eaH M j r i t h d r fdLek ds cht uews

o"KZ	2008&09	2009&10	2010&11
सार्वजनिक क्षेत्र	बाजरा (5), ज्वार (3), मूँग (5), उड़द (4), सेम (1), खेत मटर (8), मसूर (5), मक्का (6)	बाजरा (17), चावल (7), ज्वार (8), मूँग (12), उड़द (4), सेम (2), बागान मटर (2), मसूर (1), चपाती गेहूं (46), मक्का (14), बागान मटर (4)	चावल (10), उड़द (1), सेम (1), मक्का (15), कपास (1), बागान मटर (1)

o"Z	2008&09	2009&10	2010&11
निजी क्षेत्र	बाजरा (1), चावल (1), ज्वार (1)	बाजरा (6), कपास (5), गेहूं (2)	बाजरा (1), चावल (2), मक्का (1)
कृषक किस्म	शून्य	चावल (3)	शून्य

4.2 Mrwl ijhkk k/khu fdLekadscht k/dk vYi kof/k Hmjk.k

राष्ट्रीय जीन बैंक में उपलब्ध एक पृथक सुविधा का उपयोग डीयूएस परीक्षणाधीन प्रत्याशी किस्मों के बीजों के अल्पावधि भंडारण के लिए किया जाता है। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 19 में यह प्रावधान है कि प्रत्याशी किस्मों के बीजों को उनकी विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की पुष्टि के लिए उचित परीक्षणों को सम्पन्न करने के लिए प्रस्तुत करना होता है। नियम 29(1)(सी) में यह भी विनिर्दिष्ट है कि डीयूएस परीक्षण कम से कम दो फसल मौसमों के आधार पर खेत में तथा अनेक स्थानों पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई किस्मों, विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की किस्मों और कृषक किस्मों के मामले में आवेदक / प्रजनक को नई किस्मों तथा सामान्य ज्ञान की किस्मों के बीजों की निर्धारित मात्रा प्रस्तुत करनी होती है और प्रजनकों को बीजों की निर्धारित मात्रा के साथ—साथ डीयूएस परीक्षण व पंजीकरण शुल्क भी अदा करना होता है। बीज नमूनों को निर्धारित मात्रा के मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा आवेदक को बीज परीक्षण प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए। बीज उचित लेबल सहित उपयुक्त आकार के तीन पर्त वाले एल्यूमीनियम की पन्नी के थेलों में आपूर्ति सील बंद किए जाने चाहिए तथा बीज के लेबल पर प्रत्याशी किस्म का नाम पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा दी गई आवेदन संख्या, श्रेणी (नई/विद्यमान/सामान्य ज्ञान की किस्म/कृषक किस्म आदि), कटाई का वर्ष तथा बीज गुणवत्ता संबंधी प्राचल (नमी अंश, जीवनशीलता और आनुवंशिक शुद्धता) दर्ज होने चाहिए। पूरी बीज लॉट को 10 (नई किस्मों के लिए) या 5 (सामान्य ज्ञान की किस्म या कृषक किस्मों के लिए) बीज पैकेटों / पाउचों में समान रूप से विभाजित करके रखा जाना चाहिए। प्रतिनिधि बीज नमूने डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को भेजे जाते हैं तथा शेष को किसी आकस्मिक स्थिति के लिए रख लिया जाता है। बीज पैकेटों को डीयूएस परीक्षण की अवधि पूरी होने तक $20+2^0$ से 0 तापमान पर भंडारित किया जाता है। 31 मार्च 2011 तक 237 नई किस्मों, 105 सामान्य ज्ञान की किस्मों (पैतृक सामग्री सहित) और 25 कृषक किस्मों को अल्पावधि भंडारण के अंतर्गत रखा गया है।

4.3 iks thu csi

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीन बैंक ने प्रत्याशी किस्मों के पंरपरागत या सच्चे बीजों (उदाहरणार्थ चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, टमाटर, तोरिया—सरसों, पटसन आदि) को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पौधा किस्म के पंजीकरण के उद्देश्य से मध्यम अवधि के लिए भंडारित किया है।

तथापि फल वाले वृक्षों (जैसे नारियल, आम और नींबूवर्गीय फलों), रोपण प्रजातियों (जैसे सफेदा और पॉपलर), मसालों (काली मिर्च, अदरक और हल्दी), वाणिज्यिक प्रजातियों जैसे रबड़, रीकैल्सीट्रैट उत्पन्न करने वाली प्रजातियों (जिनके बीज प्रतिकूल स्थितियों को सामान्यतः सहन नहीं कर सकते हैं अथवा निम्न तापमान को नहीं सह पाते हैं और जिन्हें परंपरागत भंडारण स्थितियों के अंतर्गत भंडारित करना आसान नहीं है), जिन बीजों का पुनर्जनन चक्र लंबा होता है अथवा जो लैंगिक दृष्टि से वंध्य होते हैं, जो बीज होते ही नहीं हैं, या वे प्रजातियां जो सामान्यतः क्लोन से प्रवर्धित की जाती हैं (गन्ना और

आलू), इन प्रजातियों की रोपण सामग्री प्रक्षेत्र जीन बैंक में बहिस्थानी स्थितियों के अंतर्गत संरक्षित की जाती है। चूंकि आनुवंशिक संसाधनों की विविधता उनके मूल स्थान अथवा उद्भव के द्वितीयक केन्द्रों अथवा नामांकन स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में होती है, अतः संबंधित प्रजातियों को स्थानीय कृषि जलवायु वाली स्थितियों (जैसे मृदा, जल, तापमान आदि) के अंतर्गत भी सुरक्षित रखा जा सकता है, अतः इन क्षेत्रों में कार्यनीति की दृष्टि से खेत जीन बैंक स्थापित किए गए हैं।

भारत कृषि जैवविविधता से सम्पन्न है तथा अनेक कृषि फसलें/बागवानी फसलें (जैसे आम, नींबूवर्गीय फल, केला, चाय, हल्दी और अदरक) उल्लेखनीय विविधता वाली हैं। अतः 11वीं योजना के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में तीन ऐसे केन्द्रों की पहचान की है : (i) डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली (महाराष्ट्र), (ii) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (झारखण्ड) तथा (iii) डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के मशोबरा में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र।

डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण विद्यापीठ को कोंकण तटवर्ती क्षेत्र सहित पश्चिमी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियों हेतु प्रक्षेत्र जीन बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। निर्धारित की गई प्रजातियां हैं : काजू, आम, अदरक, छोटी इलायची, काली मिर्च, हल्दी आदि। इसी प्रकार, वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण बागवानी, रोपण तथा वानिकी प्रजातियों के लिए पूर्वी क्षेत्र में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में एक प्रक्षेत्र जीन बैंक स्थापित किया गया है। इन दोनों ही परियोजना ने कार्यान्वयन के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। मार्च 2011 के दौरान डॉ. वाई.एस.परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के मशोबरा स्थिति क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र में एक अन्य परियोजना आरंभ की गई है। इसका अधिदेश पहाड़ी राज्यों के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊंचे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फलों व वानिकी वृक्षों के लिए खेत जीन बैंक स्थापित करना है।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा संबंधित संस्थान दोनों ही परियोजना मोड के अंतर्गत खेत में आवश्यक बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं के सृजन हेतु दीर्घावधि के लिए उत्तरदायी हैं। चूंकि प्रक्षेत्र जीन बैंकों के कुछ कानूनी पहलू भी हैं क्योंकि यहां संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण किया जाएगा, अतः क्षेत्र (क्षेत्रों) को उचित प्रकार से बाड़ बंद किया गया है। प्रक्षेत्र जीन बैंक की सुविधाओं का उपयोग विभिन्न भौगोलिक संदर्भों के अंतर्गत जारी की गई किस्मों (संदर्भ संकलन) की रिपोजिटरी के रूप में भी किया जाएगा और उप प्रजातियों/अंतरा किस्मगत विविधता को एक ही स्थान पर संरक्षित किया जाएगा। प्रक्षेत्र जीन बैंकों में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के नमूना पौधों को भी अनुरक्षित किया जाएगा। स्रोत, पैतृकता, खेती संबंधी गुणों के लिए आकृति विज्ञानी/लैंगिक/मान, डिजिटलीकरण तथा डेटाबेस प्रबंध से आवेदक की किस्मों के डीयूएस परीक्षण के दौरान विशिष्टता के वर्णन में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इससे तकनीकी—कानूनी मुद्दे भी हल होंगे और विवादों का निपटारा भी होगा। किस्मों को विभिन्न निर्धारित स्थलों से एकत्रित किया जा रहा है तथा मात्र रोपण सामग्री का आईपीजीआरआई (अब बायोवर्सिटी इंटरनेशनल) का उपयोग करके लक्षण—वर्णन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उच्च घनत्व वाली रोपाई और इष्टतम पैकेज के साथ बागवानी प्रबंध की आधुनिक विधि का पालन किया जाएगा।

4-3-1 MWckyklkgc1kordkd.kdf'kfo|kihb]nikyheasik[sthu c[% 'सजीव रिपोजिटरी के माध्यम से फल तथा रोपण फसलों व वृक्ष प्रजातियों के वर्णनों के संकलन, अनुरक्षण, मूल्यांकन

व विकास' शीर्षक की परियोजना का कार्यान्वयन डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली में किया जा रहा है। संदर्भ किस्मों/डीयूएस परीक्षण ब्लॉक/जीन बैंक ब्लॉक का साइट प्लान तैयार कर लिया गया है तथा अदरक, छोटी इलायची, काली मिर्च, हल्दी आदि के लिए भूमि की तैयारी का काम पूरा हो चुका है।

आम, नींबूवर्गीय फलों, अदरक, हल्दी तथा काली मिर्च के लिए संदर्भ किस्म ब्लॉक स्थापित किया गया। 14 स्थानों से 17 किस्में एकत्रित की गईं जो इस प्रकार हैं : एल्फांसो (वेन्चुर्ले, दपोली, देवगढ़), सिंधु, रत्ना (रुखी), नीलम (वाकावली), पियारी, निरंजन (औरंगाबाद), तोतापुरी, फेर्नांडिना (दिचौली, म्हाप्सा, सतारी, कोडर), मनखुर्द, गोआंकुर, राजपुरी, केसर (जूनागढ़), बारहमाशी, पेद्दार्सम (इलाहाबाद), चिन्नारसम (मेडक), बंगनपल्ली, हिमायतपसंद (संगरुड्डी)। कुछ डीयूएस विवरणों के लिए मातृ पौधे का लक्षण—वर्णन किया गया। मूलवृत्त डंडियां खरीदी गईं तथा एक सामान्य बहु—भूणीय रुट स्टॉक नामतः 'विल्लेकोलंबन' जो स्थानीय रूप से अनुकूलीकृत है, पर संदर्भ किस्म ब्लॉक में इनका संरक्षण किया गया। सामान्य बहु—भूणीय मूलवृत्त पर आम की किस्मों की कलम लगाने के लिए नर्सरी स्थापित की गई। 'विल्लेकोलंबन' की 250 पौदें नर्सरी में उगाई गईं। 150 विल्लेकोलंबनी मूलवृत्त 3 मी \times 3मी 0 के अंतराल पर जीन बैंक में स्थापित किए गए।

हल्दी की 8 किस्में नामतः कृष्णा, सांगली, फूलेस्वरुपा, राजापुरी, टेकुरपेठा, सेलम (वाई, सतारा), वैगाओन, वैगाओन सलेक्शन (अकोला) तथा कडप्पा (वास्मेट) 5 स्थानों से एकत्रित की गई। अदरक की 5 किस्में नामतः महीम (कन्नड़), गोदरा (नागथाने), मारन (अतित), औरंगाबादी (भाटमरैल) और सतारी 5 स्थानों से एकत्रित की गई। हल्दी और अदरक की इन किस्मों को नारियल के बागों में संदर्भ किस्म ब्लॉक में रोपा गया। काली मिर्च की 15 किस्में नामतः पेनियूर 1–7, श्रीकारा, पंचमी, शुभकारा, पौरनामी, गिरीमुंडा, मालाबार लोकल, शक्ति, थेवम काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, पेनियूर तथा पेरुवन्नामुझी (केरल) स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के फार्म से एकत्रित की गई तथा इन्हें संदर्भ किस्म ब्लॉक में रोपा गया। इलायची की नौ किस्में नामतः एमएचसी 1, आरआरआई, एनकेई 12, सीसीएस 1, आईसीआरआई 1, आईसीआरआई 2, आईसीआरआई 3, आईसीआरआई 5 और आईसीआरआई 7 अप्पनगाला स्थित इलायची अनुसंधान केन्द्र तथा माइलादुमपारा स्थित भारतीय इलायची अनुसंधान

संस्थान से एकत्रित की गई ताकि इन्हें संदर्भ किस्म ब्लॉक में रोपा जा सके।

नींबूवर्गीय फलों की किस्में नामतः नागपुरी मेंडारिन, मौसम्बी, कागजी लाइम और सीडलैस लैमन नागपुर तथा दपोली से एकत्रित की गई तथा इन्हें संदर्भ किस्म ब्लॉक में रोपा गया। सदर्भ किस्म तथा खेत जीन बैंक ब्लॉक स्थापित करने के लिए भूमि की सफाई की गई। काउंटर टैरेस बनाए गए, खाका तैयार किया गया और संबंधित ब्लॉकों में पौधे रोपे गए। घड़ा तथा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। आवश्यक बाड़बंदी भी की गई है तथा खेत प्रयोगशाला भवन के लिए निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है।



4-4-2 fcjl k df'k fo' ofo | ky;] jkph es iks- t hu cfd % पूर्वी भारत की पारिस्थितिक प्रणाली के लिए स्वस्थाने संकलन के अंतर्गत फल वृक्षों तथा औषधीय पौधा किस्मों के लिए दीर्घ रिपोजिटरी का अनुरक्षण शीर्षक की परियोजना 2009 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में आरंभ की गई। इस केन्द्र को जिन फसलों का अधिदेश सौंपा गया वे हैं, आम, आंवला, अनन्नास, अमरुद, बांस, नींबूवर्गीय फल तथा केला (पूर्वी क्षेत्र)। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण फलदार फसलों के लिए विवरणों के परिशोधन/विकास के अतिरिक्त पंजीकृत/उदाहरण/कृषक किस्मों की सजीव रिपोजिटरी स्थापित करने/उसका अनुरक्षण करना तथा आकृति विज्ञानी लक्षण वर्णन हेतु डीयूएस मानदंडों का उपयोग करके पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण किस्मों का मूल्यांकन करना है। परियोजना के आरंभिक वर्ष में मूल बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं (भूमि का विकास, भूमि का समतलीकरण, बाड़बंदी, अस्थायी जल स्रोतों का सृजन आदि) विकसित की गई। इसके अतिरिक्त लोहे का गेट तथा संतरी कक्ष तैयार किया गया जिसमें छोटे फार्म उपकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। विभिन्न फलदार फसलों और उनके मूलवृत्त से संबंधित रोपण सामग्री विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित की गई। आम की कलमों की सफलता की दर बहुत कम रही, अतः पुनः कलम लगाने का प्रयास किया गया। नींबूवर्गीय फलों तथा केलों की प्रजातियों का संकलन अच्छा निष्पादन कर रहे हैं। बीजहीन नींबू के 6 संकलनों को भी शामिल किया गया है। अमरुद की रोपाई जुलाई—अगस्त 2011 में की जाएगी। इस जीन बैंक की प्रमुख उपलब्धियां हैं :



- आज की तिथि तक प्रक्षेत्र जीन बैंक के लिए 13 एकड़ का क्षेत्र निर्धारित किया जा चुका है तथा आवश्यकता के अनुसार और अधिक क्षेत्र अधिग्रहीत किया जा सकता है। आम डीयूएस ब्लॉक, खेत जीन बैंक और केला तथा अमरुद के लिए संदर्भ ब्लॉक हेतु 8 एकड़ के क्षेत्र की बाड़बंदी की गई है। बीएसी साबौर (राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), बागवानी विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय; बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (लखनऊ); खेत अनुसंधान केन्द्र, संगारेड्डी तथा अन्य स्थानों से आम मूलवृत्त की 44 किस्में खरीदी गई हैं तथा डीयूएस परीक्षण के लिए इनकी स्व:-स्थाने कलमें लगाई गई हैं।
- नागपुर स्थित राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र से खट्टा नींबू, मीठे संतरे तथा नागपुरी संतरे के 25 संकलन खरीदे गए हैं तथा इन्हें नींबूवर्गीय फलों के डीयूएस ब्लॉक में रोपा गया है।
- बड़ापानी, शिलांग से 31 खासी मेंडारिन खरीद कर डीयूएस ब्लॉक में रोपे गए हैं।
- केला अनुसंधान केन्द्र, हाजीपुर तथा बागवानी विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची से केले की 31 किस्मों को संकलित करके डीयूएस ब्लॉक में रोपा गया है।

5

ubZQl y i^z kfr; kadsfy, M^r wl ijh^kk fn' kfun^Zksadk fodkl

5-1 2010&11 ds nl^gku i^js fd, x, M^r wl ijh^kk fn' kfun^Zk

दो मसाला फसलों, 8 सब्जियों, 2 पुष्टीय फसलों, 9 तिलहनी फसलों तथा 1 फल फसल के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए गए तथा पौधा किस्म पंजीकरण आरंभ करने के लिए फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश फसल विशिष्ट निदेशालयों/केन्द्रों द्वारा विकसित किए गए तथा इनकी समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई। प्राधिकरण ने भी ट्रिटिकम ड्यूरम, टी. डाइकोकम तथा ट्रिटिकम प्रजाति (एस्टाइवम, ड्यूरम तथा डाइकोकम), नारियल बारहमासी (कैथेरेंथस रोजेयस), ब्राह्मी (बैकोपा मोनेरी), गुलाब (रोजा-डेमासेना), ईसबगोल (प्लेंटेगो ओवाटा) और पुदीना (मेंथस आर्वेन्सिस) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए तथा इन फसल प्रजातियों को पंजीकरण का पात्र बनाने हेतु एक प्रस्ताव कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

5-2 u, M^r wl ijh^kk fn' kfun^Zksadk fodkl g^rqi f^j; kt uk a

वर्ष 2009–10 के दौरान प्राधिकरण ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नई फसल प्रजातियों डीयूएस विवरणों, दिशानिर्देशों के विकास एवं सत्यापन कृषक किस्मों के प्रलेखन और संबंधित मुद्राओं के लिए परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु करंट साइंस में एक खुला विज्ञापन प्रकाशित किया। इसके प्रत्युत्तर में प्राधिकरण को अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए और इन प्रस्तावों की जांच के बाद, समीक्षा करके इन्हें डॉ. बी.एल.जलाली के अध्यक्षता में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप अनेक नई परियोजनाएं आरंभ की गई तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई (अनुबंध 4)। इन परियोजनाओं की संरथानवार प्रगति निम्नानुसार है :

5-2-1 ou vkuqf' kdh rFkk o{k i^z uu l Fku 1/1bZ Qt Hwlohp dk EcUkjv % कैसूरीना तथा सफेदा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन परियोजना का उद्देश्य दो वन्य फसलों नामतः कैसूरीना तथा सफेदा के लिए डीयूएस परीक्षण प्रक्रिया का विकास करना है। परियोजना की प्रथम प्रावस्था के परिणामस्वरूप इन दोनों प्रजातियों के विवरणों की सूची का मसौदा तैयार किया गया तथा डीयूएस परीक्षणों के लिए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए गए। चूंकि दोनों ही फसलें सम्यक (एलोगैमस) प्रजाति की हैं। अतः आईएफजीटीवी में इनके केवल वानस्पतिक रूप से प्रगुणित क्लोनीय संकलन ही उपलब्ध हैं और इनके ही विवरण तैयार करने पर विचार किया गया। जैसा कि प्राधिकरण द्वारा चाहा गया था, वर्तमान प्रावस्था में मसौदा विवरणों का देश में उपलब्ध अन्य संगठनों के क्लोनों के साथ सत्यापन किया जाएगा। ये संगठन हैं : कागज उद्योग, विश्वविद्यालय, वन विभाग तथा अनुसंधान संस्थान।

18 विभिन्न प्रोवेनेंसिस से युकेलिप्टस कैमलडुलेंसिस और ई.टैरेटिकोर्निस के लगभग 100 क्लोन जो 2 पर्यावरणों में रोपे गए थे, अध्ययन के अंतर्गत लाए गए, ताकि इनके स्थायी डीयूएस गुण विकसित किए जा सकें। यूकेलिप्टस के बहुस्थानिक क्लोनीय परीक्षणों से पत्ती, छाल, बाखा तथा प्रजननशील अंगों के डीयूएस विवरण के रूप में लगभग 31 गुण प्रदर्शित हुए। छाया विश्लेषक के माध्यम से पत्ती की

आकृतिविज्ञानी विविधताएं पर्यवेक्षित की गई तथा इन्हें चरणबद्ध तरीके से कैनोनिकल विभेदनशील विश्लेषण के अंतर्गत लाया गया जिससे 100 क्लोनों में लगभग 89.1 प्रतिशत और 69 क्लोनों में 50 प्रतिशत विभेद पाया गया। वृक्ष की छाल से संबंधित गुण जैसे छाल के छिलके की किस्म, छिलके का रंग तथा शाखा की किस्म स्थान तथा मौसम के अनुसार जांचे गए। छाल के रंग के अतिरिक्त पर्यवेक्षित किए गए अन्य सभी गुण स्थायी थे। इनमें से 12 विवरणों को उच्च विभेदनशील क्षमता वाला पाया गया।

कैसूरीना के मामले में आंध्र प्रदेश वन विभाग के अनुसंधान खंड (राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश), कर्नाटक वन विभाग (होसकोटे, बैंगलुरु) तथा तमिल नाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड (करुर, तमिल नाडु) में रखे गए क्लोन संकलनों का विवरणों के लिए सत्यापन किया गया। अब तक दो प्रजातियों नामतः कैसूरीना इक्वीसेटिफोला तथा सी.जंघूहिरयाना के 120 क्लोनों का मूल्यांकन किया जा चुका है। चूंकि सभी क्लोनों में एक साथ फूल नहीं खिलते हैं, अतः इनके वानस्पतिक तथा प्रजनन संबंधी, दोनों प्रकार के गुणों के मूल्यांकन के लिए कई बार स्थल का दौरा करना आवश्यक है। इनमें से कुछ क्लोनों को मसौदा दिशानिर्देशों में पहले से ही वर्णित किया जा चुका है, लेकिन इन्हें विभिन्न पहचान के साथ ज्ञात किया गया है। विभिन्न संगठनों द्वारा रखे जाने वाले क्लोनों की उचित पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, ताकि उनका ठीक-ठीक से सत्यापन किया जा सके।

5-2-2 dShz vlskjh , oal xahj i ksk l Afku ¼ hvkbZe, i hky y [kuÅ %सीआईएमएपी, लखनऊ डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास तथा औषधीय, सगंधीय तथा बीज प्रजातियों में प्रयोगशाला तथा खेत सुविधाओं, डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के सबलीकरण शीर्षक की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

इस केन्द्र का अधिदेश 5 फसल प्रजातियों नामतः मेंथाल पुदीना (मेंथा एर्वेन्सिस), बारहमासी (कैथेरेंथस रोजियस), अश्वगंधा (विथानिया सोमनीफेरा), दमस्क गुलाब (रोज़ा दमासेना) और ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी) पर कार्य करना है। किस्मों की सूची नीचे दी गई है:

1 kj . kh 5% fdLek dh 1 ph

Ql y it kfr; ka	fdLek ds uke
मेंथॉल पुदीना (मेंथा एर्वेन्सिस)	कोसी, एमएस 1, कालका, शिवालिक, गोमती, संभव, हिमालय, सकासम, कुशल, सीआईएमएपी सरयू
बारहमासी (कैथेरेंथस रोजेयस)	धवल, निर्मल, प्रबल
ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी)	सीआईएम-जागृति, सुबोधक
दमस्क गुलाब (रोज़ा दमासेना)	रानी साहिबा, नूरजहां, अलीगढ़, कन्नौज
अश्वगंधा (विथानिया सोमनीफेरा)	पोषिता, सीडब्ल्यूएस 81



dShz vlskjh , oal xahj i ksk l Afku ¼ hvkbZe, i hky y [kuÅ %सीआईएमएपी, लखनऊ डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास तथा औषधीय, सगंधीय तथा बीज प्रजातियों में प्रयोगशाला तथा खेत सुविधाओं, डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के सबलीकरण शीर्षक की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

अधिदेशित फसलों की संदर्भ किस्में अनुरक्षित की जा रही हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान मेंथार्विन्सिस के फील्ड परीक्षण किए गए हैं और डीयूएस विवरण संबंधी सूचना रिकॉर्ड की गई है। मेथा के लिए



i phuk dh fdLea

13 विवरणों का उपयोग किया गया, जैसे पौधे का बढ़वार स्वभाव, पौधे की ऊँचाई, तने पर एंथोसियानिन रंजकता, पत्ती: तने के ताजे भार का अनुपात, पत्रदल की लंबाई, पत्रदल की चौड़ाई, पत्ती रोमिलता (ऊपर की ओर), पत्ती पर हरे रंग की गहनता, कोरों का पत्ती एंथोसियानिन रंग, पत्रदल की कोरें तथा सुगंधित तेल अंश (प्रतिशत)।

5-2-3 vlsk/kh; rFkk l xakk; i kskvud alku funs kky; ॥M, e, i hukj ॥ vku॥ %डीयूएस परियोजना में कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पैनिगुलेटा (बर्म एफ.) वाल.एक्स. नेस) तथा गुग्गल (कैमीफोरा विघटी (ओर्नेट) भंडारी) को डीयूएस विवरणों के विकास के लिए लिया गया तथा ईसबगोल (प्लेटेगो ओवाटा) की संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण किया गया। खरीफ 2010 के दौरान कालमेघ के पौधे उगाए गए तथा 7 गुणों (पौधे की बढ़वार प्रवृत्ति, पत्ती की आकृति, पत्ती की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, पत्ती का रंग, पत्ती का प्रकार, शाखा का कोण, पुष्प क्रम की किस्म) की पहचान की गई। गुग्गल में 73 प्रविष्टियां (गुजरात से 47 और राजस्थान से 26) जो डीएमआरएपी में अनुरक्षित की गई थीं, विवरणों के विकास के लिए उपयोग में लाई गई। कुल 61 मादा, 9 नर तथा 13 उभयलिंगी थे। राजस्थान से प्राप्त सभी प्रविष्टियां मादा थीं। पौधे की संरचना के आधार पर तीन मुख्य प्रकारों की पहचान की गई, नामतः सीधे, अर्ध-सीधे, झुके हुए (फैले हुए), पौधे की ऊँचाई, पौधे के फैलाव, द्वितीयक शाखाओं की संख्या, द्वितीयक शाखाओं के व्यास, प्रति शाखा नाड़ियों की संख्या तथा शाखाओं के प्रति मीटर पर फलों की संख्या के आधार पर प्रविष्टियों की छंटाई की गई।



bZ cxky ds iz uu Iykwadk vuq{k k

रबी 2010 के दौरान ईसबगोल की 11 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण किया गया तथा 9 डीयूएस विवरणों नामतः पत्ती के रंग, पत्ती तारुण्यता, पत्ती की चौड़ाई, पौधे के बढ़वार स्वभाव, परागकोष की दिखावट, शूकियों की व्यवस्था, शूकी पुष्पवृत्त, पुष्पवृत्त की अक्ष, शूकियों पर पुष्पों की अवस्था के लिए इनका लक्षण-वर्णन किया गया।

5-2-4 jkVh; cht el kyk vuq alku dkh; vt ej % रिपोर्टधीन अवधि के दौरान हरियाणा, तमिल नाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 24 धनिया (कोरिएंड्रम सेटाइवम एल.) के बीज नमूने एकत्र किए गए। किसमगत लक्षण-वर्णन के लिए निम्नलिखित

डीयूएस विवरणों का उपयोग किया गया : अंकुरण के दिन, अगेती पादप पुष्टता, पत्ती की कोर, पत्ती का आकार, पत्ती का रंग, पर्णवृत्त सहित सबसे लंबी आधार पत्ती की लंबाई (सें.मी.), आधार पत्तियों की संख्या, सबसे लंबी आधार पत्ती का स्वभाव, उप पत्तियों की संख्या, पत्तियों की चमक, तना निकलने के दिनों की संख्या (गणना), तने पर धारियां, तना तारुण्यता, तने का रंग, पंखुड़ी का रंग, नर पुष्पों की तुलना में उभयलिंगी पुष्पों का अनुपात, पौधे की ऊंचाई, प्रति पौधा प्राथमिक शाखाओं की संख्या, द्वितीय शाखाओं की संख्या, मुख्य एम्बल पर अम्बलेट की व्यवस्था, प्रति पौधा एम्बल की संख्या, प्रति पौधा एम्बलेट की संख्या, प्रति एम्बल फल की संख्या, प्रति पौधा बीज उपज (5 पौधों के आधार पर), 1000 बीजों का भार, बीज का रंग, बीज की आकृति और बीज का आकार।



5-2-5 dShz dn Ql y vuq alku l LFku] fr: ourige % उष्णकटिबंधीय कंद फसलों कसावा और शकरकंद के लिए डीयूएस परीक्षण मानदंडों का विकास तथा किस्मगत जीन बैंक की स्थापना का कार्यान्वयन केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम में किया जा रहा है और इसका नोडल केन्द्र भुवनेश्वर में है।

- कसावा में 16 किस्मों का एक प्रतिकृति परीक्षण में लक्षण—वर्णन किया गया और 55 विवरण (34 आकृतिविज्ञानी तथा 21 मात्रात्मक गुण) विकसित किए गए। तने के 9, पत्ती के 11, पुष्पों के 5 तथा कंद के 19 गुण रिकॉर्ड किए गए। इसके अतिरिक्त 11 विशेष गुण जैसे जैव-रासायनिक वैज्ञानिक गुण तथा अन्य भी रिकॉर्ड किए गए। किस्मों के समूहीकरण के लिए छह गुणों में शामिल हैं: तने का प्रमुख रंग, उभरती हुई पत्ती का रंग, पर्णवृत्त का रंग, कंद की आकृति, कंद के गूदे के मध्य भाग का रंग तथा कंद के गूदे का रंग।
- शकरकंद के मामले में 55 विवरणों (32 आकृतिविज्ञानी तथा 13 मात्रात्मक) के लिए 35 किस्मों का मूल्यांकन किया गया। 17 गुण पुष्प से संबंधित थे, 16 प्ररोह से संबंधित, 16 कंद से संबंधित तथा 4 विशेष गुण थे, जिन्हें रिकॉर्ड किया गया।



'kdj dn ds dn ejak vls' 'kDy eafofoekrkrk'


किस्मों के समूहीकरण के लिए जिन गुणों की पहचान की गई उनमें शामिल हैं प्रमुख लता का रंग, पत्ती की आकृति, वर्तिकाग्र का बाहर निकलना, पंखुड़ी की आकृति, कंद के छिलके का रंग तथा कंद के गूदे का रंग, अधिकांश शक्रकंद किस्मों के पौधे फैलावदार पाए गए जबकि गौरी और कंजनगड़ के पौधे अर्ध ठोस स्वरूप वाले थे।

5-2-6 d^hh^k; 'k^rk^s. k ckxokuh l AFku] Jhuxj % सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम, खुबानी और चेरी के लिए भारतीय स्थितियों के अंतर्गत डीयूएस अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन शीर्षक की डीयूएस परियोजना 2009 से निम्नलिखित उद्देश्यों से संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जा रही है : (i) डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मानकीकरण, सत्यापन तथा मूल्यांकन, (ii) विविधता की सीमा का लक्षण—वर्णन और (iii) इन फलों पर राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास।

सेब की 88 किस्मों/कल्टीवरों/जननद्रव्य/भू-प्रजातियों/चयनों/मूलवृतों का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा उन्हें जननद्रव्य ब्लॉक में रखा गया है। वानस्पतिक बढ़वार, वृक्ष के स्वभाव, पुष्पन, फल लगने के गुण, फल से



संबंधित आंकड़े तथा गुणवत्ता संबंधी कुछ प्राचलों को सेब के मामले में रिकॉर्ड किया जा रहा है। सेब के 10 मूलवृत तथा मैलस बैकाटा प्रविष्टियों के नौ मूलवृतों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सेब तथा नाशपातीयों के विवरण का श्रीनगर की स्थिति के अंतर्गत मूल्यांकन किया जा रहा है। सेब और नाशपाती के विवरणों को तैयार करने के लिए अन्य समूहीकरण हेतु एक वर्ष तक रिकार्ड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्र में सेब की 204 तथा नाशपाती की 35 किस्में रखी जा रही हैं।



अखरोट की 85 से अधिक जीनप्ररूप/किस्में तथा बादाम की सभी किस्मों का आरएपीडी रिपिड



एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए) तथा एसएसआर (सिंगल सीवेंस रिपीट्स) मार्करों का उपयोग करके आण्विक आधार पर लक्षण—वर्णन किया जा रहा है। खुबानी के कुल 54 तथा चेरी की 26 किस्मों/जननद्रव्य/भू-प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया तथा खुबानी के लिए 40 विवरणों को तैयार करके उन्हें जननद्रव्य ब्लॉक में अनुरक्षित किया गया है। इसी प्रकार, आईपीजीआरआई (अब बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल) के अनुसार चेरी के लिए 21 विवरणों को सूचीबद्ध किया गया है और इनका उपयोग किसमगत मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है।

5-2-7 H²J rh el kyk vuq alku

1 AFku] dkt hdkM % मसालों के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र की स्थापना परियोजना भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोजीकोड में कार्यान्वित की जा रही है तथा इसके समन्वयन केन्द्र उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी (अदरक और हल्दी के लिए) तथा भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, म्यालादुमपारा; काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, हेरावनाड (काली मिर्च के लिए) में हैं। अधिदेशित फसल मसाले हैं अदरक, हल्दी, काली मिर्च तथा छोटी इलायची। अदरक की 28 संदर्भ किस्मों, हल्दी की 35 संदर्भ किस्मों, छोटी इलायची की 21 संदर्भ किस्मों तथा काली मिर्च की 15 संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन किया गया है। अदरक के मामले में किस्मों का 13 डीयूएस विवरणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया और इसके घन कंदों (राइज़ोम) के गुणों का मूल्यांकन फसल की कटाई के बाद किया जाएगा। हल्दी के मामले में 24 डीयूएस विवरणों के आंकड़े लिए गए।



5-2-8 jKVH uhrwxtz Qy vuq alku dShz ulxi j % सिट्रस (सिट्रस रेटिकुलेटा, सी. साइनेसिस और सी.ओरांटिफोलिया) के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना शीर्षक की डीयूएस परियोजना नींबूवर्गीय फल के राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर में कार्यान्वित की जा रही है और इसके अंतर्गत अधिदेशित फसलें हैं : (i) नागपुरी संतरा (सी.रेटिकुलेटा), (ii) कुर्ग संतरा (सी.रेटिकुलेटा), (iii) खासी संतरा (सी.रेटिकुलेटा), (iv) मौसम्बी (सी. साइनेसिस), (v) सतगुडी (सी.साइनेसिस) और (vi) कागजी नींबू (ओरांटिफोलिया) सिट्रस के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कुल 14 मुख्य गुणों (पत्ती का आकार, पर्णवृत्त पंखों की अनुपस्थिति/उपस्थिति, स्त्रीकेसरों की संख्या, फलन का मौसम, फलों का भार, फलों का आकार, फल आधार की आकृति, फल की नोंक की आकृति, फल की सतह की बनावट, गूदे का रंग, एंडोकार्प में रस का अंश, कुल घुलनशील ठोसों/अम्ल का अनुपात तथा बीजपत्र का रंग) सिट्रस की छह वाणिज्यिक किस्मों (नागपुरी संतरा, खासी संतरा, कुर्ग संतरा, सतगुडी, मौसम्बी तथा कागजी नींबू) के लिए सभी मौसमों में रिकॉर्ड किए गए।

5-2-9 jKVH vWM vuq alku dShz fl fDde % इस परियोजना में सामान्य विवरणों का उपयोग करते हुए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु डेंड्रोबियम के 14 संकरों तथा वांडा के 9 संकरों का मूल्यांकन किया गया। कैम्बीडियम में 66 गुणों में से छदम बल का आकार, पुष्पवृत्त की लंबाई, पुष्पों की संख्या, पुष्प की चौड़ाई, पुष्प की अवधि, पुष्प का प्रमुख रंग, ओष्ठ की अलंकारिकता, फूल खिलने का समय, डेंड्रोबियम में 66 गुणों में से पौधे की ऊंचाई, अंतरगांठ की लंबाई तथा संख्या, पुष्पवृत्त की लंबाई, पुष्प की चौड़ाई, ओष्ठ का रंग



तथा अलंकारिकता और पुष्पन का समय; तथा वांडा में 73 गुणों में से पौधे का प्रकार, अंतरगांठ की लंबाई, पत्ती का प्रकार, शूक की लंबाई, पुष्पों की संख्या, पुष्पक्रम का रंग, अंखुड़ी व पंखुड़ी की अलंकारिकता, ओष्ठ की आकृति, रंग तथा अलंकारिकता, कंटक की लंबाई तथा पुष्पन का समय जैसे गुणों का उपयोग प्रजातियों और संकरों के समूहीकरण के लिए किया गया। कैम्बीडियम, डैंड्रोबियम तथा वांडा के पहचाने गए संकरों के लक्षण—वर्णन तथा डिजिटलीकरण का कार्य भी पूरा किया गया।



5-2-10 Hkj rh ckhokuh vuq alku l LFku] cxyq %राष्ट्रीय रिपोजिटरी की स्थापना संस्थान की एक महत्वपूर्ण डीयूएस परियोजना है। गुलाब की विदेशी और भारतीय, दोनों किस्मों के 115 संकलन एकत्र किए गए। गुलाब रिपोजिटरी को खुले खेतों तथा संरक्षक कृषि के अंतर्गत, दोनों प्रकार की स्थितियों में स्थापित किया गया है। किस्मों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है, नामतः संरक्षित कृषि के लिए लंबे डंठल वाले गुलाब, खुले खेत में उगाए जाने के लिए छोटे डंठल (खुले फूल) वाले गुलाब तथा बागानों में प्रदर्शन के लिए गुलाब। 45 किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षण—वर्णन तथा डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। डिजिटल रिपोजिटरी में संदर्भ किस्म के सभी दृष्टव्य गुण हैं, साथ ही पर्यवेक्षण के अधीन प्रत्येक गुण के लिए अवस्थाओं को तुलनात्मक रूप में भी देखा जा सकता है।



5-2-11 VkylobZi k, kxd dJh t kjgV] vle %चाय (कैमेलिया साइनेसिस और सी.असमिका) के मूल्यांकन तथा डीयूएस विवरणों के विकास के लिए चाय की किस्मों का पंजीकरण तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास हेतु चाय के गुण वर्णनों के मूल्यांकन की परियोजना टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, टी रिसर्च एसोसिएशन, जोरहट, असम में आरंभ की गई है।

साधारण चाय की 31 किस्में तथा दार्जलिंग पहाड़ियों की 27 किस्में विकसित की गई हैं तथा वाणिज्यिक रोपाई के लिए टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट द्वारा जारी की गई हैं (सारणी 6)। डीयूएस अध्ययनों के लिए टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, नागरकाटा, पश्चिम बंगाल में क्लोनों को चिह्नित किया गया है। किस्मों का 14 आकृतिविज्ञानी गुणों नामतः परिपक्व पत्ती की आकृति, पत्ती की नोक की आकृति, पत्ती की नोक का स्वभाव, पत्ती पर नाड़ियों का फैलाव, पत्ती की सतह पर मोमियापन, पर्णवृत का रंग, शाखा का कोण, पत्ती का कोण आदि के लिए लक्षण—वर्णन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष आकृतिविज्ञानी गुणों की भी पहचान की गई है।

1 kj. kh 6- nkukadkhay{k k&of. k- fdLeLekad h l ph

Ø l a	fdLe dkM	fdLe dk uke	Ø l a	fdLe dkM	fdLe dk uke
1.	टीवी 1	बैनोकबर्न 157	17	टीवी 17	तुकदाह 246
2.	टीवी 2	बैनोकबर्न 668	18	टीवी 18	रुंगली रुंगलीओट 4/5
3.	टीवी 3	बैनोकबर्न 777	19	टीवी 19	लिंगिया 12
4.	टीवी 4	तुगदाह 78	20	टीवी 20	फूब्सेरिंग 1404
5.	टीवी 5	तुगदाह 135	21	टीवी 21	कोपाटी 1/1
6.	टीवी 6	तुगदाह 383	22	टीवी 22	बालासन 9/3/76
7.	टीवी 7	फूब्सेरिंग 312	23	टीवी 23	तीसता वैली 1
8.	टीवी 8	फूब्सेरिंग 1258	24	टीवी 24	सिकिम 1
9.	टीवी 9	हैपी वैली 39	25	टीवी 25	बादामताम 15/263
10.	टीवी 10	सीपी 1	26	टीवी 26	थुर्बॉ 3
11.	टीवी 11	रुंगली रुंगलिओट 17/144	27	टीवी 27	थुर्बॉ 9
12.	टीवी 12	एवी 2	28	टीवी 28	
13.	टीवी 13	बालासन 7/1ए/76	29	टीवी 29	
14.	टीवी 14	सुंदरम बी/5/63	30	टीवी 30	
15.	टीवी 15	तुकदाह 145	31	टीवी 31	
16.	टीवी 16	तुकदाह 253			


5-2-12 o"kJou vuq alku l LFku] t kjgV %मार्च 2011 के दौरान डैन्ड्रोकलेनस हेमिल्टोनी तथा बैम्बूसा बालकोआ में विविधता के लिए जननद्रव्य की स्थापना शीर्षक की परियोजना आरंभ की गई तथा इसे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट, असम में कार्यान्वित किया जाएगा।

5-2-13 fgeky; h ou vuq alku l LFku]
 f' keyk %नीडिल की लंबाई तथा रंग छाल तथा शाखन का पैटर्न, शंक्व का आकार व आकृति, क्राउन का स्वरूप, जैसे गुणों के संदर्भ में पाइनस रॉक्सबर्गी तथा सैड्रस डेवडारा में विशिष्ट गुणों की पहचान व उन्हें परिभाषित करने की परियोजना है। इस केन्द्र ने देवदार तथा चीड़ प्रजातियों की तीन जनसंख्याओं का सर्वेक्षण किया है तथा ऐसे व्यक्तिगत वृक्षों की पहचान की है जिनमें नीडिल के रंग व आकार, छाल के रंग तथा आकार और क्राउन के स्वरूप के संदर्भ में विशिष्टता देखी गई है।



5-2-14 d^hl 'k^d ckxokuh l ^lFku] chdkuj% इस केन्द्र ने भा.कृ.अ.सं. के विभिन्न संस्थानों //राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से खरबूजे की 11 जारी की गई किस्मों (अर्क जीत, अर्क राजहंस, आरएम 43, आरएम 50, एमएचवाई 3, एमएचवाई 5, दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, पूसा मधुरस, पूसा शर्बती और जीएमएम 3) तथा तरबूज की 9 किस्मों (चाल्सटन ग्रे, दुर्गापुरा लाल, आर डब्ल्यू 187-2, असाही यामातो, सुगर बेबी, अर्क माणिक, एएचडब्ल्यू 19, एएचडब्ल्यू 65 तथा थार मानक) का संकलन किया है। सभी किस्मों के बीज सभी सहयोगी केन्द्रों में बांटे गए हैं। एकत्रित किए गए सभी बीजों को फरवरी 2011 में बोया गया। मार्च 2011 तक इन किस्मों का विभिन्न आकृति विज्ञानी गुणों (बीज तथा पत्ती के गुणों) के लिए डीयूएस परीक्षण हेतु लक्षण-वर्णन किया गया है। उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

- खरबूजे में बीज का रंग सफेद (अर्क जीत, अर्क राजहंस, काशी मधु, पूसा मधुरस), क्रीम जैसा पीला (जीएमएम 3, आरएम 43, दुर्गापुरा मधु) तथा पीला (पूसा शर्बती) था। 100 बीजों का भार अर्क जीत में 1.75 ग्राम से लेकर आरएम 50 में 4.02 ग्रा. था। बीजपत्र के हरे रंग की गहनता हल्की (एमएचवाई 3, आरएम 50) मध्यम (दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, पूसा शर्बती) तथा गहरी (अर्क जीत) थी। बीजपत्र की लंबाई अर्क जीत के मामले में 2.49 सें.मी. से लेकर आरएम 50 के मामले में 4.47 सें.मी. थी। पत्रदल की गहनता हल्की (आरएम 43), मध्यम (अर्क जीत, दुर्गापुरा मधु) तथा गहरी (काशी मधु, पूसा शर्बती, पूसा मधुरस) थी।
- तरबूज के मामले में आरडब्ल्यू 187-2 के बीज का रंग समरूप सफेद था। सर्वाधिक बीज लंबाई चाल्सटन ग्रे में पाई गई (1.25 सें.मी.) और न्यूनतम बीज लंबाई अर्क माणिक की थी (0.68 सें.मी.)। 100 बीजों का भार अर्क माणिक में सबसे कम 3.77 ग्रा. था जबकि थार मानक के मामले में सबसे अधिक 10.44 ग्रा. था। बीजपत्र की लंबाई दुर्गापुरा लाल के मामले में 2.46 सें.मी. थी जबकि सबसे अधिक लंबाई थार मानक के बीजपत्र की 4.71 सें.मी. थी। बीज की आकृति दुर्गापुरा लाल को छोड़कर तरबूज की सभी किस्मों के मामले में 5 पालि वाली थी, जबकि दुर्गापुरा लाल की पत्तियों की आकृति पालिविहीन थी।




5-2-15 j^kV^l, d^yk vu^q alku d^hl f=ph% केला (म्यूसा प्रजातिया) के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस विशानिर्देश तैयार करना शीर्षक की परियोजना जून 2010 में आरंभ की गई। 30 प्रविष्टियों की पहचान की गई जो भारतीय उपमहाद्वीप की सभी वाणिज्यिक किस्मों के बीच मौजूद जीनोमी विविधता की पहचान प्रस्तुत करती हैं (AA, BB, AAA, AAB, ABB)। विषाणु मुक्त मातृ पौधों (केले का गुच्छत चूड़ विषाणु, केले का ब्रैकट चित्ती विषाणु, केले का धारी विषाणु व संक्रमणशील हरिमाहीनता) से क्लोन तैयार

किए गए ताकि चूषकों (सकर) का प्रगुणन किया जा सके। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, चित्री में अक्तूबर 2010 के दौरान रोपाई की गई और इसके साथ ही जनवरी 2011 में सहयोगी केन्द्र बागवानी अनुसंधान केन्द्र, नागीचेरा, त्रिपुरा में भी रोपाई की गई। आईपीजीआरआई (अब बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल) के विवरणों के आधार पर 121 गुणों के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, चित्री में 21–23 सितम्बर 2010 के दौरान केला के फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक अभियुक्त तथा परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5-2-16 ou egkfo | ky; rFkkvud alku l LFku] eVq Yy; e] rfey ukMqdf'kfo' ofo | ky;
% नीम, करंज तथा जैट्रोफा की वृक्ष प्रजातियों के लिए डीयूएस विवरण तथा परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- करंज में क्लैपट कलम लगाने की विधि के अंतर्गत मातृ वृक्षों/प्रत्याशी वृक्षों से सियान सामग्रियों की कलम लगाने के लिए पैसिल की मोटाई वाले मूलवृत्त का उपयोग किया गया है।
- जैट्रोफा कर्कस में 20 सें.मी. लंबी तथा 1.3 से 1.7 सें.मी. व्यास की मध्यम आकार की कलमों में 90 प्रतिशत से अधिक जड़ों का विकास हुआ।
- करंज में वृद्धि तथा प्रजननशील गुणों के लिए फोटोग्राफी प्रमाणों सहित 19 विवरण विकसित और प्रलेखित किए गए।
- जैट्रोफा संकरों में बढ़वार तथा प्रजनन संबंधी विभिन्न गुणों के लिए 25 विवरण विकसित किए गए।
- नीम में 12 विवरण विकसित और प्रलेखित किए गए।



5-2-17 Hkj rh; l Ct h vuq alku l LFku] okj k kl h rFkk Hkj rh; ckxokuh vuq alku l LFku] cxy# % खीरा-ककड़ी (क्यूक्यूमिस सेटाइव्स), लौकी (लेजेनेरिया साइनेरारिया), करेला (मोमार्डिका क्रांशिया), कद्दू (कुकरबिटा मॉस्काटा) और परवल (ट्राइकोसैंथस डाइओका) के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस फसल दिशानिर्देशों का सत्यापन शीर्ष की परियोजना भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी तथा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु में कार्यान्वित की जा रही है। बंगलुरु में 2010–11 की गर्मियों के दौरान कद्दू की 15 किस्में अनुशंसित स्त्रियों विद्युतियों का उपयोग करके उचित अनुरक्षण के साथ उगाई गई। लौकी के मामले में, 2010–11 की ग्रीष्मकाल के दौरान तथा बाद में फरवरी 2011 के दौरान फिर से खेत में 3 प्रतिकृतियों के अंतर्गत 26 किस्मों के बीज बोए गए। परवल में रबी 2010 के दौरान 3 प्रतिकृतियों में 2.0 मी. × 2.0 मी. की दूरी पर बुआई करके 10 किस्मों का परीक्षण किया गया। खीरा-ककड़ी में 2010–11 की गर्मियों में और उसके बाद फरवरी 2011 में पुनः खेत में तीन प्रतिकृतियों के अंतर्गत 16 किस्मों की बुआई की गई। करेले के मामले में 2010 की गर्मियों के

दौरान और उसके बाद मार्च 2011 में पुनः खेत में 3 प्रतिकृतियों के अंतर्गत 23 किस्में बोई गई। सभी फसलों के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के मसौदे के अनुसार आंकड़े रिकार्ड किए गए, प्रत्येक किस्म के स्व:निषेचित फलों से बीज निकाले गए तथा अगले वर्ष में उपयोग के लिए उन्हें भंडारित किया गया। इनका किस्मगत विवरण सारणी 7 में देखा जा सकता है।

1 kj . kh 7- ikp Ql ykadh fdLekadh l ph

कद्दू	काशी हरित, वीआरपीके 222-2-1, अर्क चंदन, वीआरपीके-07-01, केपीएस-1, पूसा विश्वास, सीएम 350, नरेन्द्र अमृत, अर्क सूर्यमुखी, पूसा विकाश, सरस, नरेन्द्र अग्रिम, सीओ 2, वीआरपीके 62, आनंद पम्पकिन 1
लौकी	काशी गंगा, वीआरबीजी 136, नरेन्द्र ज्योति, अर्क बहार, पूसा संदेश, पूसा समृद्धि, पंत लौकी 1, नरेन्द्र धारीदार, पूसा संतुष्टि, वीआरबीजी 7, पूसा नवीन, वीआर 2, कल्याणपुर लौंग ग्रीन, वीआर 1, केबीजीआर 12, पंजाब लौंग, नरेन्द्र रशिम, जीएच 22, एबीजी 1, पंजाब कोमल, सीओ 1, एनडीबीजी 619, एनडीबीजी 132, जोरा बोट्टा, डीआर 1 (कट लीफ), राजेन्द्र चमत्कार।
करेला	पूसा दो मौसमी, हिरकानी, एम सी84, फूले उज्ज्वल, कल्याणपुर सोना, सैल 1, काशी उर्वशी, कल्याणपुर बारहमासी, पंजाब 14, एचएबीजी 21, एचएबीजी 1, एनडीबीटी 9, वीआर 1, वीआर 333, मेघना 2, प्रीति, एनडीबीटी 7, एचएबीजी 22, सैल 5, सीओ 1, सोलन हरा, अर्क हरित, पूसा विशेष।
खीरा— ककड़ी	सरण अगेती, फूले शुबांगी, सैल 97-7, सीएच 20, गुजरात कुकुम्बर 1, पैब कमाल, जैपेनीज लौंग ग्रीन, सीओ 1, पीसीयूसी 28, पंजाब नवनीत, पंत खीरा 1, के 75, स्वर्ण शीतल, कल्याणपुर ग्रीन, स्वर्ण पूर्णा, के 90
परवल	परवल 1, परवल जनरल, आईआईवीआर पीजी-4, परवल-2, परवल 3, परवल मेल, आईआईवीआर-पीजी 1, आईआईवीआर-पीजी 2, आईआईवीआर-पीजी 3, मेल

5-2-18 dShk mi k. k ckxokuh l LFku] y [kuÅ % डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने के लिए विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर्गत अमरुद, लीची और पपीता के विवरणों का सत्यापन तथा आम का डीयूएस परीक्षण शीर्षक की परियोजना एक बहु संस्थानात्मक परियोजना है जिसका नोडल केन्द्र केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ है। अन्य सह-नोडल केन्द्र हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु; क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, वेन्गुर्ले; बागवानी तथा कृषि वानिकी अनुसंधान कार्यक्रम, प्लांटू रांची; तथा गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर। आम की किस्मों का लक्षण—वर्णन डीयूएस परीक्षणों की दृष्टि से केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ (100) तथा केन्द्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (60) में किया गया। इस अवधि के दौरान फल के गुणों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए तथा लखनऊ स्थित संस्थान में छायाओं का डिजिटलीकरण किया गया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में वानस्पतिक तथा पुष्प से संबंधित गुण प्रलेखित किए गए। अमरुद और लीची के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए आई.पी.जी.आर.आई. (अब बायोवर्सिटी इंटरनेशनल) तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध विवरणों का उपयोग तदर्थ दिशानिर्देशों के विकास के लिए किया गया। पुष्पन से संबंधित गुणों के आंकड़े एचएआरपी, रांची तथा जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर में एकत्रित करके उनका गुण निर्धारण किया जा रहा है। विकसित किए गए दिशानिर्देशों का

सत्यापन 2011 के फल मौसम के दौरान किया जाएगा। आम में कृषक किस्मों (50) पर सूचना प्रलेखन हेतु एकत्रित की जा रही है।

5-2-19 1 jnkj df'kuxj df'k fo' ofo | ky;] 1 jnkj df'kuxj % दलहनों की विद्यमान किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन तथा शुद्धिकरण शीर्षक की डीयूएस परियोजना सितम्बर 2009 से कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना मुख्यतः उन प्रजनन तकनीकों के अध्ययन के लिए आरंभ की गई है जिन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए दलहनों की उदाहरण किस्मों व संदर्भ किस्मों तथा अन्य फसलों के लिए अपनाया जा सकता है। यह परियोजना सरदार कृषि नगर, कृषि विश्वविद्यालय के दलहन अनुसंधान के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र में कार्यान्वित की जा रही है। इसकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- अरहर की जारी की गई किस्में (जीटी 101, जीटी 100, जीटी 1, बनस, आईसीपीएल 87, टी 15-15, आशा, एजीटी 2, वैशाली, यूपीएस 120, बीडीएन 2, जीटीआर 11, जीटी 288बी) का कीटरोधी चल जाल घर के अंतर्गत पौधे से कतार की उचित दूरी बनाए रखते हुए किया गया।
- मूंग की जारी की गई किस्में तथा आशाजनक सामग्री (के 851, जीएम 4, मेहा, थ्राड लोकल, एसएमएल 668, पूसा विशाल, जीएम 2; उड़द (टी 9, जीयू 1, टीपीयू 4, टीएयू 1, जीबीजी 593, आरबीयू 38; लोबिया (जीसी 3, जीसी 4, जीसी 5), कुलथी (एके 21, एके 42), मोठ (जीएमओ 1, जीएमओ 2, सीजैडएम 1, सीजैडएम 2 और ग्वार (जीजी 1, जीजी 2, पीएनबी, जीएचबी 5, एचजी 75, एचजी 365, एचडी 563, एचजी 2-20) को कतार से पंक्ति के फैशन में अनुरक्षित किया गया (एनएसएस 1) और बीजों की कटाई की गई। मूंग (के 851, जीएम 4), उड़द (टी 9, जीयू 1), लोबिया (जीसी 3, जीसी 4, जीसी 5), कुलथी (एके 21, एके 42), मोठ (जीएमओ 1, जीएमओ 2) तथा ग्वार (जीजी 1, जीजी 2, पीएनबी) का कतार से प्लॉट के फैशन में अनुरक्षण तथा प्रगुण किया गया (एनएसएस 2)।
- के 851 तथा टी 9 जैसी पुरानी किस्में जो लंबी अवधि तक उगाई जाने के कारण अपनी आनुवंशिक पहचान में परिवर्तन उत्पन्न करने लगी हैं, एनबीपीजीआर से प्राप्त की गई तथा इन्हें इनके अनुरक्षण के लिए उगाया गया। 116 सीजीएमएस आधारित A/B वंशक्रमों, 81 विविधीकृत आर वंशक्रमों तथा जननद्रव्य से युक्त विविध प्रकार की आनुवंशिक सामग्री का कीटरोधी चल जालघर में अनुरक्षण किया गया। अरहर की बारह वन्य प्रजातियों की 111 प्रविष्टियां कैजानस उद्यान में अनुरक्षित की गई।



6

MVksd] bMl vks oS1 kbV dk fodk

बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों के प्रलेखन के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली (इंडस) तथा भारत की अधिसूचित और जारी की



गई किस्मों (एनओआरवी) सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। इस साफ्टवेयर की सामग्री में शामिल है : पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर फार्म 1 व 2, तकनीकी प्रश्नावली (टीक्यू), डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान किस्मों के आंकड़े, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की रिपोर्ट तथा आण्विक जीवविज्ञान सूचना, डिजिटल हर्डवेयर, जीन बैंक का विवरण तथा ई-जर्नल विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण हेतु पौधा किस्मों के पंजीकरण

हेतु प्राप्त आवेदनों का उपरोक्त विवरण इंडस वर्जन 08.1 में दर्ज किया गया है।

प्राधिकरण की अपनी वैबसाइट www.plantauthority.gov.in हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है तथा यह एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) सर्वर द्वारा



परिचालित होती है। इस वैबसाइट में प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों; पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का विहंगम दृश्य, डीयूएस केन्द्रों का विवरण, प्रकाशन, पौधा किस्म पंजीकरणों की पात्र फसल प्रजातियों की सूची, डीयूएस दिशानिर्देश, आवेदनों की स्थिति इत्यादि उपलब्ध हैं।

7-1 l puk dk vf/kdkj

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सार्वजनिक हित में मांगी गई सूचना के प्रभावी निपटान के लिए सहायक केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किए जा चुके हैं। नामित अधिकारियों की सूची प्राधिकरण की वैबसाइट में आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को 11 आवेदन या तो सीधे-सीधे प्राप्त हुए हैं या अन्य विभागों से हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुए हैं जिनमें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं। मांगी गई सूचनाएं निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई। केन्द्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत अपील का एक मामला भी प्रभावी ढंग से निपटाया गया। अधिकांश आवेदन पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के रजिस्ट्री अनुभाग से संबंधित थे।

The screenshot shows the homepage of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority. At the top, there's a decorative header with a golden elephant statue, two apples, and some flowers. The menu bar includes links for हिन्दी | English, Home, Contact Us, and Sitemap. Below the menu, there are sections for AUTHORITY, DUS CENTER, PUBLICATIONS, TENDERS, VACANCY, and APPLICANT. A red banner at the bottom left says 'HOME > RTI'. The main content area contains two profiles:

- RTI Cell**: Details for Shri Dipal Roy Choudhury, ACPIO, including his address at NASC Complex, DPS Marg, Opp- Todapur Village, New Delhi-110 012, and contact numbers Tel: +91-11-25843388 and Email: jr-pvfr@nic.in.
- ACPIO**: Details for Shri Rabi Raman Pradhan, ACPIO, including his address at NASC Complex, DPS Marg, Opp- Todapur Village, New Delhi-110 012, and contact number Tel: +91-11-20911443, along with his Email: lr-pvfr@nic.in.

7-2 fo/kk, h ekeys

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ में 2 पूर्ण कालिक, पूर्ण योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी विधि सलाहकार हैं, जो अनेक प्रकार के विधायी कार्य सम्पन्न करते हैं, जैसे : उप-अधीनस्थ विधानों का मसौदा तैयार करना, पौधा किस्म पंजीकरण के विरुद्ध दाखिल किए गए अदालत के मुकदमों के उत्तर के मसौदे तैयार करना, प्राधिकरण तथा रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवृत्त में अपनी राय देना तथा कानूनी सलाह प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय मामलों/संधियों पर परामर्श देना। इस विधायी कोष्ठ ने विभिन्न न्यायालयों में लाए जाने वाले सभी मुकदमों में प्राधिकरण का बचाव किया है। पौधा किस्मों के पंजीकरण तथा पौधा किस्मों की सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी इस कोष्ठ में विधायी इनपुट उपलब्ध कराया है। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक कार्यवाहियों में भी विधिक राय दी गई।

तिलहनों तथा सब्जी वाली फसल प्रजातियों की अधिसूचना भारत के राजपत्र में 30 अप्रैल 2010 और 2 दिसम्बर 2010 को प्रकाशित हुई थी। वृक्षों और लताओं की स्थल पर डीयूएस परीक्षण को समायोजित करने के नियमों में भी संशोधन किए गए जो राजपत्र में 3 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित हुए (पौधा किस्म सुरक्षा अपीलीय न्यायाधीकरण (आवेदन तथा अपीलें) नियमावली, 2010-जी.एस.आर. 772

(ई), दिनांक 21 सितम्बर 2010 के द्वारा) रजिस्ट्रार के निर्णय विधि जर्नलों में 2010 (44) पीटीसी 328 तथा 2010 (44) पीटीसी 341 के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं :

- I- **इन रे स्यू मोटो आदेश दिनांक 11.02.2011 :** विद्यमान किस्मों के पंजीकरण की समय—सीमा धारा 29(2) के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि या डीयूएस मानदंडों की अधिसूचना की तिथि से गिनी जाएगी। fu. **kZ** % विद्यमान किस्मों के पंजीकरण की समय—सीमा डीयूएस मानदंडों की अधिसूचना की तिथि से गिनी जाएगी, यदि डीयूएस मानदंड धारा 29(2) के अंतर्गत फसलों की अधिसूचना के परिवर्ती अधिसूचित किए गए हों।
- II- **इन रे ए.संख्या आरईजी/2008/372 दिनांक 11.02.2011 :** fu. **kZ** & नियम 30(3)—जीईएसी क्लीयरेंस के विवरणों को भारतीय पौधा किस्म जरनल पीवीजे में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। भारतीय पौधा किस्म जर्नल में दिए गए विज्ञापन के अंश प्रकृति में समग्र हैं लेकिन अंतिम नहीं। रजिस्ट्रार को स्वीकृति वापस लेने की शक्ति है तथा आवेदन को पुनः प्रकाशित करने का भी अधिकार है।
- III. **नूजिवीडू बनाम माहीको :** [सी 5193 के पंजीकरण के विरोध में फॉर्म पीवी—5 दिनांक 25.10.2010] दिनांक 3.12.2010] fu. **kZ** & प्रमाण दाखिल करने के लिए समय के विस्तार मांगने का पिटीशन समय—सीमा के समाप्त होने के बाद भी दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो। नियम 32 के अंतर्गत सुरक्षित अवसर को नियम 33(6) के आदेश द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- IV. **माहीको बनाम प्रभात एग्रीबायोटैक लिमिटेड (2010 44 पीटीसी 341) :** नियम 8(2)(डी) – वह तिथि जब सम्पूर्ण शुल्क अदा कर दिया गया हो, आवेदन दाखिल करने की तिथि होती है। fu. **kZ** % नियम 8(2)(डी) तब लागू नहीं हो सकता है जब शुल्क निर्धारित न किया गया हो। नियम केवल उसी तिथि से लागू हो सकता है जब शुल्क निर्धारित कर दिए गए हों।
- V. **नूजिवीडू बनाम माहीको (2010 (44) पीटीसी 328) :** नियम 33 की शीर्ष टिप्पणी में आपत्ति के लिए नोटिस दाखिल करने हेतु समय—सीमा बढ़ाने का प्रावधान है – नियम 33 आपत्ति के नोटिस को दाखिल करने के लिए समय—सीमा बढ़ाने का प्रावधान नहीं उपलब्ध कराता है – अनुभाग में पहले जोड़ा गया शीर्षक अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या कर सकता है। fu. **kZ** & आपत्ति दाखिल करने के नोटिस की समय—सीमा तब बढ़ाई जा सकती है जब पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो।

7-3 l a nļ ižu

प्राधिकरण को राज्य सभा सचिवालय से 4 प्रश्न तथा लोक सभा सचिवालय से 6 प्रश्न प्राप्त हुए जिनके उत्तर कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नोडल विभाग को भेजे गए।

8

d"kd vf/kdkjkal sl cf/kr fØ; kdyki

भारत सरकार पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के माध्यम से जन-जातीय समुदाय सहित कृषकों तथा कृषक समुदायों को जो आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व सुरक्षा में रत हैं, विशेषकर कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें मान्यता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। कृषक किस्मों पर विविध जलवायु वाली स्थितियों तथा मृदा के प्रति उनकी अनुकूलनशीलता के कारण पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। कृषक किस्में, जैसा कि अधिनियम में विशिष्टीकृत है, बिना किसी प्रभार और शुल्क के पंजीकरण की पात्र हैं। इस प्रकार, किसान कृषक किस्मों को पंजीकृत कराने के लिए कृषकों के अधिकार के बारे में जागरूक हैं लेकिन पर्याप्त नहीं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें इस दिशा में जागरूक करने के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण में उनके योगदानों को मान्यता देने के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार आरंभ किया जाए। कृषकों, पादप प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा सामान्य जनों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम में किए गए विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक बनाने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, अकादमियों, सोसायटियों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा स्वयं सेवी संगठनों आदि के माध्यम से प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्राधिकरण ने कृषकों के अधिकारों को परामर्श देने के लिए एक स्थायी समिति भी गठित की है। वर्तमान वर्ष में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए वर्तमान वर्ष में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए हैं। वर्ष 2009–10 के लिए पुरस्कारों की घोषणा एक अत्यंत कठिन छंटाई प्रक्रिया के बाद की गई।

8-1 d"kd fdLek@vf/kdkjka i j Ml wl i fj; kt uk a

8-1-1 जीन कैम्पेन, नई दिल्ली द्वारा ज्ञारखण्ड और मेघालय में चावल की जैवविविधता का संरक्षण तथा कृषकों के अधिकारों पर प्रशिक्षण : इस परियोजना में धान की परंपरागत किस्मों के नमूने उड़ीसा (34) और ज्ञारखण्ड (16) से एकत्रित किए गए हैं। इन बीजों को प्रसंस्कृत करके व सुखाकर बीज जीन बैंक में संरक्षित किया गया है। निम्न भूमि में समुदायों द्वारा 26 किस्में उगाई गईं, 17 किस्में मध्य भूमि में, जबकि शेष 7 किस्में उपराऊं भूमि में उगाई गईं। मध्य तथा निम्न भूमि वाली किस्में प्रतिरोपण पारिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि उपराऊं किस्में शुष्क भूमि वाली पारिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं।



रिपोर्टधीन अवधि के दौरान एक बीज बैंक स्थापित किया गया जिसमें 104 परंपरागत किस्में मौजूद हैं। इन किस्मों में से 43 किस्में निम्न भूमि में उगाए जाने के लिए उपयुक्त हैं, 43 किस्में मध्य भूमि में तथा 9 उपराऊं भूमि के लिए उपयुक्त हैं। छह किस्में मध्य भूमि तथा निम्न भूमि के लिए उपयुक्त हैं जबकि 3 मध्य भूमि तथा उपराऊं भूमि के लिए उपयुक्त हैं। बीज बैंक के सुचारू प्रबंधन व रखरखाव के लिए ग्रामीणों के परामर्श व उनकी पसंद से एक प्रबंध समिति गठित की गई। इस समिति में 5 सदस्य हैं जो बहीखाता रखने तथा जननद्रव्य की उपलब्धता का रिकार्ड रखने, किसानों को आपूर्ति करने तथा उनसे पुनः प्राप्त करने, बीजों की सफाई, बीजों की सुखाई आदि पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

8-1-2 भा.कृ.अ.प. उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, मेदजीफेमा केन्द्र, नागालैण्ड से कोलोकेसिया (सी.एस्क्यूलेंटा) की देशी भू-प्रजातियों का संकलन, लक्षण-वर्णन और संरक्षण : इस परियोजना का अधिक्षेत्र है : (i) कोलोकेसिया की देशी भू-प्रजातियों/किस्मों का सर्वेक्षण और संकलन, (ii) जननद्रव्य में वृद्धि को बढ़ाने के लिए सम्बद्ध गुणों के लिए स्वास्थ्यने संकलन का आकृति विज्ञानी विविधता संबंधी अध्ययन और मूल्यांकन, (iii) मानक विवरणों के आधार पर एकत्र की गई भू-प्रजातियों/किस्मों का मूल्यांकन और लक्षण-वर्णन (iv) कोलोकेसिया के विवरण तैयार करना, देशी भू-प्रजातियों का प्रलेखन व संरक्षण, (v) ऑन-लाइन सुरक्षा तथा कृषकों के अधिकार पर जागरूकता सृजन व प्रशिक्षण।

नागालैण्ड के 4 जिलों नामतः कोहीमा, मौन, वोखा और दीमापुर तथा इसके आस-पास के असम के क्षेत्र से कोलोकेसिया की स्थानीय भू-प्रजातियों को संकलित करने के लिए 2010-11 के दौरान सर्वेक्षण किया गया। इन स्थानों से कुल 22 प्रविष्टियां एकत्र की गई जिनमें से 8 प्रविष्टियां वोखा जिले से, 3 कोहीमा जिले से, 3 मौन जिले से, 4 दीमापुर जिले से और 4 असम के गोलहाट जिले से एकत्र की गईं।



(उपस्थित, अनुपस्थित); पत्रदल की कोर का रंग (हरा, पीला, बैंगनी); पर्णवृत्त के जोड़ का पैटर्न (छोटा,

विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए वंशक्रमों का अंतरराष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन संस्थान (बायोवर्सिटी इंटरनेशनल) सूची के अनुसार उनके आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए मूल्यांकन किया गया। विवरणों के लिए निम्नलिखित को लिया गया : पत्ती की आकृति (नोक नीचे, नोक ऊपर की ओर, प्याले की आकृति, क्षैतिज); पत्र दल (लहरदार, समतल, साइनूएट); पत्र दल का रंग (हरा, गहरा हरा); पत्रदल पर धारियां पर्णवृत्त के जोड़ का पैटर्न (छोटा,

मझोला, अनुपस्थित); पर्णवृत्त के जोड़ का रंग (बैंगनी, पीला, रंग अनुपस्थित); पत्ती की नाड़ी का रंग (हल्का हरा, हरा और बैंगनी); पौधे की ऊंचाई (बौना, मझोला, लंबा); पौधे की मोटाई (संकरा, मध्यम चौड़ा, चौड़ा); तथा अन्य गुण जैसे प्रति पौधा चूषकों की संख्या, प्रति पौधा पत्तियों की संख्या, पत्ती की लंबाई, पत्ती की चौड़ाई, पर्णवृत्त की लंबाई, प्रति पौधा प्रकंदों की संख्या, उप-प्रकंदों की संख्या, प्रकंद का कुल भार, उप-प्रकंद का कुल भार आदि।

8-1-3 तटवर्ती पट्टी तथा तमिल नाडु, वानघई, नागापट्टीनम, तमिलनाडु के कावेरी मुहाने में उगाई जाने वाली परंपरागत चावल की किस्मों का लक्षण-वर्णन तथा पंजीकरण : इस परियोजना का केन्द्र बिंदु तटवर्ती पट्टी तथा तमिलनाडु के कावेरी के मुहाने में उगाई जाने वाली चावल की परंपरागत किस्मों का लक्षण-वर्णन है। वानघई ने तमिल नाडु के कन्याकुमारी, टूटीकोरिन, रामाद, पुदकोट्टई, तंजोर, थिरुवरुर, कोड्डालोर और नागापट्टीनम जिलों से चावल की 69 किस्में संकलित की हैं। बीजों, फसलों का विवरण तथा खेती संबंधी किसानों द्वारा किए जाने वाले कार्य संबंधी सूचना भी किसानों के खेतों से एकत्रित की गई तथा उसे एक वैज्ञानिक प्रश्नावली में प्रलेखित किया गया। चावल की 50 किस्मों को विस्तृत लक्षण-वर्णन और उसके पश्चात् किसानों के बीच वितरण हेतु संतति चयन के लिए चुनकर उगाया गया। ये किस्में अल्प (70–100 दिन), मध्यम (120–135 दिन) और लंबी (140–180 दिन) अवधि वाली हैं। चावल की 50 किस्मों की बुवाई पछेती सम्बा मौसम (अवधि के अनुसार) में की गई तथा 10 इंच की दूरी पर इकहरी कतार में रोपाई की गई। 270 वर्ग मीटर² के क्षेत्र में क्यारियां तैयार की गई तथा आधार खुराक के रूप में कार्बनिक खाद दी गई और पौधे के आधार अथवा बूटी की पत्तियों पर नर्सरी में खाद का छिड़काव किया गया। ये किस्में काटी गई और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया गया। वांधई द्वारा बीजों को स्थापित किए गए जीन बैंक में भंडारित किया गया।

8.1.4 पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विकास संस्थान, पटना : बिहार में अरहर (कैजानस कैजन) तथा बाकला (विसिया फाबा) की कृषक किस्मों का दोहन/प्रलेखन, सूचीकरण तथा लक्षण-वर्णन शीर्षक की परियोजना मई 2010 से पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विकास संस्थान, पटना में कार्यान्वयित की जा रही है। संस्थान ने इस परियोजना में भाग लेने वाले किसानों के संबंध में व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी तथा कृषि स्थिति की सूचना एकत्र करने के लिए किसानों की भागीदारी दृष्टिकोणों के सर्वेक्षण हेतु एक प्रश्नावली तैयार की है। बिहार के 6 जिलों में अरहर उगाने वाले 166 किसानों तथा बाकला उगाने वाले 232 किसानों का सर्वेक्षण किया गया।

इन दो फसलों के गुणों के प्रलेखन तथा पंजीकरण के लिए अरहर और बाकला के विवरण तैयार किए गए हैं। अरहर और बाकला की कृषक किस्मों के संदर्भ में सूचना प्राप्त करने के लिए बिहार



सरकार के अधिकारियों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के वैज्ञानिकों तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के संकाय सदस्यों के किसानों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं तथा साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं।

सर्वेक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, दानापुर, बक्सर, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों के खेत भ्रमण किए गए जहां अरहर और बाकला की परंपरागत किस्में उगाने वाले किसान प्रचुरता में मौजूद हैं। संस्थान ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शैखपुरा, पटना में 31 मार्च 2011 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।


8.1.5 एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ), चैन्स्ट्री : एमएसएसआरएफ के सामुदायिक जीन बैंक में चावल की कृषक किस्मों के डीयूएस लक्षण—वर्णन तथा मूल्यांकन विषय पर तीन वर्षीय परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

एमएसएसआरएफ ने फाउंडेशन द्वारा किए गए डीयूएस प्रशिक्षण के आधार पर चावल की निम्नलिखित किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए वायनाड तथा जेयपोर, में कृषक समूहों को सुविधा प्रदान की है : ये किस्में हैं : (i) वायनाड, केरल में : चेन्नेलू, चोमाला, जीरागासला, गंडकसाला, थौंडी और वेलियान; तथा (ii) जेयपोर, उड़ीसा में : गोथिया, हल्दीचुड़ी, कालाजीरा, मछकांटा, उमेरीचुड़ी। खेत मूल्यांकन के पश्चात् बीज सामग्री की 220 किस्में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो को अग्रेशित की गई हैं। इसके अतिरिक्त बीज नमूनों को फाउंडेशन में एमएसएसआरएफ समुदाय जीन बैंक में भी भंडारित किया गया है।

8-2 jkVt; t hu fuf/k

भारत सरकार द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के माध्यम से राष्ट्रीय जीन निधि का गठन किया गया है। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण इसे अलग से परिचालित करके इसका रखरखाव कर रहा है। राष्ट्रीय जीन निधि के योगदान में सम्मिलित है : (i) पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत किसी किस्म का प्रजनक या अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म का प्रजनक जो लाभ में साझीदार प्राप्त कर रहा हो, (ii) पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त होने वाला वार्षिक शुल्क, (iii) जमा की गई क्षतिपूर्ति की राष्ट्रीय तथा (iv) किसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया गया अंशदान।

अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जीन निधि का उपयोग निम्न की पूर्ति के लिए किया जाएगा : (i) लाभ में साझीदारी के रूप में अदा की जाने वाली कोई भी राशि, (ii) देय क्षतिपूर्ति, (iii) स्वस्थाने व बहिस्थाने संकलनों सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग को सहायता देने में होने वाला व्यय तथा



इस प्रकार के संरक्षण को सम्पन्न करने और टिकाऊ उपयोग में पंचायतों की क्षमता को सबल बनाने के लिए तथा लाभ में साझीदारी से संबंधित योजनाओं पर होने वाला व्यय।

8.2.1 पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2009–10 : अधिनियम में प्रावधान है कि जीन निधि का उपयोग विशेष रूप से उन आदिवासी, ग्रामीण समुदायों सहित किसानों व कृषक समुदायों को सहायता देने व पुरस्कृत करने के लिए किया जाएगा जो कृषि जैव-विविधता के हॉट-स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में व्यस्त हैं। कृषकों/कृषकों के समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया, ताकि कृषि जैव-विविधता वाले हॉट स्पॉट की पहचान की जा सके। इस कार्य बल ने 22 कृषि जैव-विविधता वाले हॉट-स्पॉट की पहचान की जो भारत के सात कृषि-भौगोलिक आंचलों में फैले हुए हैं। कार्यबल की अनुशंसाएं दो खण्डों में प्रकाशित हुईं जिन्हें पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने अपना लिया।

इसके पश्चात् विशेषज्ञों की अनेक बैठकों के बाद प्राधिकरण ने भारत सरकार के परामर्श से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए क्रियाविधियों तथा मानदंडों को अंतिम रूप दिया। प्रति वर्ष अधिक से अधिक 5 पुरस्कारों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया और यह निर्णय भी लिया गया कि वर्ष 2009–10 के दौरान दो पुरस्कार स्वीकृत किए जाएं। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये नकद, एक उद्घरण पत्र तथा एक स्मृति विहन दिया जाता है। प्राधिकरण पुरस्कार के लिए आवेदन/नामांकन प्राप्त करने के लिए स्थानीय भाषाओं सहित प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देती है और उक्त पुरस्कार के लिए भी ऐसा ही किया गया। कृषि जैवविविधता संरक्षण में रत उपयुक्त समुदायों की जांच करने व अनुशंसा करने के लिए एक समिति गठित की गई।

9

if' kkk , oat kx: drk l tu

विभिन्न स्टेकहोल्डरों, किसानों, पादप प्रजनकों तथा जन-सामान्य के लाभ के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण पूरे भारत में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता प्रदान करता है। भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

9-1 if' kkk o t kx: drk dk Øe

9.1.1 भारतीय बागवानी अनुसंधान

संस्थान, बंगलुरु में प्रशिक्षण कार्यक्रम :

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु में 27 दिसम्बर 2010 को वैज्ञानिकों तथा पादप प्रजनकों के लिए तथा 28 मार्च 2011 को नवोन्मेशी तथा प्रगतिशील बागान मालिकों के लिए दो जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले कार्यक्रम में 47 वैज्ञानिकों तथा पादप प्रजनकों ने भाग लिया। दूसरे कार्यक्रम में, अनेक कानूनी विशेषज्ञों, पादप प्रजनकों, सामाजिक वैज्ञानिकों तथा राज्य बागवानी विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा 82 कृषकों ने भी भाग लिया। डॉ. निरंजन मूर्ति जिन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का कन्नड़ में अनुवाद किया है, ने पौधा किस्म के पंजीकरण के लाभों के साथ-साथ अधिनियम की उत्पत्ति के बारे में किसानों को बताया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने इस दिशा में किसानों से आगे आने का अनुरोध किया और बताया कि उनका संस्थान कृषकों की किसी के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र, बंगलुरु द्वारा प्रसारित किया गया और बाद में इसे कृषि दर्शन कार्यक्रम में भी दिखाया गया।



9.1.2 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम में जागरूकता कार्यक्रम

: दिनांक 15 दिसम्बर 2010 को आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन केरल के माननीय कृषि मंत्री श्री एम. रत्नाकरन ने किया तथा इसमें दक्षिण केरल से आए बड़ी संख्या में किसानों के अलावा 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने जैव-विविधता हॉट स्पॉट तथा विविधीकृत जैवविविधता, कृषि तथा आहार आदि से जुड़े संस्कृति, आचार-विचारों तथा परंपराओं के बारे में चर्चा की। केरल राज्य जैवविविधता मंडल के अध्यक्ष डॉ. आर.वी. वर्मा ने मुख्य भाषण दिया। बाद के व्याख्यान डॉ. पी.के. सिंह, रजिस्ट्रार (पीपीवी और एफआरए), डॉ. सी.आर. एल्सी (केरल कृषि विश्वविद्यालय), डॉ. के. एब्राहम, केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान और डॉ. एस. राजशेखरन (टीबीजीआरआई) ने दिए जो कृषकों

के अधिकारों, भौगोलिक संकेतों, पहुंच तथा लाभ में भागदारी आदि से संबंधित थे। इनका मलयालम में भी अनुवाद किया गया।

9.1.3 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसएयू और टी), कानपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम : सीएसएयू और टी ने चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जो निम्नानुसार हैं : क्षेत्रीय केन्द्र, उप केन्द्र, मैनपुरी, हजरतपुर और कलई में 29 मार्च 2011 को 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बांदा में 30 मार्च 2011 को एक अन्य कार्यक्रम बीज कानून तथा पादप किस्म की सुरक्षा संबंधी मुद्दे, कृषकों के अधिकार जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई तथा आपस में विचार-विमर्श हुआ।

9.1.4 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयम्बत्तूर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम : ये कार्यक्रम तमिलनाडु में 9 स्थानों पर आयोजित किए गए। कृषक समुदाय, बीज विपणन उद्योग, टीएनएयू के वैज्ञानिकों, कृषि-क्लीनिक कार्मिकों, राज्य कृषि अधिकारियों तथा छात्रों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने पादप प्रजनक तथा आनुवंशिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय तथा अनुसंधान केन्द्र, मदुरै में 10 फरवरी 2011 को आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया। पौधा किस्मों पर अंतरराष्ट्रीय संधियों तथा राष्ट्रीय विधानों, पौधा किस्मों के पंजीकरण, कृषकों के अधिकार, भौगोलिक संकेतकों, डीयूएस प्रशिक्षण आदि जैसे व्यापक श्रेणी के विषयों पर व्याख्यान दिए गए। विभिन्न फसलों की भू-प्रजातियों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। स्थानीय भाषाओं में दिए गए व्याख्यानों के अलावा प्रतिभागियों के बीच एक प्रशिक्षण मैनुअल तथा एक वीडियो सीडी भी बांटे गए। दिनांक 01 मार्च 2011 को बागवानी महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, पेरियाकुलम में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डीयूएस प्रशिक्षण, बीज की आवश्यकता, अधिनियम के अंतर्गत पौधा किस्मों की सुरक्षा व उनका संरक्षण, कृषकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई तथा सभी व्याख्यानों से युक्त एक छोटी पुस्तिका भी 100 प्रतिभागियों में बांटी गई। क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पायूर में 22 मार्च 2011 को एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राज्य कृषि विभागों, कृष्णागिरी से आए किसानों, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों व क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में व्यापार तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी मुद्दों, अधिनियम की उत्पत्ति तथा इसके प्रभावों, पौधा किस्मों के पंजीकरण की विधियों, डीयूएस प्रशिक्षण और वन्य संबंधियों के संरक्षण के महत्व, भू-प्रजातियों तथा अनूठे जननद्रव्य के संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। टीएनएयू में स्थापित जीन बैंक पर एक वीडियो फ़िल्म दिखाई गई जिसमें यह दर्शाया गया था कि जननद्रव्य प्रविष्टियों को किस प्रकार संरक्षित किया जाए। प्रतिभागियों को अनुसंधान खेतों में ले जाया गया तथा उन्हें केन्द्र के विभिन्न कियाकलापों के बारे में बताया गया।

9.1.5 केन्द्रीय पटसन तथा सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएफ), पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरआईजेएफ, बैरकपुर में 9 अक्टूबर 2010 को 'पीपीवी और एफआर अधिनियम पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम' आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, पटसन की

किस्मों तथा कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता सृजित करना था। पूरे पश्चिम बंगाल से आए लगभग 51 किसानों तथा एआईएनपीजेएफ के विभिन्न केन्द्रों के 9 वैज्ञानिकों, बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा अनेक अनुसंधान कर्मियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अपने व्याख्यान में डॉ. एस. नागराजन ने आनुवंशिक विविधता के संरक्षक के रूप में किसानों की भूमिका का वर्णन किया तथा जैविक व अजैविक प्रतिबिलों से युक्त नई व उन्नत किस्मों के प्रजनक के रूप में उनके उल्लेखनीय महत्व

को पहचाना तथा इसके साथ ही खेतिहार महिलाओं को इस प्रकार के जागरूकता सृजन कार्यक्रम में भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित किया। तकनीकी सत्रों में पीपीवी और एफआर अधिनियम, प्रजनन और अनुसंधान नियोजन में इस अधिनियम के प्रभावों, पटसन के लिए डीयूएस प्रशिक्षण दिशानिर्देशों, पटसन का संदर्भ संकलन तथा उसके रखरखाव, नई किस्मों की सुरक्षा के लिए आवेदन फार्मों को भरने, पटसन की वाणिज्यिक किस्मों की पहचान के लिए आणिक मार्करों के विकास तथा पटसन डीयूएस प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति पर छह व्याख्यान दिए गए। दिनांक 29 मार्च 2011 को एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बदूरिया, उत्तर 24 परगना, बालागढ़, हुगली, पुरलिया, ताराकेश्वर, बैरकपुर के 50 किसानों ने भी भाग लिया।



9.1.6 राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्राधिकरण की राष्ट्रीय जीन निधि के प्रावधानों के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए 10 फरवरी को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के लिए लगभग 100 प्रशिक्षणार्थी पंजीकृत किए गए जिनमें राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र और भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी के पादप प्रजनक, वैज्ञानिक व तकनीकी स्टाफ तथा सीएसडल्यूसीआरटीआई, दतिया व कृषि विज्ञान केन्द्रों के संबंधित वैज्ञानिक और झांसी प्रभाग के कृषि एवं बागवानी निदेशालय के अधिकारी शामिल थे। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए अनेक व्याख्यान व प्रस्तुतीकरण दिए गए तथा श्रोताओं ने जो प्रश्न किए उनके भी संतोषजनक उत्तर दिए गए।

9.1.7 चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में प्रशिक्षण : वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता लाने तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में वैज्ञानिकों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों तथा बागवानी विभाग के अधिकारियों और किसानों, स्वयं सेवी संगठनों, बीज कंपनियों को इनके संबंध में सजग बनाने के लिए बंजौरा, कुल्लू तथा धौला कुंआ में दो प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई।


9.1.8 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), तिरुअनंतपुरम, केरल में प्रशिक्षण : तिरुअनंतपुरम में 15 दिसम्बर 2010 को पीपीवी और एफआरए पर संस्थान ने एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

इसके अतिरिक्त पटना में पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से पूर्वी क्षेत्र के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम पर किसानों, कृषक समुदाय, राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठनों, छोटे और मझोले किसानों को शिक्षित करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि छोटे और मझोले किसान अपनी आजीविका सुरक्षा को सुधार सकें और टिकाऊ खेती कर सकें। अनेक सत्रों में प्रस्तुतीकरण दिए गए तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के लक्ष्यों तथा प्राधिकरण के क्रियाकलापों को उजागर करते हुए प्रस्तुतीकरण व व्याख्यान दिए गए।

9.1.9 पर्वतीय राज्यों के लिए प्रशिक्षण : उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों में पीपीवी और एफआर अधिनियम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. के क्षेत्रीय केन्द्र, बड़ापानी तथा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट; बी.एन. कृषि महाविद्यालय, सोनितपुर, जोरहट के माध्यम से विभिन्न राज्यों में 14 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9.1.10 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक में प्रशिक्षण : धान के विषेश संदर्भ में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2010 को सीआरआरआई, कटक में आयोजित किया गया। सीआरआरआई के निदेशक, डॉ. टी.के. आद्या ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें कटक तथा पड़ौसी जिलों के 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। पीपीवी और एफआर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं, पादप किस्म सुरक्षा तथा भारत के बीज नियमों, कृषक किस्मों के विशेष संदर्भ में पौधा किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधि, कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए कृषकों के अधिकार तथा कार्यनीति/कार्य योजना जैसे विषयों पर सीआरआरआई के संसाधन व्यक्तियों ने विस्तार से चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत तक ऐसी 100 कृषक किस्मों की पहचान की गई जो किसानों के इन समूहों द्वारा उगाई जा रही हैं। इससे ओडिशा राज्य से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु चावल की कृषक किस्मों के आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की क्रियाविधि आरंभ हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन विभाग, ओडिशा सरकार ने चावल की कृषक किस्मों के संकलन, प्रलेखन तथा पंजीकरण में अत्यंत सक्रिय भूमिका अदा की है।

9.1.11 जागरूकता कार्यक्रम : भा.कृ.अ.प. के संस्थानों जैसे तोरिया व सरसों, अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर; केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,



करनाल; गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल; मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली; ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; बीज मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

9.1.12 एस.डी.ए.यू., सरदारकृष्णनगर में प्रशिक्षण कार्यक्रम : विश्वविद्यालय ने 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें से पहला, 'दलहनों में अनुरक्षण प्रजनन' पर 7–8 सितम्बर 2010 के दौरान केन्द्र में आयोजित किया गया, जबकि दूसरा, 9–10 नवम्बर 2010 को 'अरहर, अरंड तथा बीज मसालों का अनुरक्षण प्रजनन' पर आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षणों में कुल 62 वैज्ञानिकों/अनुसंधानकर्ताओं ने भाग लिया। दिनांक 9 नवम्बर 2010 को अरहर, अरंड तथा बीज मसालों के अनुरक्षण प्रजनन पर प्रशिक्षण के दौरान 'मैटिनेंस ब्रीडिंग इन पीज़न पी' पर एक तकनीकी बुलेटिन का विमोचन भी किया गया।

9.1.13 जागरूकता अभियान : तमिल नाडु साइंटिफिक रिसर्च आर्गेनाइजेशन, पुदुकोट्टई जिला (तमिल नाडु); फाउंडेशन फार एग्रीकल्चरल रिसोर्सिस एंड एन्वायरमेंटल रेमिडिएशन (फार्मर), नई दिल्ली; भगवती एजुकेशन सोसायटी, तमिल नाडू; सैंटर फॉर इकोलॉजी एंड रिसर्च, नटराजपुरम, दक्षिण जिला तंजावुर, तमिल नाडु आदि जैसे स्वयं सेवी संगठनों द्वारा अनेक जागरूकता अभियान चलाए गए। वर्चुअल एक्षन ऑन एग्रीकल्चर बाइ नेचर वे ग्रोइंग एंड हर्स्बेंडरी एनिमल्स इंडिया (वांघई), नागापट्टिनम में किसानों तथा जन–सामान्य को पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए तमिल नाडु में 9 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त वालंटरी एक्षन फार रिसर्च डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग (वर्धा), नई दिल्ली द्वारा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों में 2010–11 के दौरान प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9-2 i hi hoh vkj , Qvkj i kf/kdj.k }kj k vk kf r l akkBh

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 41 : समुदायों के अधिकार पर एक राष्ट्रीय परामर्शदायी संगोष्ठी 25–26 मई 2010 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी परिसर, नई दिल्ली के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित की गई।

मुख्य सिफारिशें :

- चूंकि पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 41 के मुद्दों में तकनीकी तथा विधायी फ्रेमवर्क सम्मिलित है, अतः इस राष्ट्रीय परामर्श का कार्यवृत्त एक बार पुनः दूसरी राष्ट्रीय परामर्श बैठक में विस्तार से चर्चित होना चाहिए, ताकि विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सभी सुझावों को सिफारिशों में शामिल किया जा सके।
- क्षतिपूर्ति की सर्वाधिक सीमा अंतिम रूप से निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए।
- विभिन्न कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट में स्थित कुछ चुने हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों की ऐसे केन्द्रों के रूप में पहचान की जानी चाहिए जहां आवेदक अपने दावे दाखिल कर सकें तथा इन कृषि विज्ञान

केन्द्रों को दावों के सत्यापन (राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के परामर्श के बाद) के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

- क्षतिपूर्ति के दावों के एकमुश्त निपटान तथा अदायगी का प्रावधान किया जाना चाहिए। लाभ में साझीदारी के मुद्दे पर प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए।

9-3 fgñh eaizdk ku rFk vU; kdyki

अंग्रेजी में प्रकाशित प्लांट वैरायटी जरनल ऑफ इंडिया हिन्दी में भारतीय पौधा किस्म जरनल के नाम से प्रकाशित किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा हिन्दी में दो ब्रोशर प्रकाशित किए गए। प्राधिकरण ने जागरूकता सृजन संबंधी ब्रोशर तथा पोस्टर भी हिन्दी भाषा में तैयार किए। प्राधिकरण की अपनी वैबसाइट द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में है। डीयूएस प्रशिक्षण दिशानिर्देश हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण अपना वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करता है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा अधिकारिक पत्राचार के उत्तर हिन्दी में दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारी आवश्यकतानुसार हिन्दी और अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं।



9-4 i lrdky:

प्राधिकरण का स्टॉफ तथा कर्मचारियों के लिए संदर्भ के रूप में एक छोटा सा पुस्तकालय है। 31 मार्च 2011 को इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 396 पुस्तकें थीं जिनमें सामान्य कृषि, बागवानी, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पादप प्रजनन, जैव-विविधता संरक्षण, आनुवंशिकी, बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियमों तथा विनियमों, विधायी मामलों आदि से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित हैं। पुस्तकालय निम्न जरनलों के लिए भी अंशदान करता है: द इकोनॉमिस्ट, द इंडियन जरनल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंडियन हॉर्टीकल्चर, प्लांट साइंस, ट्रैड़स इन प्लांट साइंस, फंक्शनल इकोलॉजी, द इंडियन जरनल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, दी जरनल ऑफ वर्ड इंटेलैक्चुअल प्रोपर्टी।

10

i hi hoh vks , Qvkj i kf/kdj.k l s l af/kr fØ; kdyki

10-1 'kk[k dk ky;

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 12(2) के अंतर्गत प्राधिकरण ने 11वीं योजना के दौरान 2 शाखा कार्यालय, रांची व गुवाहाटी, प्रत्येक में एक—एक कार्यालय, स्थापित किए। स्टॉफ के पदभार ग्रहण करने के साथ ही इन शाखा कार्यालयों को सक्रिय बनाया जा रहा है।

10-2 i hi hoh vks , Qvkj i kf/kdj.k dh cBda

वर्ष 2010–11 के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 3 बैठकें आयोजित कीं जो निम्नानुसार हैं :

cBd	fnukd	LFku
10वीं नियमित बैठक	10 मई 2010	समिति कक्ष, पश्चिमित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, आईजॉल, मिजोरम
11वीं बैठक : वित्त वर्ष 2009–10 के लिए प्राधिकरण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपनाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक	19 अक्टूबर 2010	समिति कक्ष III एनएएस, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली
12वीं बैठक	18 फरवरी 2010	समिति कक्ष एनएएस, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली

प्राधिकरण द्वारा इन बैठकों में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :

- लाभ में भागीदारी तथा क्षतिपूर्ति के मामलों को निर्धारित करने व उन पर निर्णय लेने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन।
- वृक्षों और लताओं की किस्मों के स्थल पर निरीक्षण के लिए पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 [नियम 29(1)(सी)] में संशोधन।
- पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार की शुरूआत जिसके अंतर्गत एक स्मृति चिह्न व उद्घरण के अतिरिक्त 10 लाख रुपये नकद दिए जाने हैं।
- वार्षिक शुल्क वापसी के फार्म को स्वीकृति।
- काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक, हल्दी, आलू, टमाटर, बैंगन, भिणडी, फूलगोभी, बंदगोभी, प्याज, लहसुन, गुलाब, गुलदाउदी और आम की नई किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्कों का निर्धारण।
- अतिरिक्त फसल प्रजातियों (ड्यूरम गेहूं, डाइकोकम गेहूं तथा अन्य ट्रिटिकम प्रजातियों, नारियल, बारहमासी, ब्रह्मी, दमस्क गुलाब, पुदीना) के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश।

- राष्ट्रीय जीन बैंक में पंजीकृत पौधा किस्मों का भंडारण व अनुरक्षण तथा भारत में कृषि जैव-विविधता हॉट स्पॉट्स : संरक्षण तथा लाभ में भागीदारी, खण्ड 1 व 2 को अपनाना।
- बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों के पंजीकरण की समय-सीमा
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को स्वीकृति।

10-3 ifj; kt uk eW; kdu l fefr dh cSda

परियोजना मूल्यांकन समिति ने 14 सितम्बर 2010 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से चल रही उन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने व उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की जो करेंट साइंस में खुले विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुई थी और जो पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संस्थाओं में आयोजित विभिन्न बैठकों/संगोष्ठियों में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की गई थीं। संबंधित परियोजना अन्वेशकों/सह परियोजना अन्वेशकों ने पावर प्लाइंट प्रेसेन्टेशन के माध्यम से अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कीं तथा उनके संबंध में समिति के सदस्यों व पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। चालू 14 परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा सामान्य अनुशंसाएं की गईं :

- परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट विस्तार में प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ये रिपोर्ट भावी संदर्भ व रिकॉर्ड के लिए प्राधिकरण के पुस्तकालय में रखी जानी चाहिए।
- परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा के साथ खेत निगरानी भी की जानी चाहिए।
- पंजीकृत किस्मों की बार कोडिंग पर एक परियोजना आरंभ की जानी चाहिए।
- विधायी मुद्राओं पर परियोजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है और इन्हें प्रतियोगी अनुदान आधार पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
- पूरे भारत से चावल की कृषक किस्मों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है जिसके लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों जैसे विभिन्न संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए।

10-4 fon\\$ k He.k

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम ने 11–18 मार्च 2011 को इंटरनेशनल ट्रिटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर (आईटीपीजीआरएफए), बाली, इंडोनेशिया में आयोजित जैवविविधता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित मंत्री स्तर के सम्मेलन तथा आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय के चतुर्थ सत्र में भाग लिया। सम्मेलन में आईटीपीजीआर पर बाली मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाया गया जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों ने कृषि जैवविविधता में हुए क्षरण, खाद्य असुरक्षा, अत्यधिक निर्धनता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उभरने वाली चुनौतियों को पूरा करने में संधि के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की; तथा संबंधित पक्षों व स्टेकहोल्डरों को बहु-पक्षीय प्रणाली (एमएलएस),



मानक सामग्री हस्तांतरण समझौता (एसएमटीए), पादप आनुवंशिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग तथा कृषकों के अधिकार पर कार्य करने का आहवान किया और इसके साथ ही निधि प्रदान करने की कार्यनीति व लाभ में भागीदारी की निधि के कार्यान्वयन हेतु और अधिक प्रभावी व सामयिक योगदानों को सक्रिय बनाने का अनुरोध किया। डॉ. पी.एल. गौत्तम को इस संधि के पांचवें शासी निकाय के ब्यूरो का सदस्य (एशियाई क्षेत्र) चुना गया।

डॉ. ए.के. मल्होत्रा, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 13–16 जुलाई,

2010 के दौरान ग्लोबल इंटेलैक्चुअल प्रोपर्टी एकेडमी ऑफ यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, एलेकजेंड्रिया, वर्जिनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित प्रगत पेटेंट कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशेष ध्यान देने वाले मुददे थे : (i) नवोन्मेशों का प्रवर्धन, (ii) यूएस पेटेंट तथा ट्रेडमार्क कानून, (iii) बौद्धिक संपदा तथा नवोन्मेश : एक आर्थिक परिदृश्य (iv) पेटेंट जांच की प्रक्रिया, (v) पेशागी दावे तथा नवीनता विश्लेषण, (vi) जैवप्रौद्योगिकी / फार्मास्यूटीकल पेटेंट प्रथाएं और (vii) यूएस में पेटेंट मुकदमा प्रणालियां आदि।

10-5 i k/kdj.k ds ifjl j dk fuelzk

सक्षम प्राधिकारी ने प्राधिकरण को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निकट हरभजन सिंह इन्कलेव, नई दिल्ली में प्राधिकरण के परिसर के निर्माण हेतु 10,480 वर्ग मी० भूमि आबंटित की है। प्राधिकरण ने एक खुले विज्ञापन के द्वारा टर्नकी आधार पर कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु सरकारी / सार्वजनिक संगठन (संगठनों) से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किया है। यह विज्ञापन प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिया गया है जिसमें कार्य की संभावना तथा प्राधिकरण की आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और तकनीकी व वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात् उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को परियोजना प्रबंध परामर्शक के रूप में कार्य करने का ठेका दिया गया है। रिपोर्ट लिखने के दौरान परियोजना प्रबंध परामर्शक तथा प्राधिकरण के बीच समझौते की क्रियाविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह कार्य 2011–12 में आरंभ होने की संभावना है।

11 foUkṛ fji kVZ

वित्त वर्ष 2007–08 तक प्राधिकरण के लेखे परंपरागत इकहरी प्रविष्टि प्रणाली पर रखे गए, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राधिकरण के लेखे लेखाकरण के सम्भूति के आधार पर रखे जा रहे हैं। समर्थनकारी अनूसूचियों तथा अनुबंध (अनुबंधों) सहित तुलन–पत्र, आय–व्यय का लेखा तथा भुगतान का लेखा महालेखा नियंत्रक तथा भारत के लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू होने वाले लेखाकरण मानकों के आधार पर निर्धारित की गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार तैयार किए गए।

तुलन–पत्र, आय तथा व्यय और प्राप्तियों व भुगतानों के लेखे की एक प्रति अनुबंध 12 में प्रस्तुत की गई है।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के अनुपालन में प्राधिकरण के लेखे नियंत्रक तथा महा लेखाकार को प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षित लेखे व लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए मंत्रालय को अलग से भेजे जाएंगे।

प्राधिकरण ने वर्ष 2010–11 के दौरान 9.28 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इस अनुदान में 0.15 करोड़ रुपये पिछले वर्ष उपयोग न की गई निधि से बचे हुए थे, प्राधिकरण ने नकद आधार पर 9.50 करोड़ रुपयों का उपयोग किया। अतिरिक्त व्यय को आय के अन्य स्रोतों से पूरा किया गया।

12 vfrfFk

- श्री एंडी ला विग्ने, प्रेसीडेंट, अमेरिकन सीड ट्रेड एसोसिएशन; सुश्री बर्निसे स्लुत्स्की, वाइस प्रेसीडेंट (साइंस एंड इंटरनेशनल एफेयर्स) तथा सुश्री लिसा निकोलस, डायरेक्टर (इंटरनेशनल प्रोग्राम्स) ने बीज अधिगम केन्द्र के प्रस्ताव पर चर्चा करने तथा सरकारी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 9 अप्रैल 2010 को प्राधिकरण का भ्रमण किया।
- श्री थियो रूयस, बोर्ड मेम्बर ऑफ प्लांटम; सुश्री सेंड्रा पूत, सीनियर स्ट्रेटिजी मैनेजर ऑफ प्लांटम, श्री एरिए वैस्टमास ऑफ एचजैडपीसी और श्री आनंद कृष्णन, नीदरलैण्ड्स दूतावास के वरिष्ठ नीति सलाहकार, भारत में पौधा किस्म की सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्राधिकरण में पधारे।
- बागवानी के क्षेत्र में भारत और नीदरलैण्ड्स के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए श्री इमार जैम्सेके, वैटरीनरी फाइटोसेनेट्री काउंसलर (चीन में) के साथ श्री हैंक वान दुइजिन, नीदरलैण्ड के दूतावास के एग्री. कल्चरल काउंसलर के साथ 1 दिसम्बर 2010 को एक बैठक आयोजित की गई।

- पौधा किस्मों के पंजीकरण पर अनुभव को बांटने के लिए श्री पादराइग ओ स्केनलेइन, श्री स्ज़ेले, श्री बेयर और श्री स्झट्ज़ से युक्त जर्मनी से आए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ 17 फरवरी 2011 को एक बैठक आयोजित की गई।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण पर यूएसडीए के अधिकारियों श्री डेविड लेइशमैन, सीनियर एग्रीकल्चरल एटैचे तथा डॉ. संतोश सिंह, एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

13

1 akf'B; k@dk; Zkkyk; @l Eesyu

13-1 MWih, y- xkile] v/; {k dh Hkxlnkjh

- दिनांक 22 दिसम्बर 2010 को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्र, सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में एक विशेषज्ञ पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया तथा प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।
- 6 जनवरी 2011 को एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई में आईटीपीजीएफआरए की लाभ में भागीदारी निधि पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।
- दिनांक 7 जनवरी 2011 को इंडियन साइंस कांग्रेस, चैन्नई में फ्रैजाइल कोस्टल इकोसिस्टम पर जैव-विविधता पर केन्द्रित प्रमुख सत्र की अध्यक्षता की।
- दिनांक 8 फरवरी 2011 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि को तैयार करना विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि।
- 9 फरवरी 2011 को नई दिल्ली में भारत में पारिस्थितिक प्रणालियों व जैवविविधता के अर्थशास्त्र पर स्टेकहोल्डरों की परामर्श बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 14 फरवरी 2011 को कासगोड, केरल में आयोजित केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान की 13वीं अनुसंधान परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
- दिनांक 22 फरवरी 2011 को हैदराबाद में इंडियन सीड कांग्रेस के दौरान सरकारी नीति तथा नया विधान : बीज उद्योग पर प्रभाव पर आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के साथ भारतीय राष्ट्रीय बीज एसोसिएशन के साथ आयोजित परिचर्चा बैठक की अध्यक्षता की।

13-2 i hi hoh vks , Qvkj i kf/kdj.k ds vf/kdkj; k dh Hkxlnkjh

- डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार तथा डॉ. अजय कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने 28–30 दिसम्बर 2010 के दौरान तिरुअनंतपुरम में आयोजित प्रथम भारतीय जैवविविधता कांग्रेस, 2010, राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

- श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार ने 29 दिसम्बर 2010 को लिंग तथा जैवविविधता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और कृषि में महिलाओं पर अनुसंधान निदेशालय का भुवनेश्वर में विविध कृषि पारिस्थितिक प्रणालियों में जैवविविधता में महिलाओं की भूमिका (ग्रामीण महिलाएँ : खाद्य दाता तथा उत्पादक) पर एक व्याख्यान दिया।
- डॉ. अजय कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने 29–31 जनवरी 2011 के दौरान कृषि महाविद्यालय, पुणे में आयोजित राष्ट्रीय बीज कांग्रेस में भाग लिया।
- डॉ. पी.के. सिंह, पंजीकार ने 10–12 फरवरी 2011 को एनबीएफजीआर, लखनऊ में बढ़ी हुई व टिकाऊ कृषि उत्पादकता के लिए मृदा, पादप और पशु स्वास्थ्य पर आयोजित 10वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया।
- डॉ. पी.के. सिंह, पंजीकार ने 1 मार्च 2011 को भा.कृ.अ.प., अनुसंधान परिसर, गोआ में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

14 LVkQ rFkk l ekpkj

- स्टाफ का कैरियर एडवांसमेंट : प्राधिकरण में मौजूद विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है जिनके अंतर्गत एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं।
- स्टाफ को चिकित्सा सुविधाएँ : प्राधिकरण के स्टाफ को सीजीएचएस के आधार पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली व इसके आस-पास के अनेक अस्पतालों/प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई है।
- डॉ. एस. नागराजन, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने 13 अक्टूबर 2010 को अध्यक्ष के पद का प्रभार त्याग दिया।
- डॉ. पी.एल. गौत्तम ने 3 नवम्बर 2010 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- डॉ. आर.के. त्रिवेदी, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को 13 नवम्बर 2010 को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर पद से कार्यमुक्त किया गया।
- श्री डी.एस. मिश्रा ने 13 दिसम्बर 2010 को प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त पंजीकार के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. रमेश कुमार, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को भा.कृ.अ.प. में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर चुना गया तथा उन्हें 20 दिसम्बर 2010 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने कार्यमुक्त किया गया।
- श्री अमीर उल्ला सिद्दिकी ने 4 मई 2010 को कम्प्यूटर सहायक के पद से त्याग-पत्र दिया तथा उन्हें कार्यमुक्त किया गया।
- श्री नीतेश कुमार वर्मा, कम्प्यूटर सहायक ने 7 दिसम्बर 2010 को कन्सोल ऑपरेटर के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण किया।
- सुश्री ज्योति सपरा ने 2 फरवरी 2011 को प्राधिकरण में कम्प्यूटर सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

15

i= , oaiLrphdjk.k

- (i) एस. नागराजन, आर.के. त्रिवेदी, डी.एस. राज गणेश तथा ए.के. सिंह. 2010. इंडिया रजिस्टर्स प्लांट वैरायटीज़ अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट, 2001. (इन) करेंट साइंस खण्ड 99, अंक 6, 25 सितम्बर 2010, पृ.सं. 723–725
- (ii) पी.के. सिंह, मनोज श्रीवास्तव, अजय कुमार सिंह, एस.पी. यादव और पी.एल. गौतम. 2010. रूल ऑफ वीमेन इन बायोडायवर्सिटी इन डिफ्रेंट एग्रो-सिस्टम. (इन) नेशनल सेमिनार ऑन जैंडर एंड बायोडायवर्सिटी पर कृषि में महिलाओं पर अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा में 28–29 दिसम्बर 2010 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला। सोवेनियर : पृ.सं. 55–60.
- (iii) मनोज श्रीवास्तव, सिंह पी के, अजय कुमार सिंह और पी.एल. गौतम. 2010. एग्रो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स : आईडॉन्टिफिकेशन एंड रिकर्नीशन ऑफ फार्मस/फार्मिंग/द्राइबल कम्यूनिटीस अंडर द प्रोवीजन्स ऑफ पीपीवी एंड एफआर एक्ट, 2001 (इन) 28–30 दिसम्बर 2010 को तिरुअनंतपुरम, केरल में आयोजित प्रथम भारतीय जैवविविधता कांग्रेस आईवीसी 2010. सोवेनियर : पृष्ठ 116.
- (iv) ए.के. सिंह, पी.के. सिंह, मनोज श्रीवास्तव और डी.एस. मिश्रा, 2011. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपीवी एंड एफआर एक्ट, 2001 इन इंडिया. (इन) कृषि महाविद्यालय, पुणे में 29–31 जनवरी 2011 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय बीज कांग्रेस।
- (v) पी.के. सिंह, अजय कुमार सिंह और सुशील कुमार. 2011. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मस राइट्स एक्ट 2001 : कंजर्विंग प्लांट एग्रो-बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया (इन) एनबीएफजीआर, लखनऊ में 10–12 फरवरी 2011 के दौरान बढ़ी हुई व टिकाऊ कृषि उत्पादकता के लिए मृदा, पादप तथा पशु स्वास्थ्य पर 10वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस. सोवेनियर : पृ.सं. 130–134.
- (vi) पी.के. सिंह, अजय कुमार सिंह और सुशील कुमार. 2011. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मस राइट्स एक्ट, 2001 : कंजर्विंग प्लांट एग्रो-बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. (इन) भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोआ में 1 मार्च 2011 को पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम. पृ.सं. 1–9.

16 fl Vlt u pkv

i fj n^v ;

पौधा किस्मों की सुरक्षा, पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने और पादप प्रजनकों को पादप आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध कराने व पौधा किस्मों के संरक्षण व सुधार में किसी भी समय किए गए कृषकों के योगदान के संदर्भ में उनके अधिकारों के लिए प्रभावी प्रणाली की स्थापना।

fe' ku

नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु देश में कृषि विकास में तेजी लाने में योगदान करना और इस प्रकार देश में बीज उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करना, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों व रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

vf/knś k

- क. निर्धारित विधि से शर्तों के अनुसार नई विद्यमान पौधा किस्मों का पंजीकरण
- ख. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के लक्षण-वर्णन व प्रलेखन का विकास।
- ग. कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूची पत्रकरण।
- घ. पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूची पत्रकरण संबंधी सुविधाएं
- ड.. उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीजों की किसानों को उपलब्धता सुनिश्चित करना और यदि ऐसी किस्मों का प्रजनक अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी किस्म को तैयार करने का हकदार है, निर्धारित विधि से बीज का उत्पादन व बिक्री की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो ऐसी किस्मों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली उपलब्ध कराना
- च. संकलन तथा प्रकाशन के लिए भारत में या किसी अन्य देश में किसी पौधा किस्म के उद्भव या विकास में किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान के साथ पौधा किस्मों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करना
- छ. रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना

LVdgkMl Z

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध क्रियाकलाप, पहलें व स्टेकहोल्डर शामिल हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों, दिल्ली उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों सहित अनुसंधान संगठन और इन सब के उपर जनजातीय कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

i nku dh t kusokyh l sk a

1. कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार **vblIhvkj** की सुरक्षा प्रदान करना।
2. पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।
3. यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
4. समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों में योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।
5. पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
6. स्टेकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।
7. आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

f' kdk r cdsfui Vkj s dh fØ; kof/k

महापंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण जन-शिकायतों के निपटान के लिए पद-नामित अधिकारी है और शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :

महा पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट

नई दिल्ली-1100 12

फोन : 011-25843316, फैक्स : 011-25840478

E-mail: ppv&fra-agri@nic.in

www.plantauthority.gov.in

ukxfj dk@xlgdkal svi skk

पौधा किस्मों के पंजीकरण व कृषक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 व नियमावली तथा विनियमन में किए गए प्रावधानों का पालन करना।

i hī hoh vks , Qvkj i k/kdj . k ds l nL;
 १३१-०३-२०११ ds vuq kj ½

v/; {k
डॉ. एस. नागराजन (13 अक्टूबर 2010 तक) डॉ. पी.एल. गौतम (3 नवम्बर 2010 से)
i nsu l nL; %
1. डॉ. गुरबचन. सिंह, कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
2. डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
3. श्री अनिंदो मजूमदार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
4. डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
5. डॉ. के.सी. बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली – 110 012
6. डॉ. एस. नातेश, सलाहकार ग्रेड–1, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
7. श्री सतीष चन्द्र, संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी मामले विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 001
8. श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव, जैव सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
9. सुश्री रैकल चटर्जी, आई.ए.एस. प्रधान सचिव, कृषि, आंध्र प्रदेश सरकार, डी ब्लॉक, प्रथम तल, कमरा नं. 273, सचिवालय कार्यालय, हैदराबाद
10. डॉ. एस.एन.पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, इम्फाल – 795 001

11. श्री रोशन लाल, आईएएस, वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव (कृषि), कमरा नं. 430, चौथा तल, सैकटर-17, नया हरियाणा सचिवालय भवन, चंडीगढ़ – 160 017

uler 1 nL;

12. श्री राजू बरवाले, प्रबंध निदेशक (बीज उद्योग के प्रतिनिधि), महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड (माहिको), दवालवाडी, पीओ बॉक्स 76, जालना (महाराष्ट्र) 431 203
13. श्री ए.सी. जोनुनमाविया, समन्वयक एवं अध्यक्ष (जनजाति संगठन के प्रतिनिधि), सैंटर फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन (सीईपी), बी-27/1, टुइकुअल दक्षिण, आईजॉल – 796 001 (मिज़ोरम)
14. श्री पी. नारायण उन्नी (कृषक संगठन के प्रतिनिधि), नवारा इको फार्म, करुकमणि कलाम, चित्तोर कॉलेज, डाकघर, जिला पालकाड, केरल – 678 104
15. डॉ. (श्रीमती) वंजना रामप्रसाद, प्रबंधन ट्रस्टी (महिला संगठनों की प्रतिनिधि), ग्रीन फाउंडेशन, 570/1, पदमावती निलय, चौथा क्रॉस, तीसरा मेन, एन.एन.पाल्या, बीटीएम, दूसरा स्टेज, बंगलुरु – 560 076

l nL; & l fpo ¼ nL½

16. डॉ. ए.के. मल्होत्रा, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

अनुबंध 2क

i k/kd j . k ds Lohdr in

e[; ky; 1/abZfnYy]/	Lohdr in
अध्यक्ष 80,000रु. (निर्धारित)	1
महा पंजीकार 37400–67000रु. (12000रु. ग्रेड पे के साथ)	1
पंजीकार 37400–67000रु. (8700 रु. ग्रेड पे के साथ)	3
वित्तीय सलाहकार 37400–67000रु. (8700 रु. ग्रेड पे के साथ)	1
संयुक्त पंजीकार 15600–39100रु. (7600 रु. ग्रेड पे के साथ)	2
उप पंजीकार 15600–39100रु. (6600 रु. ग्रेड पे के साथ)	1
विधि सलाहकार 15600–39100रु. (6600 रु. ग्रेड पे के साथ)	2
वरिष्ठ लेखा अधिकारी 15600–39100रु. (6600 रु. ग्रेड पे के साथ)	1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 9300–34800रु. (4600 रु. ग्रेड पे के साथ)	3
तकनीकी सहायक 9300–34800रु. (4200 रु. ग्रेड पे के साथ)	1
कम्प्यूटर सहायक 9300–34800रु. (4200 रु. ग्रेड पे के साथ)	6
	mi ; kx 20
'kk[kk dk ky; 1/ kph vky xqglvh e]/	
उप पंजीकार 15600–39100रु. (6600 रु. ग्रेड पे के साथ)	2
पौधा किरम परीक्षक 15600–39100रु. (5400 रु. ग्रेड पे के साथ)	2
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 9300–38400रु. (4600 रु. ग्रेड पे के साथ)	2
कार्यपालक सहायक 9300–38400रु. (4200 रु. ग्रेड पे के साथ)	2
	mi ; kx 8
	dg 28

अनुबंध 2ख

ekuo l a kku dk fooj.k

in dk uke	Hjsx, in	fjDr in
डॉ. एस. नागराजन (पूर्व अध्यक्ष) 13.10.2010 तक डॉ. पी.एल. गौतम, अध्यक्ष, 03.11.2010 से	1	—
महा पंजीकार डॉ. ए.के. मल्होत्रा	1	—
पंजीकार श्री आर.के. त्रिवेदी – 13.11.2010 तक डॉ. मनोज श्रीवास्तव डॉ. पी.के. सिंह	3	1
वित्तीय सलाहकार श्री जे.पी. सिंह	1	—
संयुक्त पंजीकार श्री डी.आर. चौधरी श्री डी.एस. मिश्रा, 13 दिसम्बर 2010 से	2	—
उप पंजीकार श्री उमा कांत दुबे	2	—
विधि सलाहकार श्री डी.एस. राजगणेश श्री आर.आर. प्रधान	2	—
वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्री राजीव तलवार	1	—
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ. रमेश कुमार – 20 दिसम्बर 2010 तक डॉ. ए.के. सिंह डॉ. सुशील कुमार	3	1
तकनीकी सहायक डॉ. डी.एस. पिलानिया	1	—
कम्प्यूटर सहायक श्री अरविन्द कुमार राय श्री संजय कुमार गुप्ता श्री अमीर उल्ला सिद्दिकी – 4 मई 2010 तक श्री नितेश कुमार वर्मा – 7 दिसम्बर 2010 से सुश्री शिप्रा माथुर सुश्री ज्योति सप्रा	6	1

अनुबंध ३

**fo | eku Mṛ wl dñhks i k/kdj.k }kj k
i nÙk foÙk l gk rk**

½k[k #i ; se½

Ø-l a	Mṛ wl dñhks i k/kdj.k }kj k i nÙk foÙk l gk rk	Ql ya	2010&11 ds fy, ct V	t kjh dh xbZfuf/k
1.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	बंदगोभी, फूलगोभी, भिष्णवी, बैंगन, टमाटर, मटर (सब्जी), राजमा	7.50	5.00
2.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु (i) अलंकारिक फसलें प्रभाग (ii) सब्जी फसलें प्रभाग	(i) गुलाब, गुलदाउदी, (ii) भिष्णवी, बैंगन, मटर, टमाटर	6.00	3.22
3.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	कपास, चना, ज्वार	4.00	7.87
4.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	तोरिया एवं सरसों, गेहूं, अलसी	1.00	2.28
5.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	अलसी, मसूर, मटर	2.00	2.00
6.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर (पीसी चना, अरहर एवं मुलार्प)	चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड्ड, मटर (दाल किस्म), राजमा	8.00	7.76
7.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बत्तूर	धान, बाजरा, उड्ड	2.50	4.55
8.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	सूरजमुखी, कुसुम, अरण्ड	5.00	5.00
9.	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मूंग, मक्का, उड्ड	5.00	7.15
10.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	चना, बाजरा, ज्वार	4.00	4.85
11.	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	मक्का	7.50	7.40
12.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई	गुलाब एवं गुलदाउदी चावल गेहूं फूलगोभी एवं बंदगोभी	11.00	11.56
13.	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र, राजगुरु नगर, पुणे	प्याज, लहसुन	3.00	1.50

Ø-1 a	Mř wl ckXhz ck uke	Ql ya	2010&11 ds fy, ct V	t kjh dh xbZfuf/k
14.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, (केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम सहित)	आलू	4.00	3.21
15.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	गन्ना	4.00	5.18
16.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, अगाली	गन्ना	4.00 1.00	2.32 1.00
17.	गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	गन्ना	1.00	1.00
18.	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	पटसन	6.00	6.43
19.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	कपास, सोयाबीन, चपाती गेहूं चावल, मक्का	5.00	4.68
20.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	चावल	5.00	5.48
21.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	चावल	7.50	8.87
22.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	मक्का, राजमा, सोयाबीन	4.00	4.62
23.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	1.00	1.00
24.	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	ज्वार	7.50	7.50
25.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र इंदौर	सोयाबीन	4.00	2.59
26.	राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	तोरिया एवं सरसों, तरामेरा	4.00	3.70
27.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	चपाती गेहूं	7.50	5.77
28.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	अरहर, कुसुम	2.00	5.82
29.	परियोजना समन्वयक (बाजरा), अ.भा.स.मोटे अनाज अनुसंधान परियोजना, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केन्द्र, मंदौर, जोधपुर	बाजरा	7.50	6.25

Ø-l a	Mř wl dXhz dk uke	Ql ya	2010&11 ds fy, ct V	t k j h dh xbZfuf/k
30.	परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बत्तूर	कपास	7.50	7.41
31.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	कपास	5.00	4.90
32.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	कपास, गेहूं	5.00	4.94
33.	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	मूंगफली	3.00	8.61
34.	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिकिम	ऑर्किड	2.50	1.50
35.	परियोजना समन्वयक (अलसी), चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	अलसी	2.00	2.39
36.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	चावल	2.00	3.66
37.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, काजीकोड	हल्दी, अदरक, काली मिर्च और इलायची	3.00	2.03
38.	जामनगर कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	अरण्ड	2.50	1.66
39.	परियोजना समन्वयक (तिल तथा रामतिल) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र.	तिल तथा रामतिल	2.00	0.00
40.	केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधा संस्थान, लखनऊ	पुदीना, दमस्क गुलाब, सदाबहार, अश्वगंधा तथा ब्रह्मी	7.50	4.00
	dy		183.5	186.66

i fj ; kt ukv k dks i kf/kdj . k } kjk i nRr foÙkq l gk rk

½k[k #i ; se½

Q- l a	dÙhz dk uke	i fj; kt uk	vof/k ½"Ze½	i fj; kt uk dh ykxr ½k[k e½	t kjh dh xbZfuf/k ½y[k k e½
1.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची	पूर्वी भारत पारिस्थितिकी के लिए स्वस्थाने चयन के अंतर्गत फल वृक्षों तथा औषधीय पादपों के लिए लाइव भंडारागारों का रखरखाव	3	72.00	10.09
2.	एम.एस. स्वामिनाथन अनुसंधान फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ), चेन्नई	एमएसएसआरएफ के सामुदायिक जीन बैंक में संरक्षण के अंतर्गत चावल की कृषक किस्मों का डीयूएस गुणीकरण तथा मूल्यांकन	3	23.00	7.1
3.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, ढपोली	सजीव रिपोजिटरी के माध्यम से फलों व रोपण फसलों व वृक्ष प्रजातियों के विवरणों का विकास व संकलन, अनुरक्षण और मूल्यांकन	3	143.00	14.18
4.	एस.डी. कृषि विश्वविद्यालय, सरदारकृषि नगर	दलहनों की विद्यमान किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन और शुद्धिकरण	3	25.03	0.00
5.	वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर	कैसुरीना तथा सफेदा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन	2	22.68	0.00
6.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, काजीकोट, केरल	मसालों के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र की स्थापना	2	14.30	5.00
7.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (भा.कृ.अ.प.), श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	सेब तथा नाशपाती के लिए भारतीय स्थितियों के अंतर्गत डीयूएस अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन	3	19.60	5.67
8.	—वही—	अखरोट और बादाम के लिए भारतीय स्थितियों के अंतर्गत डीयूएस अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन	3	33.00	
9.	—वही—	खुबानी और चेरी के लिए भारतीय स्थितियों के अंतर्गत डीयूएस अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन	3	19.60	
10.	राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	सिट्रस (सिट्रस रेटिकुलेटा, सी. साइनेसिस और सी. ओरेंटिफोलिया) के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना	3	45.356	8.23

Q- l a	dʒhz dk ule	i fj ; k t uk	vof/k ʃə'fɛvə	i fj ; k t uk dʒ ykx r ʃykl k eʃə	t k h dh xbZfuf/k ʃykl k eʃə
11.	जीन कैंपेन, जे—235/ए, लेन, डब्ल्यू—15सी, सैनिक फार्मस, खानपुर, नई दिल्ली—110062	झारखण्ड में मेघालय में चवल जैवविविधता संरक्षण और कृषकों के अधिकार पर प्रशिक्षण	3	28.90	4.30
12.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आई.आई.एच.आर. में डीयूएस परीक्षण केन्द्र का सबलीकरण और गुलाब रिपोजिटरी	2	32.518	22.63
13.	राष्ट्रीय बीज मसाले अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	चिकित्सीय, सगंधीय व बीज मसाला फसलों के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास और प्रयोगशाला व खेत सुविधाओं के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का सबलीकरण	3	25.70	6.66
14.	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत संरक्षित किस्मों के बीजों के भंडारण के लिए राष्ट्रीय पादप किस्म रिपोजिटरी की स्थापना	5	9.0	8.49
15.	औषधीय एवं सगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद	चिकित्सीय, सगंधीय व बीज मसाला फसलों के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास और प्रयोगशाला व खेत सुविधाओं के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का सबलीकरण	3	25.70	3.73
16.	वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	नीम, करंज और जैट्रोफा की वृक्ष प्रजातियों के लिए डीयूएस विवरणों तथा परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	3	27.60	12.06
17.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	ग्रीन हाउस सुविधा का विकास (डीयूएस केन्द्र के अंतर्गत) तथा खीरा—ककड़ी, लौकी, करेला, कद्दू और परवल के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन	1	12.42	10.15
18.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	पौधा किस्म व कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में उत्तर क्षेत्र के किसानों को सचेत करना	3	11.26	0.00
19.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम	उष्ण कटिबंधीय कंद फसलों : कसावा और शकरकंद के लिए डीयूएस परीक्षण मानदंडों का विकास और किस्मगत जीन बैंक की स्थापना	3	66.00	10.62

<i>Q- l a</i>	<i>d\hz dk ule</i>	<i>i fj; kt uk</i>	<i>vof/k ^o"Ze\\$2</i>	<i>i fj; kt uk dh ykxr ^ykl k e\\$2</i>	<i>t kjh dh xbZfuf/k ^yk[k e\\$2</i>
20.	वर्चुअल एक्शन ऑफ एग्रीकल्वरल बाइ नेचर वे ग्रोइंग एंड हस्बेंडरी ऑफ एनिमल्स इंडिया, वांधई, नागापटिटनम, तमिल नाडु	तमिल नाडु के तटवर्ती क्षेत्र तथा कावेरी मुहाने में परंपरा से उगाई जाने वाली चावल की किस्मों का लक्षण—वर्णन व पंजीकरण	2	13.85	7.22
21.	टोकलाई प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	चाय की किस्मों के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास व पंजीकरण के लिए चाय के विवरणों का सत्यापन	3	38.43	16.72
22.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान, पटना	अरहर (कैजानस कैजन) तथा बाकला (विसिया फाबा) का दोहन, प्रलेखन, सूचीकरण और लक्षण—वर्णन	2	15.36	8.73
23.	हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	कोनिफरों के लिए डीयूएस हेतु विशिष्ट गुणों की पहचान	2	11.31	3.25
24.	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची	केला (म्यूसा प्रजातियों) के लिए फसल विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करना	3	52.64	13.62
25.	डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय, सोलन	शीतोष्ण फलों के लिए खेत जीन बैंक की स्थापना	3	90.12	53.26
26.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, मेदजीफेमा, नागालैंड	उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से कोलेकेशिया की देसी भू प्रजातियों का संकलन, लक्षण—वर्णन और संरक्षण	3	15.7	3.53
27.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट	डैंड्राकेलोमस, हैमिल्टोनी तथा बैम्बूसा काल्कोआ के लिए जननद्रव्य बैंक की स्थापना	3	32.83	10.59
28.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकनेर	कुकरबिटों (तरबूज और खरबूजा) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन	3	47.98	20.41
29.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	आम में डीयूएस परीक्षण तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर्गत अमरुद, लीची और पपीते के विवरणों का सत्यापन	3	79.55	11.44
			dy	277.68	

अनुबंध 5

d"kd vf/kdkj kads fy, LFkk h l fefr

अध्यक्षीय सदस्य तथा अध्यक्ष	
1.	प्रो. आर.बी. सिंह, डी १/१२९१, वसंत कुंज, नई दिल्ली – ११००७०
सदस्य	
1.	डॉ. के.आर. धीमन, कुलपति, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश – १७३ २३०
2.	डॉ. के.सी. बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरा, पूसा परिसर, नई दिल्ली – ११० ०१२
3.	डॉ. परशुराम, एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, तारामणि इंस्टीट्यूशनल एरिया, चैन्नई, तमिल नाडु – ६०० ११३
4.	डॉ. रविन्द्र निरवाल, कृषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, जिला शामली, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.
सदस्य–सचिव	
5.	डॉ. पी.के. सिंह, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

अनुबंध 6

dk, Øe] fu; kt u vks ulfr l fefr

अध्यक्ष	
1.	सुश्री राधा सिंह, पूर्व सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, सी-२/३२, तिलक लेन, नई दिल्ली – ११० ००१
सदस्य	
2.	श्री एस.के. रुंगटा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली – ११० ०१२
3.	डॉ. एस.आर. राव, परामर्शक, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ब्लॉक २, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – ११० ००३
4.	डॉ. टी. रामाकृष्णन, प्राध्यापक, विधि तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के केन्द्र समन्वयक, अनुसंधान एवं एडवोकेसी, आईपीआर पीठ, नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नागरभावी, पो.बा. ७२०१, बंगलुरु – ५६० ०७२

5. डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, बौद्धिक संपदा प्रबंध प्रभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिसर, निस्केयर बिल्डिंग, तीसरा तल, 14, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110 067
6. डॉ. नजीर अहमद, निदेशक, केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केडी फार्म, ओल्ड एयर फील्ड, रांगरेथ, श्रीनगर 190 007 (जम्मू व कश्मीर)
7. निदेशक, आईएफजीटीबी, पोस्ट बॉक्स नं. 10, 61 फोरेस्ट कैम्पस, आर.एस. पुरम, कोयम्बत्तूर, 641 002
8. डॉ. डी.पी. रे, कुलपति, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा – 751 003
9. श्री अनिंदो मजुमदार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 014
10. श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
11. डॉ. एस.एस. बांगा, राष्ट्रीय प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – 141 004
12. डॉ. रमेश चन्द, निदेशक, एनसीएपी, नई दिल्ली – 110 012
13. डॉ. के.सी. बंसल, निदेशक, एनबीपीजीआर, पूसा परिसर, नई दिल्ली – 110 012
14. डॉ. बी.पी. सिंह, निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 170 001
15. डॉ. एन.के. दादलानी, निदेशक, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 909, सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

सदस्य—सचिव

16. डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

अनुबंध 7

fo | eku fdLe vuqkl k l fefr

अध्यक्ष

- डॉ. डी.पी. रे, कुलपति, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

सदस्य

- डॉ. एस.के. शर्मा, कुलपति, सीएसके, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
- डॉ. एस. आचार्य, अनुसंधान वैज्ञानिक, मुख्य दलहन अनुसंधान केन्द्र, सरदारकृष्णनगर, कृषि विश्वविद्यालय, सरदारकृष्णनगर, गुजरात
- श्री जी. मुरलीधरन, सदस्य, तमिल नाडु किसान संघ, आर्यपुरम, माल्यम पोस्ट, नागापट्टनम, तमिल नाडु
- डॉ. एस.के. त्रिपाठी, उपाध्यक्ष (वेजिटेबल बिजनेस यूनिट), नुजीविंदु सीड्स लिमिटेड, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली
- डॉ. ए.के. सिंह, धान वैज्ञानिक, आनुवांशिकी अनुभाग, पूसा, नई दिल्ली – 12
- डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली – 12, सदस्य सचिव

अनुबंध 8

i fj ; kt uk ew; kdu l fefr

अध्यक्ष

- डॉ. बी.एल. जलाली, पूर्व अनुसंधान निदेशक, सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, 601, नीलकांत, सैकटर-21सी, भाग-3, फरीदाबाद – 121 001

सदस्य

- डॉ. एस. मौरिया, सहायक महानिदेशक (आईपीआर और नीति), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
- डॉ. वी.ए. पार्थसारथी, निदेशक, भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान, मरीकुन्नू, पो.ओ. कालीकट – 673 012, केरल
- डॉ. राजबीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवांशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

सदस्य-सचिव

- डॉ. पी.के. सिंह, पंजीकार III, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली – 110 012

i hi hoh vks , Qvkj i kf/kdj.k } kjk t kjh fd, x, i t kdj.k i ek k i=kadhl ph

Qa l.	i ek k i = l a	ule	Ql y	vkond	vkond dk irk
1.	2010 का 1 /20.10.2010	एमएल 818	मूंग (विग्ना रेडियाटा एल. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली—110114	
2.	2010 का 2 /20.10.2010	एचएम 4	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
3.	2010 का 3 /20.10.2010	एचक्यूपीएम 1	मक्का (जी. मेज एल.)	—वही—	—वही—
4.	2010 का 4 /20.10.2010	नर्मदा मोती (आईसी 9001)	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
5.	2010 का 5 /20.10.2010	विवेक मेज हाइब्रिड 27 (एफएच 3288)	मक्का (जी. मेज एल.)	—वही—	—वही—
6.	2010 का 6 /20.10.2010	विवेक मेज हाइब्रिड 25 (एफएच 3248)	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
7.	2010 का 7 /20.10.2010	अमर (डी 941)	मक्का (जी. मेज एल.)	—वही—	—वही—
8.	2010 का 8 /20.10.2010	एचएचएम—2 (एचकेएच 1071)	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
9.	2010 का 9 /20.10.2010	विवेक मेज हाइब्रिड 9 (एफएच 3077)	मक्का (जी. मेज एल.)	—वही—	—वही—
10.	2010 का 10 /20.10.2010	सीओएच (एम) 4	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
11.	2010 का 11 /20.10.2010	विवेक हाइब्रिड 4 (एफएच 3049)	मक्का (जी. मेज एल.)	—वही—	—वही—
12.	2010 का 12 /20.10.2010	हिम 129 (ईएचएफ 1121)	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
13.	2010 का 13 /20.10.2010	पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का 2 (ईएच 203492)	मक्का (जी. मेज एल.)	—वही—	—वही—

Øa l -	i zek k i = l a	uke	Ql y	vlond	vlond dk irk
14.	2010 का 14 /20.10.2010	सीओएच (एम) 5	मक्का (जी मेज एल.)	-वही-	-वही-
15.	2010 का 15 /20.10.2010	विवेक हाइब्रिड 5	मक्का (जी मेज एल.)	-वही-	-वही-
16.	2010 का 16 /20.10.2010	विवेक मेज हाइब्रिड 17 (एफएच 3186)	मक्का (जी. मेज एल.)	-वही-	-वही-
17.	2010 का 17 /20.10.2010	डीएमएच-2	मक्का (जी मेज एल.)	-वही-	-वही-
18.	2010 का 18 /20.10.2010	सीओबीसी 1	मक्का (जी. मेज एल.)	-वही-	-वही-
19.	2010 का 19 /20.10.2010	वीएल बेबी कॉर्न 1 (वीएल 78)	मक्का (जी मेज एल.)	-वही-	-वही-
20.	2010 का 20 /20.10.2010	शक्तिमान-2	मक्का (जी. मेज एल.)	-वही-	-वही-
21.	2010 का 21 /20.10.2010	विन ओरेंज स्वीट कॉर्न	मक्का (जी मेज एल.)	-वही-	-वही-
22.	2010 का 22 /20.10.2010	प्रिया स्वीटकॉर्न	मक्का (जी. मेज एल.)	-वही-	-वही-
23.	2010 का 23 /20.10.2010	शालीमार केजी मेज 1	मक्का (जी मेज एल.)	-वही-	-वही-
24.	2010 का 24 /20.10.2010	शक्तिमान 1	मक्का (जी. मेज एल.)	-वही-	-वही-
25.	2010 का 25 /20.10.2010	वीएल मसूर 103	मसूर (लैंस कुलिनेरिस मैडिक)	-वही-	-वही-
26.	2010 का 26 /20.10.2010	वीएल मसूर 507 (वीएल 507)	मसूर (लैंस कुलिनेरिस मैडिक)	-वही-	-वही-
27.	2010 का 27 /20.10.2010	अम्बिका (आईएम 9102)	खेत मटर (पाइसम सेटाइवम एल.)	-वही-	-वही-
28.	2010 का 28 /20.10.2010	स्वाति (केएफपीडी 24)	खेत मटर (पाइसम सेटाइवम एल	-वही-	-वही-
29.	2010 का 29 /20.10.2010	शुभ्रा (आईएम 9101)	खेत मटर (पाइसम सेटाइवम एल	-वही-	-वही-
30.	2010 का 30 /20.10.2010	पंत पी 14 (पंत पी 14)	खेत मटर (पाइसम सेटाइवम एल	-वही-	-वही-

Øa l.	izk k i = l a	uke	Ql y	vkond	vkond dkirk
31.	2010 का 31 /20.10.2010	शेखर 3 (केयू 309)	उड्डव (विग्ना मूंगो एल.हैपर)	—वही—	—वही—
32.	2010 का 32 /20.10.2010	वीएल मटर 42 (वीएल 42)	खेत मटर (पाइसम सेटाइवम एल.)	—वही—	—वही—
33.	2010 का 33 /20.10.2010	शालीमार मूंग 1	मूंग (विग्ना रेडिआटा एल. विल्कजैक)	—वही—	—वही—
34.	2010 का 34 /20.10.2010	शालीमार मसूर 1	मसूर (लैंस कुलिनेरिस मैडिक)	—वही—	—वही—
35.	2010 का 35 /20.10.2010	शालीमार राजमा 1	राजमा (फैसियोलस वल्बोरिस एल.)	—वही—	—वही—
36.	2010 का 36 /20.10.2010	शक्तिमान 3	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
37.	2010 का 37 /20.10.2010	शक्तिमान 4	मक्का (जी मेज एल.)	—वही—	—वही—
38.	2010 का 38 /20.10.2010	हरियाणा चरी 308	जवार (सोरधम बाइकलर एल.मोयंक)	—वही—	—वही—
39.	2010 का 39 /20.10.2010	अर्का सुविधा (आईआईएचआर 909)	फ्रैंचबीन (फैसियोलस वल्बोरिस एल.)	—वही—	—वही—
40.	2010 का 40 /20.10.2010	अर्का अजित (एफसी 1)	खेत मटर (पाइसम सेटाइवम एल.)	—वही—	—वही—
41.	2010 का 41 /20.10.2010	पूसा 547 (बीजीएम 547)	चना (साइसर एरिएटिनम एल.)	—वही—	—वही—
42.	2010 का 42 /20.10.2010	जगबंधू (ओआर 1206 25 1) (आईईटी 141001)	चावल (ओराइजा सटाइवा एल.)	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	भुवनेश्वर ओडिशा
43.	2010 का 43 /20.10.2010	प्राची (आईईटी 12786)	चावल (ओराइजा सटाइवा एल)	—वही—	—वही—
44.	2010 का 44 /20.10.2010	रामचंदानी (आईईटी 13354)	चावल (ओराइजा सटाइवा एल)	—वही—	—वही—
45.	2010 का 45 /20.10.2010	महानदी (आईईटी 13356)	चावल ओराइजा सटाइवा एल	—वही—	—वही—
46.	2010 का 46 /20.10.2010	इन्द्राबती (आईईटी 13396)	चावल (ओराइजा सटाइवा एल)	—वही—	—वही—

Øa l.	izek k i = l a	uke	Ql y	vkond	vkond dkirk
47.	2010 का 47 /20.10.2010	सुमनगला (सीडब्ल्यूआरओके 165)	कपास (गोसिपियम हिस्टर्म एल.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	कृषि भवन, नई दिल्ली—110 014
48.	2010 का 48 /20.10.2010	सुरभि (वीआरएस 7)	कपास (गोसिपियम हिस्टर्म एल.)	—वही—	—वही—
49.	2010 का 49 /20.10.2010	तार्म 18	मूंग (विग्ना रेडिएटा एल. विल्कजैक)	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला—444104	कृषिनगर, पी.ओ.
50.	2011 का 1 07.03.11	कौशाम्बी (एचडब्ल्यू—2045)	चपाती गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम एल.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)	कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली—110114
51.	2011 का 2 07.03.11	एनआईएडब्ल्यू—301 (ट्रिम्बक)	चपाती गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम एल.)	— वही —	— वही —
52.	2011 का 3 07.03.11	अमर (एचडब्ल्यू—2004)	चपाती गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम एल.)	— वही —	— वही —
53.	2011 का 4 07.03.11	भवानी (एचडब्ल्यू—1085)	चपाती गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम एल.)	— वही —	— वही —
54.	2011 का 5 07.03.11	नरेन्द्र व्हीट 1012	चपाती गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम एल.)	— वही —	— वही —
55.	2011 का 6 07.03.11	विवेक मेज हाइब्रिड—21 (एफएच— 3211)	मक्का (जी मेज एल.)	— वही —	— वही —
56.	2011 का 7 07.03.11	प्रताप मक्का—4 (ईसी— 1108)	मक्का (जी मेज एल.)	— वही —	— वही —
57.	2011 का 8 07.03.11	प्रताप मक्का— 3 (ईसी— 3108)	मक्का (जी मेज एल.)	— वही —	— वही —
58.	2011 का 9 07.03.11	एनएसी 6004	मक्का (जी मेज एल.)	— वही —	— वही —
59.	2011 का 10 07.03.11	एनएसी 6002	मक्का (जी मेज एल.)	— वही —	— वही —
60.	2011 का 11 07.03.11	30 B 07 (X-1280 M)	मक्का (जी मेज एल.)	पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन— भारतीय शाखा कार्यालय	तीसरा एवं चौथा तल, बाबूखांस मिलेनियम सेंटर, 6-3-1099 / 1100, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद—500082, आंध्र प्रदेश, भारत

अनुबंध 10

**i f' k'k k , oat kx: drk dk H' v'k ft r djus okys l aBu a dh
l ph rFk mi yCk djkbZxbZfuf/k k' dk fooj.k**

लाइसेंस क्रमांक	#i ; s b'k[k e'
असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	3.60
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	0.60
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	4.80
एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई	6.00
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	0.60
तमिल नाडु साइंटिफिक रिसर्च आर्गेनाइजेशन	2.60
उडीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	1.71
तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	6.00
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	0.30
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	1.17
उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी, शिलांग	3.60
भगबती एजुकेशन सोसायटी	0.60
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद	0.70
सैंटर फार इकोलॉजी एंड रिसर्च, तंजावुर	0.60
फार्मर, नई दिल्ली	0.60
वांधई, नागापट्टिनम, तमिल नाडु	0.60
चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	0.30
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	0.60
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	5.03
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, तमिल नाडु	0.60
राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी	0.60
तोरिया व सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	0.60
केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	1.20
केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	0.60
केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	0.60

l aBu dk ule	#i; s ¹ y[k k e ¹ 2
मक्का अनुसंधान निदेशालय, दिल्ली	1.20
गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	0.60
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	0.60
ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	0.60
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	0.60
भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोआ	0.60
केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम, केरल	0.60
केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर	0.60
सरदारकृषिनगर दांतेवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात	0.60
केन्द्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम	0.60
बी.एन. कृषि महाविद्यालय (असम कृषि विश्वविद्यालय), सोनितपुर	1.20
राष्ट्रीय बीज मसाले अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	0.60
राष्ट्रीय पार्थनियम सम्मेलन, 2010, नई दिल्ली	1.50
मनकेश्वरी रुरल डेवलपमेंट सोसायटी, सुंदरगढ़	0.60
फार्म एवं रुरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, हैदराबाद	2.40
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (तृतीय आईजीएम), धारवाड	2.00
98वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, चैन्नई (पोल एक्स्पो)	1.10
सैंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एकशन, आईबीसी / आईबीई, 2010, केरली, केरल	0.25
नवारा फाउंडेशन, पालकाड	0.60
चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	3.00
इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रिडिंग, नई दिल्ली (वीएस, जीकेवीके, बंगलुरु)	2.02
वोलंट्री एकशन फार रिसर्च डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग, नई दिल्ली	1.80
भा.कृ.अ.प. पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर, पटना (बिहार)	0.60
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार	0.60
डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन (हिं.प्र.)	0.60
	dy
	69-68

Mर् wl ij hक kadh Ql yokj fuxjkuh

Q- l a	Ql y	Lfku	fuxjkuh ny	fuxjkuh ny dk He.k
1.	चपाती गेहूं (ब्रैड व्हीट)	डीडल्यूआर, करनाल भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	डॉ. सोहन पाल	29.03.2011
				10.03.2011
2.	चावल	डीआरआर, हैदराबाद सीआरआरआई, कटक टीएनएयू, कोयम्बत्तूर एएयू, जॉरहट	डॉ. ई.ए. सिद्दीक और डॉ. ए.ल.वी. सुब्बाराव	25.10 और 19.11. 2010
				5–6.10.2010 12.12.2010 2–3.12.2010
3.	कपास	पीएयू, लुधियाना सीसीएस, एचएयू, हिसार सीआईसीआर, नागपुर सीआईसीआर, कोयम्बत्तूर यूएएस, धारवाड़	डॉ. के. कोडलिंगम	9.09.2010 8.09.2010 26.10.2010 15.12.2010 28.10.2010
4.	मक्का	डीएमआर, नई दिल्ली अंगारू, हैदराबाद	डॉ. साई दास	1.10.2010 7.10.2010
5.	ज्वार	डीएसआर, हैदराबाद एमपीकेवी, राहुडी	डॉ. ई.ए. सिद्दीक	21.09.2010 01.10.2010
6.	बाजरा	एआईसीआरपी, जोधपुर एमपीकेवी, राहुडी	डॉ. साई दास	15.09.2010 17.09.2010
7.	पटसन	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर बुदबुद	डॉ. एच.एस. सेन डॉ. एम. हुसैन	02.09.2010 10.02.2011 4.09.2010 11.02.2011
8.	खेत मटर	आईआर्टीआर, वाराणसी आईआईपीआर, कानपुर	डॉ. ब्रह्मा सिंह	7–10.02.2011

forRħ fooj.k

31 ekpZ2011 ds vuq kj ryu i=

1/2 k [k #i; set 1/2

दक्षिणी वार्षिक खर्च का विवरण	प्रत्येक वर्ष का औसत खर्च	वर्ष 2011 का औसत खर्च
कॉर्पस / पूंजी निधि	66,079,819.96	45,782,375.05
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	-	-
निर्धारित / स्थायी निधि	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	10,970,026.03	7,525,181.00
; लेख	77,049,845.99	53,307,556.05
i fj 1 ए फूक्का		
स्थिर परिसम्पत्तियां	16,132,222.00	13,857,975.00
घटाएँ : संचयित मूल्यहास	(11,761,619.82)	(8,359,243.65)
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	4,370,602.18	5,498,731.35
निवेश – निर्धारित / स्थायी निधियों से	-	-
निवेश – अन्य से	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	72,679,243.81	47,808,824.70
फुटकर व्यय (जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हों)	-	-
; लेख	77,049,845.99	53,307,556.05
उल्लेखनीय लेखा नीतियां		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां		

31 ekpZ2011 dks l ekr gq o"Kzdsfy, vk; vkg 0 ; dk ysk

vk;	pkywo"K	fi Nyso"K
बिक्री / सेवाओं से हुई आय	-	-
अनुदान / सहायता	90,525,753.00	53,600,000.00
शुल्क / चंदा	6,740,840.00	23,20,200.00
निवेशों से हुई आय	-	-
रॉयलटी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	-	-
अर्जित ब्याज	1,136,603.08	177,502.00
अन्य आय	365,601.00	445,295.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	-	-
डैफर्ड आय (अचल सम्पत्ति पर मूल्यह्रास)	3,402,376.17	-
; lk ½	102,171,173.25	56,542,997.00
0 ;		
स्थापना व्यय	22,429,965.00	16,827,003.00
अन्य प्रशासनिक आय आदि	13,081,945.00	11,832,172.00
अनुदान / चंदों आदि पर हुआ व्यय	33,551,802.00	23,077,253.00
ब्याज	6,040.00	12,526.00
मूलह्रास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)	3,402,376.17	5,862,108.65
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध—क)	10,208,891.35	2,189,935.00
; lk ¼ k½	82,681,019.52	59,800,997.65
0 ; dh rgyuk esvk ?kVkdj 'k;k jkf' k ½&[k½		
प्राधिकरण निधि	18972956.73	-
जीन निधि	517197.00	19,490,153.73
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग—अलग बताएं)	-	-
1 kekk; vkgf{kr fuf/k dk@l sgLrkj.k	-	-
कॉर्पस / पूंजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)	19,490,153.73	(3,258,000.65)
उल्लेखनीय लेखा नीतियां		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां		

**31 ekpZ2011 dk;l ekIr o"Kzdsfy, iHlr; ka
vk; vnk; fx; k; dk ysk**

iHlr; ka		plywo"K	fi Nys o"K	vnk; fx; ka	plywo"K	fi Nys o"K	lyk[k #i; se]
1- vkn'kk				1- Q;			
क. मौजूद नकद राशि	5,300.00		5,300.00	क. स्थापना व्यय	15,321,749.00		
ख. बैंक अधिशेष				ख. प्रशासनिक व्यय	10,529,465.00	25,851,214.00	24,684,849.00
जीन निधि	27,524.00						
प्राधिकरण निधि	6,714,406.70	6,747,230.70	23,836,623.70				
2- iHr vuqku				2- foHku i j; kt ukvka ds fy, /ku dh vnk; xh			28,218,738.00
क. भारत सरकार से		92,800,000.00	53,600,000.00			46,434,139.00	
ख. राज्य सरकार से		-	-				
ग. अन्य स्रोत से		-	-				
3- fuos k l s vk				3- fuos k rFkk t ek /kuj kf'k			
क. निर्धारित / स्थायी निधियों से		-	-	क) निर्धारित / स्थायी निधि से		-	
ख. अपनी निधियों (अन्य निवेशों) से		-	-	ख) अपनी निधि (अन्य निवेश) से		-	
4- iHr C; kt				4- py l Ei fuk; ka rFkk pkyw i u hxr dk; Z ij Q;			
क. बैंक में जमा राशि पर	39,335.08		-				
ख. ऋण तथा पेशगियों आदि				क) अचल सम्पत्तियों की खरीद (अनुसूची 8)	791,039.00	2,477,265.00	
जीन निधि	-						
प्राधिकरण निधि		39,335.08	1,100.00	ख) चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय			

i Hr; ka	plywo"KZ	fi Nys o"KZ	vnk fx; ka	plywo"KZ	fi Nys o"KZ
5- i Hr i s kx; ka 1/4 uqak t 1/2	548,074.00	94,974.00	5- vfrfj Dr ekuj K' k@ - .k chh oki l h क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) अन्य ऋणदाताओं को	-	-
6- vk dj dh oki l h	23,370.00	-	6- ckgjh 0 ffr; ka dks i s kxh 1/4 uqak&?k 1/2	7,152,630.00	3,838,436.00
7- ckgjh 1/4 jk 1/2 dks nh i s kxh ch ol wh 1/4 uqak 1/2 1/2	91,016.00	76,609.00	7- Mr wl ijh k k ds fy, i s kxh 1/4 uqak&M 1/2	532,000.00	651,000.00
8- 'k d@ vanku@ vU v k आवेदन / पंजीकरण से प्राप्त शुल्क पूर्व पीवीजे शुल्क विरोध के नोटिस का शुल्क वार्षिक शुल्क – जीन निधि पुराने समाचार पत्र / पत्रिकाओं की बिक्री प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क प्राप्त अन्य शुल्क	6,476,000.00 49,890.00 153,000.00 72,000.00 2,595.00 1,915,000.00 6,604.00	2,229,400.00 57,800.00 43,500.00 18,000.00 500.00 1,960,000.00 2,844.00	8- ekf w fVdVa 9- Mvk h dks oki l h 10- l akBu@ l IFlku dks ; knku	175,000.00 1,268,390.00 1,579,041.00 - 16,753.00 -	175,000.00 4,522,738.00 1,745,102.00 -

i Mr; ka	plywo"KZ	fi Nys o"KZ	vnk fx; ka	plywo"KZ	fi Nys o"KZ
9- Mvkl h dks oki l h	185.00	5,791,128.00	12- LVlQ dks i's kxh 1/4 uqak p 1/2	1,856,801.00	1,350,394.00
10- LVlQ dks nh xbZ i's kfx; ka dh ol wh 1/4 uqak V 1/2	719,605.00	414,668.00	13- foRr i Hkj 1/2; kt 1/2	6,040.00	12,526.00
11- csl ea vkfn' ksk dk varj	-	78,938.00		-	-
12- jkt; psdk dh okl h	4,204.00	-	14- i's kfx; ka ds fo#) vnk xh	10,000.00	87,058.00
13- thi hvk ls i Mr NW	5,975.00	1,818.00	15- l hi h Q tek [krk	371,204.00	-
14- csl } ljk xyr ukes dh xbZ jk' k	16,753.00	10,000.00	16- l kof/k tek 1/2 tu csl 1/2	5,000,000.00	10,593,574.00
			17- vnk dh xbZ oskud ns rk a	6,080,172.00	3,102,539.00
			18- var' ksk		
			(क) नकद राशि 5,300.00		5,300.00
			(ख) बैंक में जमा राशि		
			भारतीय स्टेट बैंक 9,930,185.70		
			सिंडिकेट बैंक 2,506,758.08		
			जीन फंड 120923.00	12,563,166.78	6,741,930.70
; kx	109,670,836.78	88,223,202.70	; kx	109,670,836.78	88,223,202.70

1 कृषि; का

एआईसीआरपी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
बीएयू	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
डीओएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीयूएस	विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व
ईवीआरसी	विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति
जीएटीटी	टैरिफ तथा व्यापार पर सामान्य समझौता
जीईएसी	आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति
आईएआरआई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
इंडस	डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
आईपीजीआरआई	बायोडायर्सिटी इंटरनेशनल
आईटीपीजीआरएफए	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि
केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र
एनएआरएस	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली
एनएससी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
एनबीपीजीआर	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरा
एनबीएफजीआर	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
एनसीएफ	राष्ट्रीय किसान आयोग
एनईएच	उत्तर पूर्व पहाड़ियां
एनओआरवी	भारत की अधिसूचित व जारी किस्में
पीपीवी और एफआर	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

पीवीआईएस	पौधा किस्म सूचना प्रणाली
पीवीजे	प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया या भारतीय पौधा किस्म जरनल
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएयू	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
टीबीजीआरआई	उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम
ट्रिप्स	बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलू
यूएसडीए	संयुक्त राज्य कृषि विभाग
वीसीके	सामान्य ज्ञान की किस्म
डब्ल्यू टी ओ	विश्व व्यापार संगठन

vkhkj Kki u

हम पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों) के कार्यालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा विभिन्न भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संगठनों में डीयूएस केन्द्रों के साथ पिछले कुछ समय से निर्गित हुई साझीदारी की सराहना करते हैं।

हम प्रतिवेदन के संकलन में डॉ. अजित कुमार मल्होत्रा, डॉ. पी.के. सिंह, डॉ. तेजवीर सिंह, श्री डी.एस. मिश्रा, श्री जे.पी. सिंह, श्री सोढ़ी सिंह, श्री डी.एस. राजगणेश, श्री राजीव तलवार, श्री टी.डी. तिवारी, डॉ. सुशील कुमार, डा. डी.एस. पिलानियाँ, श्री ब्रेटी एलेक्जेंडर; विषय-वस्तु में सुधार के लिए अंतर-दृष्टि उपलब्ध कराने हेतु श्री वी.के. भारती तथा प्रतिवेदन के संपादन के लिए श्री सी.एस. विश्वनाथ तथा प्रतिवेदन के हिन्दी रूपांतर के लिए श्री अनिल कुमार दुबे का आभार ज्ञापन करते हैं।

हम अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौत्तम के प्रति वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 को तैयार करने व इसके प्रस्तुतीकरण में उनके बहुमूल्य परामर्श तथा निर्बाध सहायता के लिए हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं।



रजिस्ट्रार
प्राधिकरण की ओर से

नई दिल्ली में दिनांक 20 अक्टूबर 2011 को पौधा किस्म
और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की 14वीं बैठक
(कार्यसूची मद सं. 5 के अंतर्गत) में अनुमोदित